खण्ड-148, अंक-5
मंगलवार, 26 माघ, शक संवत् 1876
(15 फरवरी, 1955 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 148 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १५ फरवरी, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्मा राम गोविंद खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३२४)

अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्त स्वरूप सिंह, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसराइल हक, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैया लाल वाल्मीकि, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण चन्द्र मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
काली चरण टंडन, श्री
किन्दर लाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केदार नाथ, श्री
केवल सिंह, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयाली राम, श्री
खुशी राम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
घनश्याम दास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चिरंजी लाल जाटव, श्री
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री

छेदा लाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगपति सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहर लाल, श्री
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीका राम, श्री
डल्ला राम, श्री
डालचंद, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाता राम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण दीन वाल्मीकि, श्री
निरंजन सिंह, श्री,
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दन राम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक़, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबू राम गुप्त, श्री
बाबू लाल कुसमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचन राम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवान दीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भोल सिंह यादव, श्री

मक़सूद आलम खां, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरूल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद सआदत अली खां, राजा
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजा राम, श्री
राजा राम किसान, श्री
राजा राम मिश्र, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
रामआधार तिवारी, श्री
रामग्रवीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम, सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राम मूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
राम लाल, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
राम हेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मण दत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मण राव कदम, श्री
लक्ष्मी देवी,श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री

लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीला धर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
बसी नकवी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजबिहारी मिश्र, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजनराय, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्याम लाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्य सिंह राणा, श्री
सहदेव सिंह, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीता राम डाक्टर, श्री
सुखी राम भारतीय, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री,
सेवा राम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हरगोविंद पंत, श्री
हरगोविंद सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरि प्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री
होती लाल दास, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, १५ फरवरी, १९५५

तारांकित प्रश्न

आजमगढ़ जिले में हाहा नाला योजना पर व्यय

*१—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के अन्तर्गत हाहा नाला-योजना पर कब से काम प्रारम्भ किया जायेगा तथा चालू वित्तीय वर्ष में उस पर कितना रुपया व्यय किया जा रहा है ?

सिंचाई उपमंत्री (श्री राममूर्ति)—हाहा नाला के मार्जिनल बन्ध के निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो गया है तथा वर्तमान आर्थिक वर्ष के अन्त तक इस पर लगभग १,००,००० रुपया व्यय होगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह बांध कितने मील लम्बा होगा और इसमें कुल कितना खर्चा होगा ?

श्री राममूर्ति—इसकी लम्बाई की तो मेरे पास इस समय इंफार्मेशन नहीं है ।

आजमगढ़ जिले में मऊ और लहुआ के बीच नल कूपों का निर्माण

*२—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लहुआ के आसपास तहसील लालगंज जिला आजमगढ़ में कोई सरकारी नलकूप बन रहा है ?

श्री राममूर्ति—लहुआ ग्राम में एक सरकारी नलकूप बनाने की योजना है ।

*३—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊ और लहुआ के बीच में कितने और नलकूप बने हैं ?

श्री राममूर्ति—दिसम्बर, १९५४ तक मऊ और लहुआ के बीच १० सरकारी नलकूपों का निर्माण हो चुका है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार को मालूम है लहुआ बांध के आसपास बेसू गंगी की योजना चलती है जो पूर्ण हो चुकी है ?

श्री राममूर्ति—माननीय सदस्य ठीक ही कहते होंगे ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो आजमगढ़ की नहर टांडा से मिलने वाली है वह उन्हीं क्षेत्रों में होकर जायगी जहां दस नलकूप बने हुये हैं ?

श्री राममूर्ति—इसकी मेरे पास कोई इंफार्मेशन नहीं है ।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—क्या सरकार ने व्यवस्था की है कि जहां नहर बनने वाली है वहां नलकूप न लगाये जायं ?

श्री राममूर्ति—हां, यह बात ठीक है कि जहां नहर बनेगी वहां नलकूप क्यों लगाये जायंगे ।

श्री रामसुंदर पांडेय—क्या यह सही है कि लहुआ और मऊ के बीच में दस नलकूप बनाये गये हैं वह उसी एरिया में पड़ते हैं जहां से कि नहर जाती है?

श्री राममूर्ति—नहर कुछ हट कर जाती होगी वरना वहां नलकूप क्यों लगाये जायंगे जहां से नहर जा रही है।

*४—श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया)—[१ मार्च, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

*५-६—श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—[८ मार्च, १९५५ के लिए स्थगित किये गए।]

*७—श्री श्रीचन्द्र—[१५ मार्च, १९५५ के लिए स्थगित किया गया।]

बनारस जिले में रामनगर बिजली घर की सहायता के लिये मार्टिन कम्पनी को ऋण

*८—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रामनगर जिला बनारस में जो बिजलीघर था उसे बनारस स्टेट के विलीनीकरण के बाद सरकार ने ले लिया था?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—जी हां।

*९—श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी—क्या यह सही है कि इस बिजलीघर की दशा बहुत खराब थी और रामनगर में बिजली वितरण के लिये सरकार ने कुछ कर्जा मार्टिन कम्पनी, बनारस को दिया था? यदि हां, तो कितना और उसकी क्या शर्तें थीं?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां। सरकार ने मार्टिन कम्पनी को १,२५,००० रु० कर्जा २५ मार्च, १९५३ को दिया था। उक्त कर्ज को मार्टिन कम्पनी १५ किस्तों में मय सूद के (जो ४॥ प्रतिशत है) सरकार को लौटा देगी। इस सम्बन्ध में कम्पनी ने अपनी ट्रांसमिशन लाइन्स [बनारस से रामनगर तक] की जमानत दी है।

श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी—क्या यह सही है कि कुछ समय के बाद बिजलीघर मार्टिन कम्पनी को दे दिया गया और यदि हां तो क्यों और मार्टिन कपनी के लायसेंस में कोई संशोधन किया गया क्या?

श्री सैयद अली जहीर—यह जो रामनगर का पावर हाउस है वह गवर्नमेंट की तरफ से मार्टिन कम्पनी चला रही है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—मैंने पूछा था कि कुछ समय बाद यह बिजलीघर मार्टिन कम्पनी को दे दिया गया था। मेरा यह सवाल था।

श्री सैयद अली जहीर—जहां तक मैं समझता हूं इसको मार्टिन कम्पनी गवर्नमेंट की तरफ से चला रही है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मार्टिन कम्पनी सरकार की तरफ से इस कारखाने को चलाने के लिये कितने रुपये साल ले रही है?

श्री सैयद अली जहीर—इसकी इत्तिला इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि रामनगर पावर हाउस के कर्मचारियों को जो कि मार्टिन कम्पनी के इन्तजाम के पहले काम करते थे उन सब को मार्टिन कपनी ने नौकरी में रखा है या नहीं ?

श्री सैयद अली जहीर— इसका तो कोई ताल्लुक इससे है नहीं और इसकी इत्तला भी इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मार्टिन कम्पनी जो रामनगर का पावर हाउस था उसको भी चला रही है या वह डिसमेन्टिल हो गया ?

श्री सैयद अली जहीर—मैं तो समझता हूं कि डिसमेन्टिल नहीं हुआ तभी मैंने कहा कि वह चला रही है।

श्री देवकी नन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि रुपया देने से पहले क्या उन्होंने यह शर्त रखी थी कि मार्टिन कम्पनी अपने यहां नौकरियों में भारतीयों को रखने के लिये प्राथमिकता देगी ?

श्री सैयद अली जहीर—मुझे इस वक्त नहीं मालूम है इसके अलावा कि वह रुपये को अदा करेंगे और क्या-क्या शर्तें उसमें हुई हैं जिनकी बिना पर इनको काम करने को दिया गया है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार की तरफ से मार्टिन कम्पनी जो यह काम चला रही है तो उसके खर्चे वगैरह का हिसाब किताब मार्टिन कम्पनी रखती है या सरकार की ओर से कोई मुन्तजिमकार उस सम्बन्ध में रखा गया है ?

श्री सैयद अली जहीर—इसकी सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है।

*१०—राजा वीरेंद्र शाह (जिला जालौन)—[२८ फरवरी, १९५५ के लिए प्रश्न २८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*११-१३—राजा वीरेंद्र शाह—[१ मार्च, १९५५ के लिए स्थगित किये गये।]

*१४—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—[१ मार्च, १९५५ के लिए स्थगित किया गया।]

हल्द्वानी नगरपालिका के अन्तर्गत नलकूप का निर्माण

*१५—श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या यह सही है कि सरकार ने हल्द्वानी नगरपालिका को एक ट्यूबवेल बनाने के लिये कोई अनुदान दिया है ? अगर हां, तो इसके निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां। अगस्त सन् १९५४ तक एक ठेकेदार ने दो पृथक स्थानों पर भूतल को भेदन करने का प्रयास किया परन्तु उसकी मशीनें बीच में चट्टानें आजाने से असफल रहीं। इस समय अन्य ठेकेदारों से पत्र व्यवहार हो रहा है जो इन चट्टानों का भेदन कर सके।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस नगरपालिका को टयूबवेल के हेतु अनुदान कब दिया गया था ?

श्री सैयद अली जहीर—यही तो बताया मैंने कि अगस्त, १९५४ में।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि यह ठेकेदारों से जो पत्र-व्यवहार हो रहा है उसको शुरू हुये कितना अर्सा हो गया है ?

श्री सैयद अली जहीर—जब से पहले वाला असफल हो गया।

नैनीताल–कोटाबाग सड़क की मरम्मत की आवश्यकता

*१६—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को मालूम है कि नैनीताल के ऊखल ढूंगा डौनपरेवा पाठकोट कोटाबाग सड़क क्षत विक्षत अवस्था में है? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री सैयद अली जहीर—प्रश्न में उल्लिखित सड़क क्षत विक्षत अवस्था में नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उन्हें यह सूचना कहां से प्राप्त हुई ?

श्री सैयद अली जहीर—सरकारी कर्मचारियों से।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या यह सही है कि यह सड़क डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अधिकार में है ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां। यह सही है।

बरेली–आगरा रोड पर रामगंगा का पुल बनाने का विचार

*१७—श्री नत्थू सिंह (जिला बरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बरेली से बदायूं होकर जो मोटर सड़क आगरा को जाती है उस सड़क पर रामगंगा का पुल अगली पंचवर्षीय योजना में बनाने का विचार है ? यदि हां, तो उसमें कितना रुपया खर्च होने का अनुमान है ?

निर्माण मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)—पुल के निर्माण के प्रस्ताव पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाते समय विचार किया जायेगा। पुल की लागत लगभग ३० लाख रुपये होगी।

श्री नत्थू सिंह—क्या सरकार इस पुल की आवश्यकता पर विचार करते हुए दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसको प्राथमिकता देगी ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—यह कहना इस समय कठिन है क्योंकि जब सब पर विचार होगा तो उससे कोई ज्यादा जरूरी होगा तो शायद उसके लिए प्राथमिकता देनी पड़े।

आजमगढ़ जिले में सहनूपुर बांध का निर्माण

*१८—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में नदी के किनारे सहनूपुर में जो बांध बन रहा था वह कितना बन चुका है और अब तक उस पर कुल कितना खर्च हो चुका है ?

श्री राममूर्ति—यह बांध लगभग १ मील लम्बा जिलाधीश द्वारा बनाया गया था। जिलाधीश आजमगढ़ से व्यय की सूचना मंगाई गई है।

*१९—श्री झारखंडे राय—क्या यह सही है कि उस बांध का बनाना अब बन्द हो गया है ? अगर हां, तो क्यों और पुनः कब से उसका बनाना आरम्भ होगा ?

श्री राममूर्ति--जिलाधीश ने इस कार्य को अब बाढ़ डिवीजन, बलिया को सौंप दिया है। निर्माण कार्य पुनः शीघ्र ही प्रारम्भ किया जायगा।

*२०--श्री झारखंडे राय--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि यह बांध कहां से कहां तक और कितना लम्बा होगा तथा उस पर कुल कितने व्यय होने का अनुमान है?

श्री राममूर्ति--यह बांध सहनूपुर से नैनीजोर तक लगभग ८ मील लम्बा होगा और इस पर लगभग १ लाख ५२ हजार रुपया खर्च होगा।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय सूचना मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उन्हें इस बात की सूचना है कि जो बांध एक मील बना था उसका अस्तित्व अब नहीं है और पिछली बाढ़ में बह गया?

श्री राममूर्ति--मेरे पास तो इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री झारखंडे राय--क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जो बांध आठ मील बनने वाला है उसके आगामी बरसात के पहले बन जाने की आशा है?

श्री राममूर्ति--कोशिश तो यही की जायगी कि बरसात से पहले बन जाय।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इसका निर्माण सरकारी विभाग द्वारा होगा या ठेके पर होगा?

श्री राममूर्ति--काम तो हमारे यहां ठेके पर हुआ करता है लेकिन सरकारी सुपरविजन में होता है।

श्री गेंदा सिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो काम अब तक बांध पर हुआ है वह काम सार्वजनिक विभाग द्वारा ठेकेदारी प्रथा पर हुआ है या टेस्ट वर्क के जरिये हुआ है?

श्री राममूर्ति--टेस्ट वर्क तो उन्हीं मजदूरों के लिए कराया जाता है।

श्री गेंदा सिंह--मैंने तो यह प्रश्न किया था कि टेस्ट वर्क में जो काम हुआ उसके जरिये यह बांध बनाया गया या सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ठेकेदारों के जरिये बनाया गया?

श्री राममूर्ति--मेरे पास जो इत्तला है उसके अनुसार जो एक मील लम्बा बांध बना था वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने टेस्ट वर्क के तौर पर वहां बनवाया था और टेस्ट वर्क, जो लोग मजदूरी की तलाश में रहते हैं, उन्हीं के द्वारा चलाया जाता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सूचना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह जो एक मील लम्बा बांध बना है यह किस सन् में बना था?

श्री राममूर्ति--यह तो मैंने अर्ज किया पिछले साल में टेस्ट वर्क के तौर पर एक मील लम्बा बांध बनाया था।

श्री अध्यक्ष--वह वर्ष पूछते हैं।

श्री राममूर्ति--पिछले साल से मतलब, १९५३-५४।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या यह सही है कि टेस्ट वर्क के जरिये जो बांध बना था वह १९५३-५४ की बाढ़ से बिल्कुल ध्वस्त हो गया और उनका नामोनिशान अब वहां पर नहीं है?

श्री राममूर्ति--मेरे पास इसकी कोई इत्तला नहीं है। उसका नामोनिशान जरूर होगा अगर ग़ौर से देखा जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकर यह बताने की कृपा करेगी कि जो यह बांध बनाया गया था वह किसी इंजीनियर के मशवि से बनाया गया था या बिना मशविरे के बनाया गया था?

श्री राममूर्ति--टेस्ट वर्क जो हमारे यहां किये जाते हैं वह डिपार्टमेंटल सलाह से ही किये जाते हैं।

श्री अवधेश प्रतापसिंह द्वारा लगाये गये आरोप के सम्बन्ध में श्री द्वारका प्रसाद मौर्य का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री अध्यक्ष--(श्री द्वारका प्रसाद मौर्य से) मैंने आपको व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने की इजाजत दी थी। तो इस समय आप अपना स्पष्टीकरण दे सकते हैं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में २० सितम्बर सन् १९५४ को माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी ने मुझे लक्ष्य करते हुये यह कहा था कि मैंने अपने यहां अध्यासी अपने को दर्ज कराने की कोशिश की जब कि मैं वहां पर मौजूद नहीं था और न काबिज था। मैं इस सम्बन्ध में आपकी आज्ञा से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो आक्षेप किया गया है वह निराधार था। न तो मैंने किसी अपने अधिवासी को बेदखल किया और न कब्जा किया। जो कुछ अधिवासी थे वह सब अपनी आराजी पर काबिज जैसे पहले थे वैसे ही अब भी काबिज चले आ रहे हैं। माननीय पन्त जी से मैंने यह बात स्पष्ट कही थी कि इसकी जांच कर ली जाय और जो सत्य हो उसका प्रकाशन होना चाहिये। मैंने उनसे यह भी कहा था कि इस सम्बन्ध में आप यह भी पता लगायें कि माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी को यह सूचना कैसे मिली। इसके साथ ही मैंने यह भी कहा था कि मैं गवर्नमेंट में हूं इसलिये इस आक्षेप से केवल मेरी ही बदनामी नहीं है बल्कि गवर्नमेंट की भी बदनामी है। ऐसी दशा में मुझे, जब तक मेरे ऊपर से यह आक्षेप दूर न हो जाय, इस्तीफा दे देना चाहिये और आप मुझे इस प्रकार की आज्ञा दे दें अन्यथा आप इसकी सफाई जांच करके कर दें। माननीय पन्त जी ने कहा था कि हां, इसके बारे में चरण सिंह से तुम कह दो। मैंने उनसे कह दिया था लेकिन माननीय पन्त जी को समय नहीं मिला और वह बात ज्यों की त्यों रह गयी। इसके बाद पार्लियामेंट के मेम्बर श्री बीरबल को हमारी जिला कांग्रेस कमेटी ने नियुक्त किया इसी सम्बन्ध में जांच करने के लिये और वह काम उनको २४ अक्टूबर सन् १९५४ को सिपुर्द किया गया। मैंने अभी तक यह इन्तजार किया कि उनके जरिये से यह जांच हो जाय और वह सफाई हो जाय लेकिन आज तक चूंकि वह बात स्पष्ट नहीं हुई है इसलिये मैंने आपसे यह निवेदन किया कि मुझे स्पष्टीकरण का मौका दिया जाय। जैसा कि मैंने कहा कि मेरे न तो भाई ने और न मैंने किसी अपने अधिवासी की जोत पर कब्जा किया है। वैसे उनका कब्जा चला आ रहा है जैसा कि पहले था। श्री अवधेशप्रताप सिंह जी आज यहां पर मौजूद नहीं हैं लेकिन मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि वह स्वयं भी पूरे तौर पर इसकी जांच करके स्वयं ही इस बात को साबित कर दें तो मैं इस सदस्यता से अपना त्यागपत्र देने के लिये तैयार हूं। मैंने उनसे यह पूछा कि आप बता दें कि यह कागजात जो कि पायनियर और "स्वतन्त्र भारत" में २३ सितम्बर को निकले आपको कहां सेप्राप्त हुये तो उन्होंने कहा कि यह कांफिडेन्शियल है। उन्होंने मुझसे बताया नहीं कि उनको वह कागजात कहां से मिले। मैं आपकी आज्ञा से यह कहना चाहता हूं कि मेरे पास इसके प्रमाण हैं कि एक व्यक्ति जिसने यह इन्दराज लेखपाल से लिया वह एक हेड कापीईस्ट का भाई है।

श्री अध्यक्ष—मेरे ख्याल से आपका स्पष्टीकरण हो चुका है। आप यही कह रहे हैं कि आपने ऐसा नहीं किया और यह कि काश्तकार वह अभी तक उस पर काबिज हैं। आपने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है और यह भी कहा कि इसकी कोई भी इंक्वायरी कर ले। जिन्होंने आक्षेप किया अब आप उनको भी विचार का मौका दें। मैं समझता हूं कि आपका स्पष्टीकरण पूरा हो चुका है। आप दूसरों की ओर आक्षेप युक्त संकेत न करें।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—अध्यक्ष महोदय, लैंड रिफार्म्स मैन्युअल की धारा १ (७३) (३) में यह लिखा हुआ है कि कोई भी असल काश्तकार जो खाना चार में या शिकमी जो खाना ५ में है वह अध्यासी नहीं लिखा जा सकता। इसके अलावा यह भी कायदा बना हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति अध्यासी लिखा जाय तो गांव सभा के सभापति को और क्षेत्रपति को और तहसीलदार को नोटिस दे देना चाहिये कि ऐसा इन्दराज किया गया है। यह कायदा लैंड रिफार्म्स मैनुअल का है लेकिन कोई भी नोटिस नहीं दिया गया। इससे आप स्वयं ही समझ सकते हैं तथा सदन के सदस्यगण भी समझ सकते हैं कि कैफियत के खाने में इस तरह का इन्दराज करके एक माननीय सदस्य के ऊपर लांछन लगाना कहां तक उचित है। मैं आपकी आज्ञा से यह भी कहना चाहता हूं कि यह सदन के प्रिविलेज का भी सवाल है, किसी भी सदन के सदस्य के प्रिविलेज का सवाल है कि मुझे यह बताया जाय कि उन्हें यह कैसे मालूम हुआ। दूसरे उनके सदन में कहने के तीन रोज पूर्व ही मुझे माननीय सदन के एक माननीय सदस्य ने यह कहा था कि आपके खिलाफ माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी कोई चार्ज लाये हैं। मैंने कहा था कि यहां मेरा बिल पेश है, चौधरी चरण सिंह जी बराबर यहां बैठे हुए थे हम लोगों ने कुछ भी नहीं सुना। मुझे इस बात का पहले से कुछ पता भी नहीं था इसलिये जानकारी न होने से मैंने उस समय आक्षेप का कोई उत्तर नहीं दिया। बाद को मैंने मौके पर जाकर अपने भाई तथा और लोगों से तहकीकात करके सब बातें मालूम कीं। मैं यह पूरे तौर पर कह सकता हूं कि यह बात नहीं है और माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी अगर इस बात को साबित कर दें तो मैं इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं।

राजा वीरेंद्र शाह (जिला जालौन)—अध्यक्ष महोदय, आपने जो प्रिविलेज का सवाल उठाया है उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—अभी तो प्रिविलेज का कोई सवाल नहीं उठा है। उन्होंने तो केवल सदन के सामने अपना स्पष्टीकरण दिया था।

सहजनवां, लाठी चार्ज सम्बन्धी कार्य-स्थगन के प्रस्ताव विषयक सूचना

श्री अध्यक्ष—कल श्री नारायणदत्त जी ने एक कामरोको प्रस्ताव पेश किया था लेकिन चूंकि माननीय मुख्य मंत्री जी मौजूद नहीं थे मैंने कहा था कि कल ले लिया जायगा। मेरे पास अब माननीय मुख्य मंत्री जी की एक चिट्ठी आई है उसमें लिखा है कि वे मसूरी जा रहे हैं और कल आयेंगे इसलिये आज वह नहीं लिया जाय, यह उनकी प्रार्थना थी। लेकिन यह कल भी नहीं लिया जा सकेगा। इसलिये अगर माननीय मुख्य मंत्री जी परसों मौजूद रहे तो परसों लिया जायगा।

१९५४-५५ के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद

श्री अध्यक्ष--अब वित्तीय वर्ष, १९५४-५५ के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद होगा।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, आज ६,५२,९२,३०० रु० का अनुपूरक बजट सदन के सम्मुख विवादार्थ प्रस्तुत है। अब यह परम्परा सी चल गयी है और यह तो एक निश्चित परम्परा हो गयी है कि प्रत्येक वर्ष दो पूरक बजट लाये जायं। अभी पिछले सितम्बर, सन् ५४ में भी २,६०,३९,९०० रु० की लागत का एक पूरक बजट प्रस्तुत किया गया था। वैसे तो पूरक बजट वित्तीय परम्परा के अनुसार कोई शोभा की बात नहीं माना जा सकता है क्योंकि यह साबित करता है कि सरकार की जो एस्टिमेट की प्रणाली है, जो सेविंग का ढंग है वह बहुत गलत है। तो आज जो पूरक बजट हमारे सामने है वह पिछले सभी पूरक बजटों से बड़ा है। यह इसकी एक खासियत है कि इतना बड़ा पूरक बजट एक भी अभी तक इस सदन में पहले प्रस्तुत नहीं हुआ है। कहा यह जा सकता है कि फाइव इयर्स प्लान के कारण इतना बड़ा पूरक बजट हमको लाना पड़ता। लेकिन श्रीमन् यह सोचने की बात है कि आखिरी महीने में जब इतने बड़े बड़े कार्यक्रम के लिये रुपया मांगा जाये तो उस रुपये का सदुपयोग नहीं हो सकेगा। जैसा कि श्रीमन्, आप देखेंगे कि लखीमपुर में कोलोनाइजेशन स्कीम के खोले जाने का एक प्रपोजल है तथा सोशल वेलफेयर, टैस्ट वर्क, घाट आदि तमाम ऐसी बातों का शीघ्रता के साथ समावेश किया गया है और काफी बड़ी रकमें इन सभी योजनाओं के लिये रखी गयी हैं। तो इसका नतीजा यह होगा कि इस प्रकार रुपये खर्च नहीं किये जा सकेंगे और इतनी बड़ी विकास योजनाओं को इस प्रकार से जल्दी कार्यान्वित करने में रुपये का बहुत बड़ा वेस्टेज और बड़ा अपव्यय होने की सम्भावना है। श्रीमन्, आप देखेंगे कि इस पूरक बजट में ४३ ग्रान्ट्स हैं। इन ४३ ग्रांट्स में १४ ग्रांट्स ऐसी हैं जिनमें सौ या दो दो सौ रुपये की टोकेन ग्रान्ट्स मांगी गयी हैं। इसका अर्थ यह है कि १४ ग्रान्ट्स में रुपये की भारी बचत हुई है जिनको कि नयी स्कीमों में लगाया गया है। श्रीमन् आप यह देखेंगे कि इस प्रकार किसी बजट में बचत का होना इतनी मात्रा में बचत होना यह साबित करता है कि जो इन डिपार्टमेंट्स के ओरिजिनल एस्टिमेट्स बने थे वे ठीक नहीं बने थे। मैं उसकी एक ही मिसाल देना चाहता हूं। आप यह देखें कि इंडस्ट्रीज का जो ग्रांट है उसमें लिखा गया है कि १३ लाख ७९ हजार रुपया चुर्क सीमेंट फैक्टरी के डेप्रिसिएशन फंड में लिया गया है। इतनी बड़ी सेविंग का अर्थ यह है कि जो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का ओरिजिनल एस्टिमेट है बहुत गलत है।

श्री अध्यक्ष--जब आप इंडस्ट्रीज का नाम लें तो ग्रांट नम्बर भी दे दिया करें ताकि लोगों को उसे विवरण में निकालने में आसानी हो।

श्री नारायण दत्त तिवारी--जी हां मैं नम्बर भी दे दूंगा। तो जो बचत हुई है उसका सदुपयोग होना चाहिये था लेकिन यह बचत हो क्यों हुई? ब्रिटेन की एक मिसाल इसके लिये काफी है कि वहां १७ हजार मिलियन पौंड का बजट था जिसमें कुल ५ हजार पौंड का एक्सेस हुआ। इतनी अच्छी तरह से उन्होंने बजट बनाया था कि इतने भारी बजट में केवल ५ हजार पौंड का एक्सेस हुआ। एप्रोप्रिएशन एकाउंट्स की जो आडिट रिपोर्ट पिछले साल की है, सप्लीमेंटरी बजट के बारे में है, उससे यह साबित होता है कि जितने अब तक अनुदान मांगे गये हैं उनमें बहुत से बेकार सिद्ध हुए हैं, जरूरी सिद्ध नहीं हुए हैं। अभी हाल की जो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रिपोर्ट है उसके अनुसार यह साबित हुआ है कि इस प्रकार जो सप्लीमेंटरी ग्रान्ट्स अननेसेसरी साबित हुए हैं, उनकी संख्या यू० पी० में बढ़ती जा रही है। सन् ४७–४८ में ५, सन् ४८–४९ में ५, सन् ४९–५० में ५, सन् ५०–५१ में ११ और सन् ५१–५२ में १९ केसेज ऐसे निकले हैं। और जब कि पूरक ग्रान्ट्स बेकार साबित हुई, उनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार को पूरक बजट बनाते समय इस तरह से जल्दी से कदम उठा लेना उचित न होगा और बगैर किसी स्कीम को जांचे हुये रुपया लेना उचित न होगा।

इसके बाद मैं सदन का ध्यान दूसरी ओर जो कन्टिन्जेन्सी फंड से रुपया निकाला जाता है उसकी ओर दिलाना चाहता हू। इसमें १०९ आइटम्स हैं जिनके लिये कन्टिन्जेन्सी फंड से रुपया लिया गया है। इनमें से बहुत से आइटम्स ऐसे हैं जिनमें कोई खास जरूरत नहीं थी और बिल्कुल अनावश्यक रूप से रुपया लिया गया है जैसे मिसाल के लिये मैं बता दूं कि गांजे की स्कीम के लिए रुपया लिया गया है कि नेपाली गांजा यहां न आये और यहीं अच्छा गांजा तैयार हो, जिसके लिये कहा गया कि बड़ी इमरजेन्सी है। समझ में नहीं आता कि इसके लिये कौन सी इमरजेन्सी और आवश्यकता थी और क्या जल्दी सरकार को थी। गंगा शताब्दि समारोह, गंन्जेज सेन्चिुरी मनाई गई, उसके लिए रुपया लिया गया, क्या सरकार को मालूम नहीं था कि गंगा की नहर के १०० साल पूरे होने वाले हैं तो सरकार को ५० हजार रुपये की ग्रान्ट पहले से मंजूर करना चाहिये थी, उस समय किसी को याद नहीं आई और छोड़ दिया गया और इस तरह से अनफोरसीन कह कर रुपया लिया जाता है कन्टिजेन्सी फंड से। इसी तरह से डाकुमेन्टरी फिल्म के लिये और परमानेन्ट एगजिबीशन के लिए रुपया मांगा गया है, यह जो नुमायश यहां मुस्तकिल खोली गई इसके लिए रुपया मांगा गया है। यह सब चीजें किस तरह से अनफोरसीन कही जा सकती हैं? फाइव ईयर स्कीम्स हैं उनकी नुमायश हो रही है, हर जगह डेवलपमेंट हो रहा है, इन सब को भी अनफोरसीन कह कर कन्टिन्जेंसी फंड से रुपया लिया गया। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह के आइटम्स को अनफोरसीन कह कर सरकार को रुपया नहीं लेना चाहिये।

इसके अलावा इस बजट का दूसरा पहलू यह है कि जो जरूरी आइटम्स थे उनके लिए कन्टिजेन्सी फंड से रुपया नहीं लिया गया है। एक पहलू वह था जो मैंने बताया कि बिना जरूरत रुपया ले लिया गया है। जैसे यमुना हिन्डन केनाल पर, आगरा केनाल पर बांध की जरूरत थी और उससे सिंचाई का बहुत लाभ हो सकता था, जो बहुत जरूरी था और उसके लिये रुपया लिया जा सकता था लेकिन वह नहीं लिया गया। इसी तरह लखीमपुर कालोनाईजेशन स्कीम में जो भूमिहीनों को जमीन देने की बात है, उसके लिये भी कन्टिन्जेंसी से विदड्राल नहीं हुआ। इससे यह साबित होता है कि कन्टिजेन्सी फंड का सदुपयोग न हो कर दुरुपयोग किया गया है।

तीसरा एतराज मुझे यह है कि सरकार की ओर से इन ग्रान्ट्स में तमाम फाइनेन्शियल मिस्टेक्स और इर्रेगुलेरिटीज को ठीक करने का प्रयत्न किया जाता है। आप जरा ग्रान्ट नम्बर १३ देखें। उसमें कुम्भ मेले का बजट जो ४९–५० का है, उसमें कुम्भ मेले के लिये बजट रखा गया था जो पिछली बार हरिद्वार में हुआ था। आज ६–७ साल हो गये और अब यह २७ हजार की अदायगी का इन्तजाम अब हो रहा है और ७ साल बाद उसको रेगुलेराइज किया जा रहा है। इसी प्रकार आप ग्रान्ट्स नम्बर १८ देखें जिसमें लखनऊ म्युनिसिपल बोर्ड की कम्पलसरी एजूकेशन स्कीम की बात है। आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी जो एजूकेशन के थे उन्होंने जो गलती सन् १९५१–५२ में की थी उसको आज रेगुलेराइज किया जा रहा है और वह ३ लाख ८० हजार रुपये के करीब मांगा जा रहा है, तो क्या यह गलती ५२–५३ में

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

दुरुस्त नहीं हो सकती थी, क्या वह उसके बाद ५३–५४ में दुरुस्त नहीं हो सकती थी और क्या वह ५४–५५ में भी दुरुस्त नहीं हो सकती थी ? तो मैं चाहूंगा कि सरकार अपनी इस नीति को बदले कि यह पूरक अनुदान इस प्रकार सरकार और सरकारी कर्मचारियों की गलतियों को और वित्तीय अनियमितताओं को दूर करने के लिये इसका उपयोग किया जाय। इस सम्बन्ध में जो एक दूसरी महत्वपूर्ण बात इस प्रदेश के वित्तीय दृष्टिकोण से भी स्पष्ट होती है वह यह है कि हमारा ४ करोड़ रुपया कंटिजेंसी फंड का अपर्याप्त हो गया है, कम हो गया है। इस बजट से यह बात सिद्ध होती है कि कंटिजेंसी फंड से इतना रुपया विदड्रा कर लिया गया इन योजनाओं के लिये जो लगभग ४ करोड़ के हैं। तो होना क्या चाहिये, मैं तो सरकार को सुझाव दूंगा कि ड लार्निंग ऐक्टिविटीज के लिये उसको बढ़ाने के लिये अगर वह कंटिजेंसी फंड को बढ़ा दें और ४ करोड़ के बजाय ६ करोड़ रुपया प्रदेश के कंटिजेंसी फंड में डाल दें तो भविष्य में इस प्रकार की गलतियां न हो पावेंगी। कंटिजेंसी फंड खत्म होने को आ गये और विदड्राल्स होते जा रहे हैं। तो इसलिये कंटिजेंसी फंड की रकम को बढ़ा देना चाहिये और ४ करोड़ के बजाय ६ करोड़ कंटिजेंसी फंड का बजट होना चाहिये। लेकिन साथ ही साथ जो एक प्रणाली सरकार भूल रही है उसको अपनाना चाहिये।

हिन्दुस्थान के संविधान के अनुसार लेजिस्लेचर के सामने सप्लीमेंटरी एस्टीमेट्स उस समय आ जाने चाहिये जब कि खर्च होने के बाद पहली बार लेजिस्लेचर मिलता है। जैसे मिसाल के लिये कोई खर्चा सितम्बर, सन् १६५४ में हुआ और उसके बाद दिसम्बर, १६५४ में हमारे सदन का अधिवेशन हुआ तो यह चाहिये कि नियमों और विधान के अनुसार सितम्बर ५४ में खर्च किये गये सप्लीमेंटरी एस्टीमेट्स को दिसम्बर में आ जाना चाहिये। लेकिन यहां क्या होता है? दो तीन अधिवेशन बीच में निकल जाते हैं और अन्त में जाकर सरकार पूरक एस्टीमेट्स में उनको हमारे सामने लाती है। तो यह वैधानिक प्रणाली और वैधानिक नियमों की गम्भीर अवहेलना है और मैं चाहूंगा कि भविष्य में सरकार जितने भी खर्चे इस प्रकार के करे वह एकदम जो अगला अधिवेशन विधान सभा का हो उसके सामने पूरक बजट के रूप में प्रस्तुत किया जाय। लेकिन मुझे ऐसी शंका है कि सरकार ने यह जानते हुये भी नहीं किया क्योंकि ऐसा करने में ४ पूरक बजट लाने पड़ते। तो इस क्रिटिसिज्म को ऐवायड करने के लिये सरकार ने यह कार्य किया लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिये क्योंकि यह नियमों की अवहेलना है।

इसके बाद मैं कुछ आपको इसके आश्चर्यजनक तथ्यों की ओर ले जाऊंगा और वह यह है कि आज तक तो पूरक अनुदान थे इसमें एक्सेस एक्स्पेंडीचर जो कि डिपार्टमेंटों का होता था उसकी संख्या कम थी लेकिन अब की बार जो आया है इसमें इस प्रकार के एक्सपेंडीचर की जो रकम रखी गई उसका अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता और अब डिपार्टमेंट का खर्च बहुत ज्यादा हो गया जैसे मिसाल के लिये अनुदान संख्या ४०, सिविल सप्लाईज को लीजिये। इसमें आप यह देखेंगे कि २६ लाख ४८ हजार रुपया ज्यादा लिया जा रहा है इस पूरक अनुदान के जरिये से। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ६ महीने में वह रुपया खत्म हो गया जो हमारे मूल बजट में मांगा गया था। इस्टीमेट्स इतने गलत साबित हुये कि उन्हें अब २६ लाख रुपये डिपार्टमेंट के खर्चे के लिये पे आफ आफिसर्स, पे आफ इस्टेब्लिशमेंट, और एलाउंसेज के लिये मांगने पड़ रहे हैं यानी मामूली खर्चे के लिये जिसको साधारण रीति से अन्दाज डिपार्टमेंट लगा सकता था कि इतना रुपया हमारे आफिसरों और नौकरों की तनख्वाह और भत्ते वगैरह में लगेगा। इसी प्रकार आप देखेंगे कि गंगा ग्रिड में कितनी केपिटल

आउटले होगी, कितना डेप्रिशियेशन फंड होगा इसका अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता। यह साफ कर दिया गया था कि डेप्रिसियेशन फंड २ परसेंट के हिसाब से मुकर्रर किया जायगा हिसाब की साधारण बात थी कि गंगा ग्रिड में कैप्टिल आउटले कितनी है और दो परसेंट से डेप्रिसियेशन फंड कितना होगा लेकिन हिसाब के बावजूद डेप्रिसियेशन फंड में अब ४ लाख ७ सौ रुपया और मांगा जा रहा है जो कि कम हो गया है।

इसी तरह से हमारे आदरणीय राज्यपाल महोदय के साधारण खर्चे का भी हिसाब गलत लगाया। उनकी कार के लिये, उनके यहां पर्दों के लिये और जो दीगर छोटे मोटे आइटम्स हैं उन पर भी खर्च का अन्दाजा ठीक नहीं लगाया जा सका उसके लिये भी ६१,६०० रुपया अधिक मांगा जा रहा है। यही हाल पब्लिक सर्विस कमीशन और उसके कर्मचारियों की तनख्वाहों वगैरह के सम्बन्ध में भी है। इससे यह साबित होता है कि आर्डिनरी एक्सपेंडीचर इस्टेब्लिशमेंट पर होता है उसमें भी सरकार के सही एस्टीमेट्स नहीं होते।

इसके बाद आप यह देखेंगे कि इनकम यानी आमदनी के सम्बन्ध में भी सरकार के एस्टीमेट्स सही नहीं होते। जैसा कि साफ है कि मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट से १४ लाख रुपया ज्यादा प्राप्त हुआ जिसको कि यू० पी० रोड फंड में ट्रान्सफर किया जा रहा है। इसके बाद अगर गवर्नमेंट स्टेट फार्म्स को आप देखें तो उससे साफ जाहिर हो जाता है कि गवर्नमेंट के एस्टिमेट्स कितने गलत होते हैं। पूरक अनुदान और मूल बजट के जरिये गवर्नमेंट स्टेट फार्म्स के लिये ५३–५४ और ५२–५३ में ५,३३,००० रुपये गवर्नमेंट स्टेट फार्म्स में नालियां, बनाने के लिये, सिंचाई का इन्तजाम करने के लिये ग्रान्ट किये जा चुके हैं यानी तीन बार रुपया पूरक और मूल बजट में ग्रान्ट कर चुके हैं और अब फिर ७८,५०० रु० गवर्नमेंट स्टेट फार्म्स को सिंचाई के लिये और पुलियां और नहरें बनाने के लिये मांगा गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार के एस्टिमेट्स बनाने का ढंग, आर्डिनरी इस्टेब्लिशमेंट के खर्चे का नियत करने का भी ढंग ठीक नहीं है।

इसके बाद मैं आपके सम्मुख इसमें पुलिस विभाग के सम्बन्ध में जिस प्रकार से अनुदान बनाये गये हैं और प्रस्तुत किये गये हैं उसके सम्बन्ध में कुछ आलोचना करना चाहता हूं। आप यह देखेंगे कि जेल ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ८ लाख ७० हजार रुपये मांगे गये हैं। जब सरकार को यह मालूम था कि जेल पुलिस बढ़ रही है, जेल की बैरिकों की हालत ठीक नहीं है और जेल ऐडमिनिस्ट्रेशन में जिस प्रकार खर्चा बढ़ रहा है उसके बारे में इस माननीय सदन में कई बार माननीय सदस्यों ने कहा भी है, लेकिन इसमें केवल डिस्ट्रिक्ट जेल के ऐडमिनिस्ट्रेशन के लिये ही, ५,५४,९०० रु० का खर्च बढ़ाया गया। इसी प्रकार पुलिस के आर्म्स ऐड एम्युनिशन के लिये पिछले साल रुपया रक्खा गया था और उसको बन्दूक और बारूद खरीदने में खर्च किया गया। उस ३ लाख ६० हजार रुपये को पिछले साल ही मूल बजट में आ जाना चाहिये था, लेकिन उसको इस पूरक बजट में लाया गया। तो मैं ये सब उदाहरण इसी लिये दे रहा हूं ताकि सरकार इस पूरक बजट के महत्व को समझे। हम इस पूरक बजट का वहां तक स्वागत करते जहां तक यह ऐसी विकास योजनाओं को पूरा करने के लिये लाया जाता जो कि फाइव ईयर प्लान के टार्गेट्स को पूरा करने के लिये लाया जाता, लेकिन आप यह देखेंगे कि इसमें बहुत ही कम ऐसी आइटम्स हैं जोकि फाइव ईयर प्लान के टार्गेट्स को पूरा करने के लिये लाये गये हैं। सिंचाई के सम्बन्ध में कुछ प्रयत्न जरूर किया गया है ग्रान्ट नं० ४२ में। ऐसी ही एक और सुन्दर बात इसमें है। वाल्मीकी भाइयों के क्वार्टर्स बनाने के लिये स्कीम इसमें है। ये दो एक स्कीम्स इसमें बहुत अच्छी हैं। लेकिन हम इस पूरे बजट का स्वागत नहीं कर सकते जब तक कि फाइव ईयर प्लान के टार्गेट्स को पूरा करने के लिये इसको

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

न बनाया जाय और अपनी वित्तीय गलतियां यानी एक्सेस एक्सपेंडीचर कांटिजेंसी फंड में से लेने के गलत सिद्धान्त को न छोड़ा जाय। तो मैं अन्त में सरकार से यही निवेदन करूंगा कि वह वित्तीय नियंत्रण को और अच्छा करे, सुदृढ़ करे और वित्तीय परम्पराओं के अनुसार कार्य करे। विकास योजनाओं के लिये यदि पूरक बजट लाया जाय तभी उसका कोई उचित नियंत्रण या नियमन हो सकता है। अपनी गलतियों को सुधारने के लिये या बजट का बैलेन्स बढ़ाने के लिये या किसी डिपार्टमेंट में बचत करके दूसरे डिपार्टमेंट में खर्च पूरा करने के लिये पूरक बजट भविष्य में न आये, यही मेरा सरकार से निवेदन है।

महाराजकुमार बालेंदुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सप्लीमेंटरी बजट के सिलसिले में अध्ययन करने के बाद बहुत से लोगों से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की और विशेषकर एक समस्या जो मेरे सामने है उसका उत्तर मैंने बहुत से लोगों से जानने की कोशिश की, परन्तु मुझे उस प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं मिला। जहां तक यह प्रश्न है कि क्या यह सप्लीमेंटरी बजट जरूरी है या नहीं, किन वाकयात और किन घटनाओं के कारण सप्लीमेंटरी बजट सरकार पेश करती है और इसी किस्म के जो प्रश्न हैं उनका उत्तर तो मिला। चाहे मुझे सन्तोषजनक लगा हो या न लगा हो किन्तु मुझे इस प्रश्न का, कि मेन बजट याने मुख्य बजट आने के ६ दिन पहले सप्लीमेंटरी बजट पेश करने की क्या आवश्यकता थी, क्या मतलब है समझ में नहीं आया। यदि सप्लीमेंटरी बजट सितम्बर के महीने में लाया गया होता, जैसा कि पिछले साल लाया गया तो मैं समझ सकता था कि उसकी क्या आवश्यकता थी। मुख्य बजट में कुछ एडजस्टमेंट की आवश्यकता पड़ी होगी। १९५४-५५ के मुख्य बजट में जो कुछ कमी रही होगी उसको दूर करने के लिये, यह मैं समझ सकता हूं कि सप्लीमेंटरी बजट सितम्बर के महीने में लाया जाय। उसके द्वारा उसकी कमियां दूर की जा सकती थीं और की गई होंगी। किन्तु इस सप्लीमेंटरी बजट के द्वारा जो कि आज मुख्य बजट के पेश होने के ६ दिन पहले, हमारे सामने पेश किया गया है, क्या मतलब है मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाया और अपनी कम बुद्धि के अनुसार उसका केवल एक ही मतलब मैं लगा पाया कि इस सप्लीमेंटरी बजट के द्वारा मुख्यतः सरकार ने जो कंटिजेंसी फंड या जो और एक्सपेंसेस इंकर कर लिये हैं उनके लिये आज इस सदन का सैंक्शन मांग रही है।

अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंटरी बजट की चर्चा अधिक करना उचित नहीं। पिछली बार जो कुछ इस सम्बन्ध में कहा गया था वही इस बार फिर दोहराना होगा और मैं समझता हूं कि वह न तो उचित ही है और न आवश्यक ही किन्तु इतना मैं अवश्य कहूंगा कि यह सब को मालूम है कि राज्य शासन चलाना और राज्य शासन चलाने के लिये बजट बनाना यह कोई बहुत सरल काम नहीं है। बहुत बड़े फाइनेंसेज का इसमें सम्बन्ध रहता है और इसके बिल्कुल एक्जैक्ट फीगर्स या कैलकुलेशन्स बिल्कुल सही हों ऐसे कि जिनमें परिवर्तन करने की आवश्यकता कभी न पड़े, मैं समझता हूं कि ऐसा किसी का विचार नहीं होगा। किन्तु फिर भी यह सभी से आशा की जाती है और सरकार से भी यही आशा की जाती है कि यथासंभव वह अपना बजटिंग सही रखे और इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बार फिर दुःख प्रकट करना पड़ता है कि हमारी सरकार पब्लिक एकाउटन्स कमेटी के महत्व को पूरी तरह समझ नहीं पाई या समझते हुए भी उसको महत्वपूर्ण स्थान नहीं देती। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट कई महीनों से इस सदन के एजेन्डे में छप रही है और हर बार किसी दूसरे विषय को उसके ऊपर प्रायरिटी मिल जाती है। इस बार भी पिछले वर्ष का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, अध्यक्ष महोदय, जो रिपोर्ट पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की इस

सदन के सामने आने वाली है वह १९५०–५१ की है और उस पर भी अभी तक विचार नहीं हो पाया है। इसका जिक्र मैं इसलिये कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, कि यदि इस सदन को पब्लिक एकान्ट्स कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करने का अवसर प्राप्त हो गया होता तो इस सप्लीमेंटरी बजट के सम्बन्ध में जो उत्तर प्रदेश के एकाउन्टेन्ट जनरल साहब की शिकायतें रही हैं, जो उन शिकायतों पर का उत्तर डिपार्टमेंट्स के हेड्स के द्वारा उनको मिले हैं, और जो एकाउन्टेंट जनरल साहब की शिकायत और सरकारी डिपार्टमेंटस के ऐक्सप्लेनेशन पर पब्लिक ऐकाउन्ट्स कमेटी ने जो विचार किया और निर्णय किया और उस पर इस सदन को विचार करने का अवसर प्राप्त हो चुका होता। यह न होने के कारण हममें से बहुतों सों को यह मालूम नहीं है कि सप्लीमेंन्ट्री बजट्स द्वारा सरकार, मैं यह तो नहीं कहूंगा कि सप्लीमेंट्री बजट्स का दुरुपयोग कर रही है किन्तु मैं यह अवश्य कहूंगा कि सप्लीमेंट्री बजेट्स पेश करके सरकार अपनी कमजोरी दिखा रही है, कमजोरी इस पर नहीं कि किसी के साथ वह पक्षपात कर रही है, पर इस बात पर अवश्य कमजोरी दिखा रही है कि सरकार की ऐक्सपेंसेज के ऊपर रोकथाम बहुत हल्की है। अध्यक्ष महोदय, इस पूरी किताब को अगर देखा जाय तो अधिकतर सप्लीमेंट्री बजट उन विषयों पर लाया गया है जिन पर खर्चा हो चुका है। उन मदों पर खर्चा होने के बाद इस असेम्बली की और सदस्यों की सैंक्शन मांगना मैं समझता हूं कि लेजिस्लेटिव सैंक्शन का एक मजाक उड़ाना है। किसी विषय पर खर्च करने का विचार हो। उसके सम्बन्ध में इस सदन के सदस्यों और सदन की राय और सैंक्शन मांगी जाय तो मैं समझता हूं कि सही रूप से लेजिस्लेटिव सैंक्शन का मतलब लगाना होगा किन्तु जिस मद पर खर्च हो चुका है और जिस मद पर इस लेजिस्लेटिव असेम्बली के सामने और कोई उपाय नहीं कि वह उसके लिये अपनी रजामन्दी दे, मैं समझता कि यह किसी रूप से खर्चे के लिये लेजिस्लेटिव सैंक्शन लेना नहीं हुआ।

माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने अन्त में अपने भाषण में चन्द ग्रान्ट्स केहू सिलसिले में और चन्द स्कीमों के सिलसिले में यह राय प्रकट की कि यह स्कीम्स अच्छी हैं और इसलिये उन्होंने उसकी प्रशंसा की। मैं भी मानता हूं कि इस सप्लीमेंट्री बजट द्वारा कई एक अच्छी स्कीम्स सामने रखी गयी है किन्तु इस समय हमें यह नहीं सोचना है कि फलां स्कीम अच्छी है या बुरी। जो प्रश्न हमारे सामने इस समय है वह केवल यह है और मैं उसको दोहराता हूं कि जब कि हमारे सामने मुख्य बजट आने वाला है तो सरकार के सामने क्या आवश्यकता थी ? किन कारणों से सरकार को यह अनिवार्य हो गया था कि वह इस सप्लीमेंटरी बजट द्वारा उन स्कीम्स को चलावे ? आखिर यह तो मानी हुई बात है कि सरकार की जो भी पालिसी हो और जिन स्कीम्स पर सरकार महत्व देना चाहती है, या जिनको चलाना चाहती है वह एक संगठित रूप से इस सदन के सामने तथा इस प्रदेश की जनता के सामने आनी चाहिये। इस हैफहैजर्ड मैनर, यदि मुझे मंत्री महोदय क्षमा करेंगे इस शब्द के प्रयोग के लिये, किन्तु और कोई शब्द मुझे उचित नहीं प्रतीत होता कि बजट और इसके साथ सप्लीमेंट्री पेश करना वास्तव में बड़ा ही हैफहैजर्ड मैनर दीखता है और इससे प्रतीत होता है कि मंत्री महोदय केवल मात्र उसमें वित्त मंत्री महोदय की उसमें गलती नहीं, मैं तो समझता हूं कि उनका एक बड़ा ही थैंकलैस जाब है। इतनी बहुत सी ग्रान्ट्स में जिनके ऐडमिनिस्ट्रेटिव आफ़िसर्स अलग-अलग हैं, जिनके सम्बन्ध में अलग-अलग मंत्री महोदय हैं और उनको सबके ऊपर कोआर्डिनेशन करना, मैं समझता हूं कि वास्तव में वित्त मंत्री के लिये एक थैंकलेस जौब है। लेकिन जब तक वह इस पोर्टफोलियो को रखते हैं तब तक उनको यह कमजोरी मालूम होती है कि वह यह आवश्यक समझते हैं कि बार-बार इस सदन के सामने सप्लीमेंटरी बजट्स लावें। अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंट्री बजट्स वही आने चाहिएं जैसा कि एक इस्टैब्लिश्ड सिद्धान्त सा है और वह हमारे बजट के इंट्रोडक्ट्री पैराग्राफ्स में भी संकेत कर दिया गया है, कि या तो किसी सेविंग्स में से टोकेन ग्रान्ट द्वारा पैसा नये काम के लिये हो या फिर कोई अनफोरसीन एक्स-

[महराजकुमार बालेन्दुशाह]

पैसेज हों उनके सिलसिले में सरकार इस सदन की रजामन्दी मांग सकती है। जहां तक कि सेविंग्स द्वारा नयी स्कीम्स का चलाना है। मैं समझता हूं कि सितम्बर के सप्लीमेंट्री बजट में अगर यह रखा जाय तो वह स्कीम्स काम में लायी जा सकती हैं। सितम्बर में यदि सप्लीमेंट्री बजट द्वारा हमारी राय मांगी जाय.....

श्री अध्यक्ष—सदन में बातें ज़रा जोर से हो रही हैं, शान्ति से भाषण जरा सुन लें।

महाराजकुमार बालेंदुशाह—जिस खर्चे के लिए सितम्बर में सप्लीमेंट्री बजट द्वारा सदन की रजामन्दी मांगी जाती है, वह तो हमारी समझ में आ सकता है कि वह उसी फाइनेंशल ईयर में उस पैसे का लाभ और उस रकम का चालू होना समझा जा सकता है। किन्तु यहां इस महीने में और आगामी बजट के ६ ही दिन पहले यदि किसी नयी स्कीम के लिए सदन की रजामन्दी मांगी जा रही है तो मैं समझता हूं, वह एक गलत बात है और उसके सिलसिले में यह उचित होता कि माननीय मंत्री जी उस स्कीम को इस सप्लीमेंट्री में न रखकर आगे जो मुख्य बजट आने वाला है उसमें उसको सम्मिलित कर देते। दूसरी परिस्थिति जिसमें सप्लीमेंट्री बजट लाया जाता है यानी कि नयी स्कीम्स को और अधिक पैसा मांग कर चलाना, उस सिलसिले में भी मैं यही कहूंगा कि सितम्बर के सप्लीमेंट्री बजट में वह बात समझी जा सकती है किन्तु इसमें वह भी नहीं समझी जाती। अधिक न कह कर अध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में यही कहूंगा कि हालांकि सप्लीमेंट्री बजट्स जैसा मैंने आरम्भ में कहा था, आज कल के राज्य शासन में आवश्यक माने गये हैं और खास कर के जब कि इतना पैसा खर्च किया जा रहा है चाहे वेलफेयर स्टेट कायम करने के सिलसिले में, चाहे किसी और कारण। तो मैं समझता हूं कि एक बहुत ही टाइट और एक्यूरेट बजेटिंग असम्भव सी बात है किन्तु फिर भी यथाशक्ति यह चेष्टा होनी चाहिये कि बजेटिंग अधिक से अधिक टाइट होती रहे और अन्त में मैं यही दोहराऊंगा कि मंत्री महोदय पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट को यहां यथाशीघ्र लावें ताकि उस पर विचार करने के बाद और उसकी जांच करने के बाद सदस्यगण को यह स्पष्ट रूप से प्रतीत हो जाय कि किन कारणों से सरकार का जो खर्च है वह ढीला हो रहा है, किन कारणों से सैंक्शन्ड एमाउंट्स से अधिक खर्च होने के बाद सरकार इस अजीब परिस्थिति में अपने आपको पाती है कि खर्च एक तरफ तो हो गया है मगर साथ ही साथ लेजिस्लेटिव सैंक्शन लेने के नाम में उस हुए खर्च के सम्बन्ध में इस सदन की रजामन्दी और स्वीकृति प्राप्त कर रही है। यह एक गलत बात है और डेमोक्रेटिक सेट-अप में लेजिस्लेटिव सैंक्शन का एक मजाक उड़ाना है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सी बातें जो मैं कहना चाहता था वह माननीय बालेन्दुशाह जी ने कह दी हैं और मैं भी यही समझता हूं कि अगर पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट इस सदन के सामने आ गई होती और उस पर बहस हो गयी होती तो बहुत सी बातें हमारी साफ़ हो गई होतीं। मैंने बहुत दफे माननीय वित्त मंत्री जी को यह कहते हुये भी सुना कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट कहीं भी किसी लेजिस्लेचर के अन्दर डिस्कस नहीं हुई हैं। मैंने उस पर भी और जो लेजिस्लेचर्स हैं, उनमें क्या होता है, और ब्रिटिश पार्लियामेंट के अन्दर क्या होता है, उस पद्धति को भी देखा और मैं माननीय वित्त मंत्री जी को अभी बताने के लिये तैयार हूं कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की जो रिपोर्ट होती है उस पर हाउस के अन्दर बहस हो सकती है और मुझे आशा है कि जब उस रिपोर्ट के ऊपर इस हाउस के अन्दर विचार होगा तो

जो बहुत सी हमारी दिक्कतें हैं और-और चीजें हैं जो हम चाहते हैं कि उन पर हमारे कंट्रोलिंग आफिसर्स और हमारी गवर्नमेंट अच्छी तरह से विचार करे। क्योंकि डेमाक्रेसी में फाइनेंशयल कंट्रोल ही सबसे महत्व की चीज है। अध्यक्ष महोदय, हिटलर ने अपनी रेजीम में जब अपने फ़ासिज्म को चलाने की बात की, तो सबसे पहला जो उन्होंने काम किया वह यह कि आडिटर जनरल जो वहां का होता था उसकी पोस्ट को उन्होंने अबालिश कर दिया ताकि वह जिस तरह से चाहें रुपया खर्च कर सकें। आज हमारे कांस्टीट्यूशन में एक कम्ट्रोलर ऐण्ड आडिटर जनरल की जो इंडिपेंडेंट पोजीशन है उसी की वजह से जो हमारे कंट्रोलिंग आफिसर्स हैं, जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं वह उन्हीं से डरते हैं कि कोई फाइनेंशयल इर्रेगुलरिटी न हो जाय जिसकी वजह से उन्हें कोई मुसीबत उठानी पड़े। मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, इस समय सप्लीमेंटरी बजट लाने का मंशा हमारे डिपार्टमेंन्ट्स का इसलिये होता है कि वह समझते हैं कि अगर हम ऐक्सेस कमिट कर दें, अगर लेजिस्लेचर ने जो रुपया हमें पास करके दिया उससे ज्यादा खर्च कर देंगे तो कांस्टिट्यूशन ब्रोच होजाता है, इसलिये उसको अवायड करने की वह डिपार्टमेंट कोशिश करते हैं। पर इस ओवर एंथुजियाज्म में वह सप्लीमेंटरीज की इस तरह से मांग लाते हैं कि साल के अन्त में सारे डिपार्टमेंट की सेविंग हो जाती है और हमारे सामने जो डेफिसिट बजट का प्राविजन गवर्नमेंट बराबर रखती चली आ रही है कि ८२ करोड का बजट होता है तो उसमें से ७२ करोड़ ही खर्च हो पाता है, उसकी जरूरत ही क्या है ? डेफिसिट बजट की सरकार को कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिये। होता क्या है कि सेविंग्स दिखाने के लिये रुपया ज्यादा ले लेते है और कहते हैं कि रुपया बचा दिया। सैंक्शन नहीं मिली, फाइनेंशयल डिपार्टमेंट ने देर कर दी, मार्च में सैंक्शन मिली, इसलिये खर्च नहीं कर पाये, इस तरह की बातें को जानती हैं। एक्सेस के लिये उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है, इसलिये वह सम्प्लीमेन्टरी बजट लाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, जो सप्लीमेन्टरीज आज हमारे सामने हैं, बहुत से ऐसे हैं जो नये आइटम्स हैं और सिर्फ टोकेन ग्रान्ट्स हैं। बहुत से ऐसे हैं कि सेविंग्स हैं, उनसे मीट कर लेंगे, सिर्फ टोकेन ग्रांट्स की जरूरत है। हमारे डिपार्टमेंट्स की यह आदत पड़ गयी है कि बहुत ज्यादा रुपया मांग लेते हैं और फिर साल के बजट के अन्दर जिन चीजों पर खर्च करना चाहते हैं उनपर नहीं करते हैं। बीच में एक नयी स्कीम ला देते हैं, उनपर खर्च भी कर देते हैं, उनके पास ही उन्हीं की ग्रान्ट से अगर कुछ रुपया निकलता है तो एक हेड से दूसरे हेड में एप्रोप्रिएट कर देते हैं, लेकिन अगर नया डिमांड होता है तो सप्लीमेंटरी डिमांड एक टोकेन की तौर पर मांग लेते हैं और नयी स्कीम चला देते हैं और अगर कहीं डिमांड में रुपया नहीं बचता है तो कांन्टींजैन्सी में से रुपया ड्रा कर लेते हैं और स्कीम चालू रखते हैं, जैसा कि बालेन्दुशाह जी ने कहा। कांटिजेंसी से रुपया निकाल कर खर्च कर दिया और इस हाउस में डिमांड पेश कर दी ताकि हाउस मजबूर हो जाय कि आलरेडी रुपया खर्च कर दिया गया है, तो उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं है सिवाय इसके कि उसको पास करे। अध्यक्ष महोदय, इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे जो कंट्रोलिंग आफिसर्स होते हैं उनका कोई कंट्रोल खर्चे पर नहीं है, उनकी दिक्कत भी है। इंगलैंड में सिस्टम यह है कि किसी डिपार्टमेंट की जो ग्रांट होती है उसमें जितना रुपया उसे दिया जाता है, उससे ज्यादा वह एक पैसा विड्रा नहीं कर सकता है, क्योंकि जो एक्सचेकर होते हैं उनके पास लिखा रहता है कि इस डिपार्टमेंट का इतना रुपया खर्च हुआ है, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता है, तो जिस दिन उनका एमाउन्ट पूरा खर्च होता है उसके बाद अगर वह कोई चेक भी ईश्यू करें तो वह कैश नहीं होता है, डिस्आनर हो जाता है। अगर यही सिस्टम हमारे यहां भी प्रचलित किया जाय और डिपार्टमेंट की जितनी ग्रान्ट्स होती हैं और जितने कंट्रोलिंग आफिसर्स होते हैं उनके पास एक-एक अकाउन्टेन्ट रहें जो अकाउन्ट को कंट्रोल किये रहें और इस बात का पता होता रहे कि डिस्ट्रिक्ट्स में कितना खर्चा हो रहा है, कितनी बचत हो सकती है, कितनी सेविंग्स हो सकती है, और कितनी नई स्कीमें ली जा सकती हैं। उनका अकाउन्ट अगर हमारे किसी अकाउन्टेन्ट के पास रहे तो मैं समझता हूं कि कहीं पर भी एक्सेस की बात की शंका तो

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

हो ही नहीं सकती और कंट्रोलिंग आफिसर्स का चेक भी हो जायगा। इसलिये हमारी पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी ने अपना एक सजेशचन रखा था कि हमारे यहां सेपरेशन आफ आडिट डिपार्टमेंट फ्राम दि अकाउन्ट्स होना चाहिये। हमारे यहां ए० जी० ही अकाउन्ट्स रखवाते हैं और वही आडिट कराते हैं तो इससे दिक्कत हो जाती है। पहले हमारे यहां सिस्टम था लेकिन बाद में बंद कर दिया गया। अब पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी ने जो सजेशचन दिया है, मुझे आशा है कि उस पर सरकार विचार करेगी ताकि अकाउन्ट्स ठीक तरह से रह सकें और बजटिंग भी ठीक तरह से हो सके।

अध्यक्ष महोदय, टेक्नीकल बातों की तरफ तो जब कि पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट पर बहस होगी उस पर उस समय विचार करूंगा आज तो जिन-जिन चीजों के लिये रुपया मांगा गया है, उसकी आवश्यकता थी या नहीं इस पर विचार करने के लिये हम लोग यहां बैठे हैं। सबसे महत्वपूर्ण विभाग किसी भी गवर्नमेंट का प्रचार विभाग होता है जिसे इन्फारमेशन डिपार्टमेंट कहते हैं क्योंकि अगर इससे कोई आंकड़े या सूचना गलत निकल जाय कि इस प्रदेश में क्या हुआ है तो ठीक नहीं है। क्या-क्या हमारे यहां हुआ है, हमारा प्रदेश स्वर्ग बना है या नरक बना है, इसको हमारा सूचना विभाग ही जनता के सामने रख सकता है। इसलिये पहले तो सरकार ने डिस्ट्रिक्ट इंफारमेशन आफिसर्स रखे थे। वह गजटेड आफिसर्स होते थे। लेकिन बाद में सरकार ने इस पोस्ट को खत्म कर दिया और यह काम प्लानिंग विभाग के आफिसरों पर डाल दिया गया। यह ज्यादा खराब बात नहीं थी क्योंकि इसका प्रचार करना उनका ही काम था। इन सब चीजों के बताने का काम इन्फार्मेशन डिपार्टमेन्ट का ही था और इसलिये उनका असोसियेशन प्लानिंग डिपार्टमेंट के साथ होना गलत नहीं था। आज एक दम नवम्बर मास से फिर इन्फार्मेशन आफिसर्स रख दिये गये हैं। एक इंफार्मेशन आफिसर के साथ काफी स्टाफ भी रहेगा। जेनरेटर्स भी हैं और सिनेमा दिखाने वाले प्रोजेक्टर्स भी हैं लेकिन वह चलते बहुत कम हैं। लाउड स्पीकर्स भी न जाने इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट के पास किस बाबा आदम के जमाने के हैं। आजकल जो लेटेस्ट सेट्स हैं वह कभी फेल नहीं होते हैं लेकिन यह जहां भी जाते हैं वहीं फेल हो जाते हैं और फिर बाजार से किराये पर लेने पड़ते हैं। हमारे यहां से मिनिस्टर्स जाते हैं और यह लाउड स्पीकर्स फेल हो जाते हैं। इसके अलावा जो बिजली के जेनरेटर्स हैं वह ऐसे हैं कि उत्तर प्रदेश के गांवों में ले जाये जाते हैं मोटरों में और वहां जाकर साढ़े छै बजे से शुरू होता है तो सात या साढ़े सात बजे वह फेल हो जाता है और सारी जनता निराश होकर लौट जाती है। यह चीज पब्लिक के सामने होती है, कोई छिपी नहीं है। लेकिन फिर भी इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट इनको रखे हुये हैं। हम चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है इसका जनता में प्रचार हो जिससे जनता को मालूम हो कि हमारे यहां क्या हो रहा है। लेकिन होता कुछ नहीं है और हमारा सारा रुपया बेकार के लिये खर्च होता है मैं यह आशा करूंगा कि इन्फार्मेशन डिपार्टमेन्ट जो माउथपीस है इस गवर्नमेंट का उसकी हालत तो कम से कम कुछ अच्छी होनी ही चाहिये। इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट के पास इतनी भारी कंटिंजेन्सी है कि जो चाहें खर्च कर लें आडिटर को कभी आब्जेक्शन नहीं हो सकता है। ए० जी० परेशान है कि क्या आब्जेक्शन लगायें। सब को बाजार से मिठाई खिलाइये और एक रसीद लिख दीजिये, कुछ नहीं हो सकता। फिल्म बनाने में कितना खर्च हुआ, लाउड स्पीकर्स पर कितना खर्च हुआ, इन सबको तो अब बहुत दिन हो गये, इस सब का हिसाब तो रखा जा सकता है। कम से कम ऐसा करें ताकि ए० जी० को भी मौका मिले कि वह चेक कर सके और आब्जेक्शन लगा सके वरना वह कहते हैं कि रसीद तो मिल ही जाती है फिर आब्जेक्शन किस बात का कर सकें? इसलिये मैं समझता हूं कि इन्फार्मेशन आफिसर्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इनके बन्द हो जाने से गवर्नमेंट को लाखों रुपये की बचत होगी। प्लानिंग डिपार्टमेंट का यह काम है कि जिले के अन्दर क्या-क्या काम हुआ उसका जगह जगह प्रचार किया जाय। मैं समझता हूं कि इन्फार्मेशन आफिसर्स

रखने के लिये जो यह रुपया मांगा गया है चाहे वह उस डिपार्टमेंट की सेविंग्स में से ही क्यों न हो फ़ज़ूल खर्च है। फ़ज़ूल खर्च में अगर सरकार सेविंग करे तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा होगा।

अध्यक्ष महोदय, यह भी कहा जायगा कि किसानों को तकाबी के लिये २ करोड़ १० लाख रुपया खर्च किया गया। किसानों का नाम लेकर तो सभी एक्सप्लायट करते हैं लेकिन इन किसानों को मिला क्या है? बड़े-बड़े लोगों को ट्रैक्टर्स भी मिल जाते हैं लेकिन किसान जो परेशान हैं, जिनके यहां पानी नहीं बरसा है, जिनके यहां बाढ़ आने से सारी ज़मीने बह गयी हैं, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इन रुपयों में से कितना रुपया इन गरीब किसानों को मिला है जिसकी दुहाई इस सदन में दी जा रही है।

कोआपरेटिव बैंक्स के लिये सरकार रुपया क़र्ज दे रही है इसलिये कि जिले में उन्होंने आटा, चावल और कपड़ा बहुत ज्यादा खरीद लिया। क्यों यह दुकान की गयी आटा चावल की? आप बाजार के बनियों को क्यों नहीं दे देते हैं फ्री आफ़ इंटरेस्ट। कोआपरेटिव बैंक्स को इसलिये रुपया दिया जा रहा है कि आटा चावल की जो दुकान खोल रखी है उसमें अगर कोई घाटा होगा तो वह पूरा किया जायगा। कोआपरेटिव बैंक्स का काम यह था कि किसानों की खेती के लिये मदद करें, उसकी और जरूरतों को पूरा करने के लिये मदद करें। लेकिन आज किसानों को अगर शादी व्याह के लिये रुपये की जरुरत होती है या खेती के काम के लिये रुपये की जरूरत होती है तो उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि वह सूदखोर के पास जाय और उसे बहुत ज्यादा सूद देना पड़ता है। जब कोआपरेटिव विभाग आयेगा तो बड़ा लम्बा, चौड़ा, इतने करोड़, इतने लाख और इतनी सोसाइटियां कायम की हैं, कह देंगे। लेकिन जरा उनसे पूछा जाय कि क्या यह कोआपरेटिव सोसाइटियां अपने गांव में रहने वालों को क़र्जा भी देती हैं? किसी तरह से उनकी सहायता भी करती है? अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि अगर कोआपरेटिव बैंक को गवर्नमेंट रुपया देती है तो सिर्फ इसलिये देती है कि जो हमारे गरीब किसान हैं, जो कोआपरेटिव सोसाइटियां गांवों में कायम किये हुये हैं ताकि गरीबों को सूदखोरों के पास न जाना पड़ा उनको सहायता देने के लिये हैं।

जहां तक हार्टिकल्चर का सम्बन्ध है, अध्यक्ष महोदय, उसके लिये एक नयी चीज रोज हम सुनते हैं और शायद हमारे माननीय मंत्री या बहुत से सदस्य शायद समझते होंगे कि पहाड़ों के अन्दर हार्टिकल्चर हो रहा है। सारा रुपया पहाड़ों को ही चला जा रहा है। जब आंकड़े पढ़ेंगे तो निकलेगा कि इतने लाख पेड़ मलबरी के, इतने लाख पेड़ सेब के, इतने लाख पेड़ नाशपाती के लगा दिये। लेकिन कोई नर्सरी उनके पास नहीं है जहां पर वह पेड़ होते हों। सिर्फ अपना प्रोपेगैंडा करने के लिये पेड़ लगा दिये। मैं पूछना चाहता हूं कि वह पेड़ आये कहां से? नर्सरी तो उनके पास है नहीं जहां पर पेड़ उगाये जा सकते हैं। तो अध्यक्ष महोदय, किया क्या? अपने विभाग का प्रोपेगन्डा करने के लिये जितने रद्दी कूड़ा कबाड़ पेड़ जहां से मिले उनको खरीद कर लगाया गया। चार पांच साल के अन्दर जब फल आयेंगे और रद्दी फल आयेंगे जिन्हें कोई खायेगा नहीं, उस वक्त जनता मारने के लिये उठेगी तब पता चलेगा कि इस प्रदेश में कितना डेवलपमेंट हुआ है। मैंने भी सरकार की नर्सरी से एक नीबू का पेड़ लेकर लगाया यह समझ कर कि इसमें बढ़िया माल्टा होगा। तीन चार साल हमने उसमें बड़ी मेहनत की, हड्डी की खाद वगैरह सब डाली। इस साल जब फल आये, मैंने उन्हें रख छोड़ा है, अगर कोई साहब देखना चाहें तो देख सकते हैं, उसके फल ऐसे हैं कि जिन्हें कोई खा नहीं सकता। (एक सदस्य—आप की जमीन का असर होगा।) हो सकता है कि हमारी जमीन का असर हो या सरकार के हाथों का असर हो, या झूठे प्रोपेगैंडा का भी असर हो सकता है। इसलिये मैं पूछना चाहता हूं कि इस झूठा प्रचार करने से क्या लाभ? अगर आप के पास पेड़ नहीं हैं तो कह दीजिये कि पेड़ हमारे पास नहीं हैं। पहले नर्सरी में पेड़ पैदा करने चाहिये। जब तक पेड़ पैदा नहीं होंगे तब तक पेड़ कैसे लगेंगे? हमारे यहां डिपार्टमेंट का नाम है "डाइरेक्टरेट आफ फ्रूट यूटिलाइजेशन" हंसी की बात है। फ्रूट यूटिलाइजेशन? यूटिलाइजेशन अपना सर करते हैं। वहां फल पैदा ही नहीं हुए यूटिलाइजेशन क्या करें? पहले तो डाइरेक्टोरेट आफ फ्रूट डेवलपमेंट होनी चाहिये हुआ क्या? हमारे एक

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

फारेन एक्सपर्ट हैं। उन्होंने कह दिया कि रामगढ़ के अन्दर फैक्टरी खुलनी चाहिये। और यह यह मशीनरी होनी चाहिये। वह मशीनरी वगैरह सारी बाहर से ले आये। जब मैंने पूछा कि क्या फ्रूट यूटिलाइजेशन आप कर रहे हैं? तो धीरे से कहने लगे कि इस साल पहाड़ों में बहुत रश हो गया, रानीखेत में एन० सी० सी० का कैम्प पड़ गया इसलिये फल रहे ही नहीं अब आप देखिये कि कैसे फल हो रहे हैं? वैसे ही फल हो रहे हैं जैसे मेरे बगीचे में हो रहे हैं। हम क्या जाने कि पेड़ कैसा है? यह तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बतला सकता है। जब उनसे नाम पूछिये तो सैकड़ों नाम गिना देते हैं और फलों की यह हालत हो रही है। हम लोग किसको पकड़ें? हम लोग तो वहीं रहेंगे और सरकारी अफसर तीन साल में बदल जाता है। वह तो मिल नहीं सकता। वह तो कूड़ा कबाड़ अपने यहां लगा गया और तीन चार साल में यह नतीजा होगा, बल्कि भविष्य के लिये हमें देखना होगा, यह आप का डेवलपमेंट जैसे कांच का शीशा टूट जाता है। उसी तरह से प्लानिंग की जो चर्चा हो रही है वह खाक हो जायगी। इसलिये पहले ही हम चैतन्य हो जायं। मैं यह नहीं कहता कि रुपया न दिया जाय। नर्सरी होनी चाहिये, बनमहोत्सव होने चाहिये, हमारे यहां लकड़ी की कमी है, फल की कमी है। छः सात करोड़ रुपये के स्पोर्ट्स गुड्स हमारे यहां बाहर से हिन्दुस्तान में आते हैं। हमारे यहां रामैटिरियल मलबरी वगैरह कश्मीर में हैं, हमारे यहां पहाड़ों पर है। उसकी पैदावार बढ़ायी जा सकती है। बालेन्दुशाह जी ने कहा कि हमारी गवर्नमेंट खेल की तरफ बिलकुल ध्यान नहीं देती। एक हाकी स्टिक लीजिये, कितनी मंहगी मिलती है। अगर उनके पेड़ लगाये जायं तो स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स गुड्स की तरक्की का जो सवाल है वह इस प्रदेश में तो कम से कम आगे बढ़ेगा ही। मैं यह नहीं कहता कि रुपया नहीं मिलना चाहिये लेकिन यह रुपया ठीक तरह से खर्च हो रहा है या नहीं, सारे डिपार्टमेन्ट के कहने पर रुपया पास कर दिया जाय यह नहीं होना चाहिये। कम से कम फाइनेन्स कमेटी को इस पर विचार करने की जरूरत है। हम अपने माननीय मंत्री जी को दोष नहीं दे सकते हैं कि वह फौरन् देते हैं। जो डिपार्टमेंट रुपया मांगता है मिनिस्टर साहब तो उसको देख कर परेशान हो जाते हैं कि किस डिपार्टमेंट को खुश करें क्योंकि दो साल के बाद चुनाव आ रहा है, हर एक डिपार्टमेन्ट इस बात को महसूस करता है कि कुछ करने की जरूरत है लेकिन उसको जो रुपया दिया जाय उसका अच्छा इस्तेमाल होना चाहिये। एक-एक पैसा हमारी जनता का, गाढ़ी कमाई का पैसा और पसीने की कमाई का पैसा बहुत ध्यान से खर्च करने की जरूरत है। अगर जनता की भलाई के लिये वह रुपया खर्च किया जाय तो हम समझते हैं कि हम अपना कर्तव्य पूरा करते हैं नहीं तो हम अपना कर्त्तव्य पूरा नहीं करते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बीमारी और चल गयी है और वह है कार खरीदने की। जो डिपार्टमेंट पहले खुलता है उसको पहले कार की आवश्यकता हो जाती है और हजार डेढ़ हजार मील चलने पर उसके मीलोमीटर को तोड़ दिया जाता है ताकि उसको कोई देख न सके। फिर उसको घुमाफिरा कर लगा दिया जाता है क्योंकि यहां से सरकार का हुकुम है कि कोई सरकारी कार बिना मिलो मीटर के नहीं चलेगी। अगर मिलो मीटर नहीं होगा तो फिर उसको इर्रेगुलेरिटी माना जायेगा इस वास्ते उसको कुछ घंटे में ठीक कर फिर लगा दिया जाता है। अगर पेट्रोल के खर्चे का सवाल होता है तो कह दिया जाता है कि जितना पैट्रोल सरकार देती है उतने में ही हम अपना काम चलाते हैं उससे अधिक पेटरोल खर्च नहीं किया जाता है। अगर उनको २०० गैलन पेट्रोल दिया जाता है तो वह २०० गैलन में ही अपना काम चलाते हैं। मैं तो निवेदन करता हूं कि एक मोटर मुझको दे दी जाय और उसके पेट्रोल खर्च करने की जिम्मेदारी भी मेरी ही रहे। मन्त्रियों को हर साल एक नई कार की जरूरत होती है। जो नया मंत्री आया तो उसको नयी कार प्रबन्ध करके दी जाती है। मैं समझता हूं कि वैसे तो सरकार ने एक हाई पावर इकनामिक कमेटी बैठा रखी है और वह कमेटी इस बात पर विचार कर रही है कि क्या होना चाहिये। क्या हमें अपने पुराने तरीके जो ट्रैवलिंग

अलाउन्स के थे उनसे फायदा है या इन पिक अप वगैरह गाड़ी लेने से फायदा है यह प्रश्न सरकार के सामने है जिस पर वह विचार कर रही है। सप्लीमेंटरी बजट को देखा तो मालूम हुआ कि वहां पर फलों का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। वहां पर फलों को क्रश करने के लिये एक फैक्टरी लगा दी है। अगर उस फैक्टरी को वहां पर लगा दिया तो सिर्फ १५ दिन के अन्दर ही वह सारे फलों को क्रश कर देगी और फिर साल भर तक वह पड़ी रहेगी। अच्छा तो यह था कि गांवों के अन्दर छोटी-छोटी मशीनें जो होती हैं उनको लगा दिया जाता और वह पल्प निकाल कर हैड क्वार्टर पर भेजते रहते तो इस तरह से उनको ज्यादा लाभ हो सकता है। अब इस प्रकार से फैक्टरी लगाने से वहां के गांव वाले आगे नहीं बढ़ सकते हैं और न फलों का यूटिलाइजेशन ही होगा। वहां पर ट्रांसपोर्ट की सहूलियत करने की जरूरत है जिससे वह काम चल कर उन लोगों का फायदा हो सके। यह तो हम बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं कि रामगढ़ में फैक्ट्री खुलेगी और सेव से शराब तैयार की जायगी और इस तरह से स्कीम बनायी जायेंगी। इसके लिये बहुत सा रुपया खर्च किया जायगा। मैं आप के जरिये से यह कहना चाहता हूं कि हम इस प्रकार का रुपया नहीं चाहते हैं जो इस तरह से बहा दिया जाय हमें तो वही रुपया चाहिये जिसको हम अच्छी तरह से खर्च कर सकें और जिससे वहां की जनता का लाभ हो सके। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो कुछ खराबी है उसको दूर करने की कोशिश की जाय।

बिजली की स्कीम के बारे में हमने देखा। हमें खुशी है कि अब शारदा नहर से बिजली पैदा होने जा रही है और अब हम उसको देखने लग गये हैं। बरेली के आस पास उसके पोल नजर आने लगे हैं और माननीय राज्यपाल ने कहा है कि आप के सारे इलाके को बिजली चली जायगी। लेकिन इसके डिस्ट्रिब्यूशन का सवाल भी बड़ा पेंचीदा है जैसा कि रानी-खेत में मिलिटरी कहती है कि हम नहीं लगायेंगे तो ऐसी जगह पर सरकार को ध्यान करने की जरूरत है। हमारे यहां के अनइम्पलायमेंट को साल्व करने के लिये गवर्नमेंट आफ इंडिया का एक प्रपोजल है कि बिजली के डिस्ट्रिब्यूशन को यदि हमारा हाइडिल डिपार्टमेंट अपने हाथ में ले ले तो गवर्नमेंट आफ इंडिया सब्सिडाइज करेगी। जो रुपया हमारे पास गवर्नमेंट आफ इंडिया से आ रहा है उसको खर्च करने के लिये, यदि उससे देश की तरक्की होती है, हमको १० लाख भी खर्च करना पड़े तो ऐसी किस्म की सप्लीमेंटरी डिमांड्स आयें तो हमें बड़ी खुशी होगी।

हमें यह जान कर भी खुशी हुई कि गढ़मुक्तेश्वर में पक्का पुल बनाये जाने का इन्तज़ाम किया जा रहा है और दिल्ली को जाने-आने का रास्ता मोटर से भी हो जायेगा। आज कल बड़ी दिक्कत थी, पेन्टून ब्रिज बना हुआ था, बरसात में हट जाने से वहां का रास्ता बन्द हो जाता था। रेल के वैगन नहीं मिलते थे, मोटर का रास्ता बन्द हो जाता था। इस पुल के बन जाने से उत्तर प्रदेश और दिल्ली का लिंक मोटर के रास्ते से हो जायगा। इसके लिये सरकार ने जो रुपया मांगा है वह बहुत अच्छा किया है। ऐसे कामों के लिये वह जितना भी रुपया मांगे उतना ही अच्छा है और हम देने को तैयार हैं। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि पिकअप्स की इमर्जेंसी को वे हमें बताने की कोशिश न करें। अब तो रेलों में भी सेकेंड, इन्टर और थर्ड क्लासेज ही रह गयी हैं, किराया भी कुछ कम हो गया है। आज वक्त आ गया है कि हम देश के डेवलपमेंट के लिये कुछ त्याग करें। आखिर इतने एम० एल० एज-बैठे हुये हैं, असेम्बलीज में आते हैं तो फर्स्ट क्लास में आते हैं लेकिन वैसे अपने काम से कहीं जाते हैं तो हम थर्ड क्लास में ही बिस्तरा लगा कर बैठ जाते हैं। हमें इस बात को कहने में लज्जा नहीं आती। इतना पैसा हम कहां से लायें? इस प्रकार देश के डेवलपमेंट के लिये हम कुछ त्याग भी कर सकते हैं और मैं समझता हूं कि ट्रैवेलिंग एक्सपेंसेज में भी कुछ कमी अवश्य होनी चाहिये और देश के डेवलपमेंट के लिये हमें कुछ कुर्बानी अवश्य सीखनी चाहिये। मैं यह बात इस लिये कह रहा हूं कि बजट का वक्त आ गया है और सरकार की ओर से सोशलिस्टिक स्टेट की बात भी कही जाती है। तो अगर वैसी बात उन्होंने बजट में

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

न की हो तो अब कर दें। कहीं ऐसा न हो कि सिर्फ सोशलिज्म का लफ्ज ही रह जाय! हम तो सोशलिज्म चाहते हैं, वह कांग्रेस वाले करें, चाहे कम्युनिस्ट करें और चाहे सोशलिस्ट्स करें। अगर ऐसा हो जाय तो हम भी सन्यास ले लें। लेकिन हम समझते हैं कि यह होने वाली बात नहीं है, केवल नारे हैं कि अब तो समाजवाद हो गया। नारे तो हमने भी बहुत लगाये हैं लेकिन कुछ काम कर के दिखाइये। नारे से कुछ काम बनने वाला नहीं है। आप हमारा झंडा और टोपी भी लगा लें तो फिर सब बराबर ही हो जायेंगे। लेकिन जब तक इस प्रकार नहीं हो जाता तब तक हम चिल्लाते ही रहेंगे और उस वक्त तक चिल्लाते रहेंगे जब तक सोशलिज्म इन प्रैक्टिस नहीं हो जाता। क्योंकि हमारे पास हुकूमत नहीं है, सत्ता नहीं है, इसलिये हम तो केवल अभी चिल्ला ही सकते हैं। आप के पास हुकूमत है आप उसको कर के दिखाइये? इसलिये अगर इस सप्लीमेंटरी बजट में कुछ नहीं हो पाया तो बड़े बजट में अवश्य ही वह नक्शा हमारे सामने आना चाहिये। इसलिये हम तैयार हैं कि आप भत्ते को कम कीजिये और उससे गरीब चपरासी और पुलिस वालों की तनख्वाहें बढ़ाइये; हमको तसल्ली हो जायगी।

श्री अध्यक्ष--आप इसको बजट के लिये रिजर्व रखिये।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--माननीय मंत्री जी को यह मैं पहले ही बता देना चाहता हूं कि अगर उन्होंने ऐसा न किया हो तो वे अब उसमें तब्दीली कर लें और उससे गरीब चपरासियों और सिपाहियों की तनख्वाहें बढ़ायें। अगर तनख्वाहों में अधिक पैरिटी नहीं रहेगी तो हमें बड़ी खुशी होगी।

श्री अध्यक्ष--इन बातों को आप बजट के वक्त कहें, अभी तो आप सप्लीमेंटरी बजट पर ही बोलें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट के बारे में यह बताया गया कि अभी तक एन्फोर्समेंट स्क्वाड का हेड सब-इन्सपेक्टर हुआ करता था, लेकिन अब उसका हेड, डी० एस० पी० बनाया गया है। अब एक डिप्टी सुपरिंटेंडेंट आफ पुलिस को उसका हेड बनाया गया है! यह और बला हुई। सरकार चाहती अवश्य है कि अगर कोई मोटर वाला गलत सड़क पर चले, या खिलाफ कायदे चले तो उसके ऊपर जुर्माना होना चाहिये। हम भी चाहते हैं कि जो कायदे के खिलाफ काम करे उस पर जुर्माना होना चाहिये। मैं आपको अल्मोड़े की ही मिसाल दे दूं कि पहले यह होता था कि अगर कोई मोटर ड्राइवर मोटर वेहिकिल्स रूल्स के खिलाफ कोई काम करता था तो उसके ऊपर अल्मोड़ा या रानीखेत की कचहरियों में ही मुकदमा होता था और उसके ऊपर जुर्माना आदि हो जाता था। लेकिन जब से स्क्वाड इनचार्ज डिप्टी सुपरिंटेंडेंट आफ पुलिस हुए हैं तब से वहां का मुकदमा बरेली के मैजिस्ट्रेट के यहां होता है। एक तो मोटर ड्राइवर बेचारा वैसे ही गरीब है, और उसने किसी तरह से दो एक रोज की छुट्टी ली, फिर रेल का किराया दिया, बरेली के वकीलों को फीस दी, और आखिर में उससे कह दिया जाता है कि आज की तारीख बदल दी गयी है क्योंकि आज साहब को फुर्सत नहीं है। ऐसा सूबे भर के हर रीजन में हो रहा है। जब एक-एक रीजन के लिये एक-एक मजिस्ट्रेट नियुक्त हुए हैं जो कि बेकार बैठे रहते हैं और उनको कोई नहीं पूछता है वे हर रीजन में घूम-घूम कर मुकदमे को क्यों नहीं देखते हैं? और इस तरह से उस पर ५ रुपया या १० रुपया जुर्माना कर देते, लेकिन उस गरीब ड्राइवर बेचारे का तो पहले ही आने-जाने तथा और खर्चे में ५०, १०० रु० तक खर्च हो जाता है और फिर भी उसके ऊपर मुकदमा लगा ही रहता है! ऐसे मैजिस्ट्रेट लोग मोटर मैजिस्ट्रेट कहे जाते हैं, फिर वे क्यों नहीं हर एक जिले में घूम-घूम कर मुकदमे को देखते ताकि गरीब आदमियों को परेशानी न हो? इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार को इस तरफ अवश्य ध्यान देना चाहिये ताकि इस तरह की दिक्कतें दूर हों

सकें। अब मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि आइटम थोड़ा है और इस पर काफी कहा जा चुका है। इसके बाद फिर बड़ा बजट आने वाला ही है इसलिये इस पर मैं क्या कहूं, बहुत सी चीजें की गयी हैं जिनकी जरूरत थी और जिनको होना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, आज १५ तारीख है, इसके बाद दो तीन रोज में एप्रोप्रिएशन बिल आयेगा और यह पास हो जायेगा। लेकिन यह रुपया जो पास कराया जायेगा वह खर्च थोड़े ही हो सकेगा? आप देखें कि साल के अन्त में जो करीब ७ करोड़ रूपये की सप्लीमेंटरी मांग की गयी है, उसमें से एक महीने में एक लाख से ज्यादा खर्च नहीं हो सकेगा। हां, जो पुराना खर्च हो चुका है, जिसको कवर करने के लिये यह सप्लीमेंटरी मांग की गयी है, उसके लिये तो ठीक है लेकिन इस साल के अन्दर इसमें से मुश्किल से एकाध लाख रुपया ही खर्च हो सकेगा। अगर इस तरह का सप्लीमेंटरी बजट लाना ही था तो पहले लाते जैसा कि माननीय बालेन्दुशाह जी ने कहा था, ताकि खर्च करने का भी मौका होता और हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट भी एतराज नहीं कर सकता। रेड टेपिज्म की वजह से भी हमको बड़ी दिक्कत होती है। मैं पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी में तो यही जानना चाहता हूं कि आखिर यह देर कैसे होती है? लेकिन डिपार्टमेंट वाले एक दूसरे से मिले रहते हैं इसलिये वे फाइनेंस डिपार्टमेंट के खिलाफ कोई बात कह नहीं सकते, नहीं तो दूसरे दिन उनको कमरे में घुसने ही नहीं दिया जाय। ऐसी हालत में वे यही सोचते हैं कि अच्छा यही है कि थोड़ी देर के लिये कमेटी के सामने डांट बर्दाश्त कर लेना ठीक है, लेकिन जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं उनको नहीं कह सकते है। बड़ी खुशी की बात है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने एक हाई पावर एकनामी कमेटी भी बनायी है, जिसको अधिकार है कि वह रूल्स आफ प्रोसिज्योर को भी चेंज कर सकती है। अगर कमेटी ने रूल्स आफ प्रोसीज्योर को चेंज कर लिया तो हमारी बहुत सी दिक्कतें दूर हो जायेंगी, और दिक्कतें बहुत सी जो फाइनेंशल रूल्स के सम्बन्ध में हैं वे भी न होगी।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो पूरक बजट सदन के सामने रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मुझे दुःख है कि इस बजट के विरोध में मेरे माननीय मित्रों ने जो बातें यहां कहीं हैं वे मूल सिद्धान्त और मूल तत्व के बिल्कुल विपरीत हैं। सप्लीमेंटरी बजट कोई नयी चीज नहीं है। यह इस प्रकार से कहा गया है कि जैसे यह कोई अनहोनी बात हो। यह मैं जानता हूं कि मेरे माननीय मित्र जो विरोधी दल के हैं वह समझते हैं कि उनको जनता के रुपये का बड़ा दर्द है लेकिन शायद हमारे कलेजे में भी जनता के रुपये का उतना ही दर्द है जितना कि उनके दिलों में है।

(एक सदस्य— उनसे ज्यादा है।)

श्री शिवनाथ काटजू—वह अगर यह समझते हैं कि हमारी सरकार, रुपये के ऊपर जितनी अहतियात रखना चाहिये उतनी अहतियात नहीं रखती है तो मेरे ख्याल में यह उनकी गलती है। जाहिर है कि हमारा सूबा एक बड़ा सूबा है और यहां का सालाना बजट ८५ करोड़ के ऊपर है। और सूबे के शासन के काम में साल भर के अन्दर ऐसी बहुत सी बातें आ जाती है जो पहले नहीं देखी गई, लेकिन बाद में उनको करने की जरूरत पड़ती है और उनको करना पड़ता है। लिहाजा जो रुपया खर्च होता है उसको सप्लीमेंटरी बजट में लाजमी तौर से लाना पड़ता है।

श्रीमन्, हमारे सामने इस वक्त ४१ अनुदान हैं। मैं एक-एक अनुदान में न जाऊंगा, लेकिन अगर आप देखें तो एक-एक अनुदान से जाहिर हो जायगा कि उन्हीं बातों के लिए रुपया मांगा गया है जिनकी जरूरत पड़ी और जिनको करना लाजमी हो गया। मिसाल के तौर पर मैं अनुदान नम्बर १२ को आपके सामने रखूंगा।

[श्री शिवनाथ काटजू]

यह सामान्य प्रशासन से सम्बन्धित है। इसको यदि आप देखें तो यह स्पष्ट हो जायगा कि इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में कहा जाय कि बेजा या गलत तौर पर रकम खर्च की गई है। इसके अन्दर माननीय राज्यपाल महोदय के बजट के प्रति कुछ मांग की गई है और वह मांग भी ऐसी है जो बहुत जरूरी है। यहाँ इस सम्बन्ध में टीका टिप्पणी भी की गई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक माननीय राज्यपाल और राज्यभवन के खर्च का सम्बन्ध है, उसमें हमारे शासन के मान और प्रतिष्ठा की बात आ जाती है। हमारे राज्यभवन में देश और विदेश के अतिथि आते रहते हैं.....

श्री अध्यक्ष--यहां राज्यपाल महोदय के विषय में कोई टीका टिप्पणी नहीं हुई है और मैं समझता हूं कि यही उचित होगा कि आप भी उनकी किसी बात को सपोर्ट में या विरोध में न कहें।

श्री शिवनाथ काटजू--इसके अतिरिक्त एक ग्रान्ट विधान सभा के पुस्तकालय के सम्बन्ध में मांगी गई है। यह ऐसी चीजें हैं जो कि साल के दौरान में सामने आईं और उनकी पूर्ति के लिए रुपये की आवश्यकता पड़ी। मैं दूसरी मिसाल देता हूं कि जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस का सवाल है वहां हाईकोर्ट ने कुछ नियुक्ति गवर्नमेंट कौंसिल की है। मैं अनुभव से कह सकता हूं कि हाई कोर्ट में फौजदारी का काम बहुत बढ़ गया था और यह आवश्यक हो गया था कि सरकारी एडवोकेट्स जितने पहले थे उनमें वृद्धि की जाय। और इसीलिये जो मांग इस सम्बन्ध में मांगी गई है वह बहुत ही मुनासिब है। इसी तरह से अगर एक-एक अनुदान को देखें तो साफ मालूम हो जायगा कि साल के बीच में ऐसे खर्च सामने आये जिनके ऊपर खर्च करना जरूरी समझा गया और वह ऐसा खर्च था जो कि पहले दिखलाई नहीं पड़ता था। यहां यह टीका टिप्पणी की गई कि अगर पहले से ध्यान देते, और जिस वक्त बजट रखा गया था उसी वक्त यह चीजें रख ली जातीं तो अच्छा होता। टीका करना तो आसान होता है लेकिन हमें और सभी माननीय सदस्यों को इसका अनुभव होगा। यह तो सरकार का मामला है, प्रत्येक गृहस्थ को इसका तजुर्बा होगा कि महीने और साल के बीच में ऐसे खर्च आ जाते हैं जिनका शुरू में ध्यान नहीं होता और बाद में उनको करना पड़ता है। तो श्रीमन्, मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो मांग रखी गयी है यह बहुत उचित है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो कि नामुनासिब हो और जिसके सम्बन्ध में यह कहा जाय कि बेजा तौर से खर्च किया गया। जहां तक एक-एक अनुदान का सम्बन्ध है मैं इस समय उनके अन्दर नहीं जाना चाहता लेकिन सामान्य रूप से मैं यह निवेदन करूंगा कि यह मांगें मुनासिब हैं।

*श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)--श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट हर साल भवन के सामने अपने आय-व्यय के आंकड़े समूचे रूप से रखती है, और उनमें भी जहां तक आदमी की शक्ति का सम्बन्ध है उसको देखते हुये वह उन आंकड़ों को जहां तक भी होता है सही करने की कोशिश करती है। उस समय जनता को भी और भवन को भी अपने तमाम आय-व्यय को और जो प्रदेश की आर्थिक परिस्थिति है उसका ज्ञान हो जाता है। और वह सब खर्चा ऐसा होता है कि जब तक उस पर भवन की मुहर न लगा दी जाय, यहां से पास न हो जाय वह खर्चा नहीं होता। ३१ मार्च के बाद उस बजट का रुपया खर्च होता है लेकिन यह हो सकता है कि साल के अन्दर बहुत से खर्चे आ जाते हैं जिनका अनुमान लगाना उस समय असम्भव हो जाता है, जैसे कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहीं प्रदेश के अन्दर बाढ़ आ जाय या टिड्डियां आ जायं या ऐसी कोई दैवी आपत्ति आ जाय जिसका अनुमान लगाना उस वक्त मुश्किल था। इसके अलावा और भी बहुत से खर्चे ऐसे हो सकते हैं जिनके लिये सप्लीमेंटरी ग्रांट्स मांगना आवश्यक हो जाता है। ये खर्चे ऐसे जरूरी हो जाते हैं जिनका खर्चा करना नितान्त आवश्यक होता है और उनका अन्दाजा बजट के समय नहीं होता। लेकिन चूंकि सप्लीमेंटरी बजट के समय तमाम आर्थिक परिस्थिति प्रदेश की सामने नहीं होती, आय के आंकड़े नहीं होते केवल व्यय के आंकड़े होते हैं, इसलिये सप्लीमेंटरी का क्षेत्र सीमित होता है और उसके अन्दर ही गवर्नमेंट को अपनी मांग रखनी पड़ती है, और इसलिये यह मांग उन्हीं की होती है और होनी चाहिये जो नितान्त आवश्यक हों, और जिनका अन्दाजा बजट के समय न लग सका या दैवी आपत्ति के कारण आ गये। या जैसे अभी कुछ ग्रान्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिली और उसमें हमने भी भाग लिया या कुछ रुपया जो मिलना है वह बाद में आयेगा, लेकिन काम शुरू करना है। इसलिये बजट से खर्च कर देते हैं और बाद में जब गवर्नमेंट आफ इंडिया से आता है तो रिएम्बर्स हो जाता है। ऐसी हालत में सप्लीमेंटरी ग्रांट्स लेने की आवश्यकता होती है। लेकिन उसका क्षेत्र सीमित ही है जैसे जहांगीराबाद का कमिश्नर्स हाउस का खरीदना जो अगर अब नहीं खरीदा जाता तो बाद में नहीं मिल सकेगा और यह ऐसा खर्चा है जिसका अनुमान बजट के समय नहीं लगाया जा सकता था। इसी तरह से तकावी का रुपया जो फ्लड्स में बांटा गया, वह भी ऐसी ही बात है जिसका अनुमान पांच छः महीने पहले नहीं लग सकता था। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे हैं जिनका अनुमान लग सकता था और उनके लिये अनुदान मांगना, मैं समझता हूं कि सप्लीमेंटरी ग्रांट्स के क्षेत्र के बाहर हो जाता है। अगर इनका अनुमान उस बजट में उस वक्त नहीं लगाया जा सकता था। तो इस वक्त अब जो आइन्दा बजट अभी हाल में आने वाला है उसमें आ सकता था और उस पर बहस उस समय हो सकती थी। जैसे मिसाल के तौर पर दो चार बातें रखूंगा। जैसे टनकपुर अस्पताल के लिये मांग की गई है। टनकपुर इतना प्रगतिशील नगर आज नहीं बना है, उसकी कई सालों से प्रगति हो रही है। टनकपुर में इतना विशाल अस्पताल बनाने के लिये धन जब वह बजट पास हुआ उस वक्त रखना था, और अगर उस वक्त न हो सका तो आइन्दा जो बजट आने वाला है उस वक्त रखना चाहिये। ऐसे वक्त में आना चाहिये जब हमारे प्रदेश की आर्थिक परिस्थिति का हमें पूरा ज्ञान हो। साल भर के अन्दर क्या आर्थिक परिस्थिति रहेगी जब उसका ज्ञान नहीं है, उस समय टनकपुर जैसे खर्चे को शामिल कर लेना मैं समझता हूं कि सप्लीमेंटरी ग्रांट्स के क्षेत्र में से बाहर जाता है। इसी प्रकार मैंने देखा कि ग्रांट नं० १० में मायनर इरीगेशन प्रोजेक्ट्स के लिये जो एक्सपेंडीचर की मांग है उन्हें भी हम अगले बजट के लिये रख सकते थे। रुड़की कालेज के लिये पर्चेज ऑफ ड्राइंग बोर्ड्स का एक ऐसा मसला है जिसके बिना हमारा काम चल सकता था जो कि ग्रान्ट नं० ११ में है। कमिश्नर्स के लिये कार के प्रश्न को भी बाद में रख सकते थे। इसी प्रकार से मोटर ट्रान्सपोर्ट का मसला भी है। सीतापुर और अलीगढ़ हॉस्पिटल के लिये जो मांगा गया है, वह डेफिसिट बहुत दिनों से चल रहा है, कोई नया डेफिसिट तो है नहीं उसके लिये भी कोई जल्दी नहीं थी। इसके लिये बजट के समय तक इन्तजार किया जा सकता था और उस समय हम इसके औचित्य पर भी गौर कर सकते थे। मैंने फायनेंस कमेटी और पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी, दोनों की पिछली रिपोर्ट्स को देखा, दोनों में शिकायत की गई है कि गवर्नमेंट सप्लीमेंटरी ग्रान्ट्स के क्षेत्र को बढ़ा देती है। सीमाओं को उल्लंघन करके उनसे दूर चली जाती है। इसलिये मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें सप्लीमेंटरी ग्रान्ट्स के क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश न करना चाहिये क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि इस समय हमारे सामने आय के आंकड़े नहीं हैं। फिर बजट पहले ही डेफिसिट था। ६, साढ़े ६ करोड़ रुपया यह मांगा जा रहा है, और २ करोड़ पहले मंजूर हो चुका है। इस

[श्री केशव गुप्त]

तरह से साढ़े ८ करोड़ का खर्चा और बढ़ जाता है। लिहाजा मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि सप्लीमेंटरी ग्रान्ट के क्षेत्र को जितना ही परिसीमित करें, और जितनी सीमा फायनेन्शियल रूल्स ने नियंत्रित की है उसके अन्दर रक्खें, उतना ही अच्छा है। अन्यथा क्षेत्र बढ़ने पर हमारी आर्थिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। फिर बहुत से हेड्स होते हैं और उनके सब-हेड्स होते हैं। गवर्नमेंट को एक हेड से दूसरे हेड में रिएप्रोप्रियेशन करने का हक पहले से ही है, उसे बड़ी आसानी से किया जा सकता है। लेकिन सप्लीमेंटरी ग्रान्ट में एक दिक्कत और बढ़ती है और वह यह है कि बजट के समय जितनी ग्रांट्स होती हैं उनमें कोई रुपया खर्च नहीं होता जब तक विधान सभा की स्वीकृति न हो जाय, लेकिन सप्लीमेंटरी ग्रान्ट में रुपया पहले ही खर्च हो चुका होता है। लिहाजा लाजिमी तौर पर लेजिस्लेचर को उसे स्वीकार करना ही पड़ता है। इसलिये भी सप्लीमेंटरी ग्रान्ट को सीमा के अन्दर रखना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि विधान सभा के सदस्यों के सामने यह दिक्कत आ जाती है कि गवर्नमेंट यह रुपया खर्च कर चुकी है, चाहे जो कुछ हो उसे देना ही है, लेकिन यह दिक्कत बजट के वक्त हाउस के सामने पेश नहीं होती। इसलिये कुछ न कह कर यही प्रार्थना करनी है कि सप्लीमेंटरी ग्रान्ट्स को परिधि के भीतर रखने का प्रयास करें उससे आगे बढ़ने का प्रयत्न न करें। इससे हमारी आर्थिक स्थिति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ सकता है। यह मुझे आपसे प्रार्थना करनी है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पूरक अनुदान के सम्बन्ध में जो सामान्य वादविवाद अब तक हुआ है, उसे यदि अलग-अलग करके उन प्रश्नों पर जो माननीय मित्रों द्वारा उपस्थित किये गये हैं, विचार करने की कोशिश की जाये तो मुझे दो तीन बातें दिखलाई पड़ती हैं। एक तरफ तो मेरे मित्र नारायणदत्त जी तिवारी हैं जिनको इस बात से बड़ा उज्र है कि इन सप्लीमेंटरी ग्रान्ट्स में बहुत सारी मदें बजट से लेकर खर्चे को पूरा करने के लिये क्यों निकालीं? कुछ नये हेड्स के खोलने की जरूरत है जिसके लिये सदन की अनुमति की आवश्यकता इस समय नहीं थी। यह बात उन्होंने प्रस्तुत की। उन्होंने यह भी कहा कि बजटिंग के तरीके में भी उन्हें गल्ती दिखलाई पड़ती है। यह भी कहा गया कि बजटिंग का तरीका ऐसा होना चाहिये जैसा कि ग्रेट ब्रिटेन का है ताकि बचतों की बहुत कमी रहे और बराबर खर्च होता रहे। लेकिन इस बारे में मैं उनसे बहुत अदब से आपके द्वारा सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारी जो आज आर्थिक व्यवस्था है और जो ग्रेट ब्रिटेन की आर्थिक व्यवस्था है उसके अन्दर बुनियादी तौर से दो बातों का फर्क है। हम आज एक ऐसे युग में अपने को देख रहे हैं कि जब हमारी आर्थिक व्यवस्था उभर रही है, हमारी जरूरतें अभी किसी ऐसी सीमा के अन्तर्गत नहीं आ गईं, जिनसे कि सरकार के किये गये कामों का फायदा और उस पर होने वाले खर्च का निश्चित रूप से अन्दाज किया जा सके। हमारे प्रदेश में जब हम किसी बड़ी योजना को चलाते हैं तो हम यह अन्दाजा करते हैं कि इसमें इतना खर्च कर पायेंगे इसके निर्माण में। भविष्य में किसी भी कारण से वह निर्माण कार्य उतने में पूरा नहीं होता या वहां से बचत होती हो, तो सरकार उस रुपये को दूसरे कामों में लगा देती है। अथवा यदि बचत भी नहीं होती तो सरकार वह काम नहीं रोकती ताकि उस काम के लिये जो रुपया खर्च होने वाला है और जिसकी यह भवन समय-समय पर स्वीकृति देगा, उसकी वजह से उसमें कोई रुकावट न आये। तो ग्रेट ब्रिटेन का उदाहरण इस सम्बन्ध में आज, जब कि हमारी आर्थिक हालत उभर रही है और जो हमारा आर्थिक ढांचा है उसे देखते हुए सही तरीके से चस्पां नहीं होता।

इसके बाद उन्होंने बड़ी उज्रदारी की और उस सिलसिले में गांजे की बात कही। मुझे यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता और बड़ा दुःख हुआ। प्रसन्नता इसलिये हुई कि उन्होंने शायद बहुत अच्छी बात पेश की थी, और दुःख इसलिये हुआ कि सरकार ने जबरदस्ती यह फसाद क्यों मचाया? फिर मैंने यह सोचा कि इस बजट के सम्बन्ध में मैंने जो कुछ घर पर बैठ कर पढ़ा है वह गलत तो नहीं था? मैंने दुबारा उसको पढ़ा और यह समझा कि यदि इस पूरक अनुदान को देखा जाता, और इस स्मृतिपत्र को अगर पढ़ लिया जाता पूरे तौर से, तो शायद उनको उस शिकायत की गुन्जायश नहीं रह जाती जो गांजे के सम्बन्ध में उनको पैदा हुई। मैं श्रीमन्, सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि गांजे के सम्बन्ध में स्मृतिपत्र में साफ दिया हुआ है कि हमने कुछ स्मगलिंग को रोकने की कोशिश की। वह गांजा जो हम मद्रास से लेते थे वह मिलना बन्द हो गया, और नैपाल का गांजा भी मिलने में दिक्कत हुई और नैपाल से गांजा स्मगल होने लगा। तो वहां सीमान्ती क्षेत्र पर चेक पोस्ट बनाये गये और हमने यह कोशिश की कि नैपाली किस्म का गांजा हम यहां तैयार कर सकते हैं या नहीं? यह किया, और इस सिलसिले में कुछ लोगों को जो गांजा विशेषज्ञ थे और कुछ इंस्पेक्टर्स के ऊपर जो खर्च हुआ वह हमने किया। तो एक समस्या होती है, डिपार्टमेंट लिखता है, उनके जो अनुभव होते हैं उनके आधार पर वह मांग करते हैं और वह मांग नीचे से चलती है, कोई माननीय मंत्री जी के दिमाग़ से तो मांग निकलती नहीं, या हमारे फायनेंस सेक्रेटरी ने तो यह मांग बनाई नहीं! यहां तो हर विभाग अपनी-अपनी मांग प्रस्तुत करता है और वह नीचे से चलती है। एक्साइज इंस्पेक्टर ने अपनी रिपोर्ट दी होगी कि यह दिक्कतें हैं और इस तरह से स्मगलिंग हो रही है। हेड आफ दि डिपार्टमेंट के पास वह रिपोर्ट पहुंची होगी, और फिर वह कागज घूमता हुआ यहां पहुंचा। फाइनेंस में आया, उनसे पूछताछ हुई और इस अनुपूरक अनुदान में इस मांग को शामिल करने से पहले वह मंत्रिमंडल में गई, वगैरह वगैरह। तो सरकार हर मांग को प्रस्तुत करने से पहले उसके बारे में बड़ी गहरी छानबीन करा लेती है और यह निश्चय कर लेती है कि वह बहुत आवश्यक है या नहीं? यह सब जानकारी कराने में यदि कुछ समय लगता है, और उसके कारण यदि वह पूरक अनुदान तैयार करा कर हमारे सामने पेश करते में यदि कुछ देर हो जाती है, तो इसके लिये मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि सरकार ने अपने काम को कतई ठीक ढंग से करने की कोशिश की और कतई ठीक ढंग से काम चल रहा है।

मैंने यह भी देखा कि उन्होंने शिक्षा के बारे में भी कुछ बातें कहीं। एक दूसरे अनुदान के बारे में उन्होंने कहा कि इस सरकार को यह पता नहीं रहता कि आगे क्या होने वाला है? कुम्भ के बारे में मैं आगे कहूंगा, लेकिन अनुदान संख्या १८, जो शिक्षा के बारे में है उस तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे यहां एक कालेज है ठाकुर देव सिंह विष्ट गवर्नमेंट डिग्री कालेज। उसके लिये कुछ मांग की गई। मांग का सिलसिला कैसे उठा? उनके यहां डिग्री कालेज है। आगरा यूनीवर्सिटी से एफिलियेटड है। आगरा यूनीवर्सिटी के लोगों ने देखा, उन्होंने कहा कि जो कुछ भी आपके पास डेमान्स्ट्रेशन के यन्त्र हैं वह काफी मात्रा में एम० एस-सी० क्लासेज के लिये नहीं हैं। उनकी रिपोर्ट कालेज को मिली, कालेज ने अपनी वह बात गवर्नमेंट के सामने पेश की। गवर्नमेंट ने उस पर सोचा विचारा और इस नतीजे पर पहुंची कि यह जो यन्त्र के लिये मांग की जा रही है वह नितान्त आवश्यक है, उन्हें मिलने चाहिये, और वह मिल गये। तो मेरी समझ में यह बात नहीं आयी कि यकायक पहले ही दिन एजूकेशन डिपार्टमेंट देवीसिंह विष्ट कालेज को बिना कुछ सोचे विचारे कैसे अनुदान एकदम दे सकता था? निश्चय ही गवर्नमेंट ने शिक्षा विभाग पर और वित्त विभाग और मंत्रिमंडल ने शिक्षा संस्थाओं को पूर्णरूपेण अपने कार्य के विस्तार की सुविधा प्राप्त रूप से देने में कोई कोताही नहीं की। इस अनुदान से तो यही स्पष्ट होता है। उसी प्रकार कुछ ने यह कहा कि इन सप्लीमेंट्री डिमान्ड्स को गवर्नमेंट जब लाती है तो खर्चा

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

कर चुकी होती है और जब खर्चा कर देती है तो भवन को लामुहाला देना ही होता है। यह नहीं है, भवन अगर चाहे, भवन इस सम्बन्ध में अपने अस्तित्व को देखने की बात सोचे, तो मैं तो यह नहीं समझता कि अगर खर्चा गलत हो गया तो मंत्रि-मंडल बदला नहीं जा सकता है। लेकिन अगर हम इस अनुपूरक अनुदान की पूरी तह में जायं, सचिव के स्मृतिपत्र को पूरी तरह से पढ़ने की कोशिश करें तो हम इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि जो भी कार्य इसमें किये गये हैं, उनमें मैं छोटी मोटी बातों को छोड़ देता हूं। बाकी सारी बातें ऐसी थीं जो ड्यू प्रोसेस में आने के कारण डिले हो गईं और सभी लाजिमी थीं। अंग्रेजी की कहावत है कि—
We appreciate hurry but even hurry would take time. हम शीघ्रता करने की तारीफ करते हैं पर उसमें भी कुछ समय लगता है। वह समय नितान्त आवश्यक था, छानबीन करना सरकार का कार्य था और उसके पश्चात् यदि सरकार इस निश्चय पर आयी कि इस खर्चे का होना आवश्यक है, तो निश्चय ही उसके सम्बन्ध में सरकार की कोई गलती नहीं, या वित्त के मामले में लापरवाही नहीं है। श्रीमन्, यह बात निश्चय कही गई कि हमें यह पता नहीं होगा आज कि हम कितने डेफिसिट में हैं। यह जो ८ करोड़, ६ करोड़ एक दफा, और २ करोड़ एक दफा की बात आयी इससे क्या असर पड़ेगा इसके ऊपर, तो मैं समझता हूं कि यह तो हमारे देख लेने की बात होगी। इसमें अधिकांश मदें ऐसी हैं जिनमें टोकिन ग्रान्ट्स हैं। उनका ऐक्चुअल ऐक्सपेंडिचर क्या होगा, इसकी पूरी डिटेल्स हमारे सामने बजट में आवेंगी और तब हम पूरी राय दे सकेंगे।

समाज कल्याण का एक नया हेड खोला गया। हम सभी जानते हैं और सारे प्रदेश के लोगों ने सरकार को इस नीति की बधाई दी। नये मंत्रिमंडल ने समाज कल्याण को विशेष स्थान दिया है। जाहिर बात है कि समाज कल्याण की विशेष व्यवस्था आज तक नहीं थी। इस विभाग के लिये टोकिन ग्रान्ट आयी है और बाकी बातें डीटेल्स में हमारे सामने बजट में आती रहेंगी। मैं समझता हूं कि वह आवश्यक था और जब जिस बात के लिये सारे प्रदेश ने इस सरकार को जिस काम को चलाने के लिये मुबारकबाद दिया हो उस काम के चलाने के लिये अगर हम पैसा देने में कोताही करें तो मैं समझता हूं वह गलत होगा।

हमारे माननीय मित्र उपाध्याय जी की शिकायत थी पेड़ों और फलों और डायरेक्टोरेट फ्रूट यूटिलाइजेशन के बारे में। श्रीमन्, थोड़ा बहुत मुझे भी जानकारी उस डायरेक्टोरेट के काम के सम्बन्ध में है। जो भी चर्चा इस इलाके में जाने के बाद जब कि मैं पिछले साल गया, और देखा रामनगर को, जहां के सेब बढ़िया होते हैं और हमारे माननीय उपाध्याय जी जिन्हें खा खाकर स्वस्थ हैं.....

श्री मदनमोहन उपाध्याय—लाल हैं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—वह मानते हैं कि वह खूब स्वस्थ हैं। तो वहां पर देखने का जो मुझे मौका मिला, तो मैंने यह देखा है कि वहां की समस्या दोनों हैं। एक तो प्रश्न है कि फलों का लाभ कैसे लोगों को पहुंचाया जाय, कैसे उनको इस्तेमाल किया जाय? वहां के जो फ्रूट गार्डेंस हैं उनके फलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। फ्रूट यूटिलाइजेशन फैक्ट्री, रामगढ़ उनको पूर्ण रूप से उपयोग में लाने का उद्योग कर रही है। माननीय उपाध्याय जी शायद यह कहना भूल गये कि जो फल तोते और कौवे टोंट मार कर गिरा देते हैं, उन सबका भी वहां इस्तेमाल हो रहा है और वह भी उपयोग

में लाये जा रहे हैं। वह खाये हुये फल भी पल्प बनाकर काम में लाये जा रहे हैं। इसके अलावा फलों के बगीचों में पेड़ों की नयी-नयी किस्म लगाकर उनकी तरक्की करने का भी वहां उद्योग हो रहा है। अब यह तो धरती का नियम है कि हर जमीन पर हर किस्म के पेड़ अच्छे नहीं उग सकते। एक ही जगह की मिट्टी मिट्टी में फर्क होता है। तो अगर कोई पेड़ माननीय उपाध्याय जी ले गये थे और वह नहीं लगा तो इसका मतलब यह तो नहीं हो सकता कि उस फैक्ट्री का सारा काम चौपट हो गया और वहां कुछ भी काम नहीं हो रहा है! मैं नहीं समझता कि यह बात मानने के काबिल है। मैं यह निश्चय कह सकता हूं, और मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि पहाड़ी प्रदेशों की जो उन्नति होने वाली है या हो सकती है, वह फलों के बाग लगाने, बनों या लकड़ी आदि से ही हो सकती है। और सरकार ने यहां पर एक कुशल विशेषज्ञ के हाथ में इस डाइरेक्टोरेट का काम दिया है जो कि अपने जीवन की साधना इस कार्य को समझता है। तो मैं समझता हूं कि जो काम वहां हो रहा है वह ऐसा नहीं है जिसके लिये यह कहा जाय कि वहां कुछ भी नहीं हो रहा है। जो कुछ उन्होंने कहा वह छोटी मोटी बातें हैं और वह डीटेल का क्वेश्चन है जो कि उपाध्याय जी वहां देखते होंगे और जिसे कि वह सरकार से या मंत्री महोदय से कहकर ठीक करा सकते हैं।

श्रीमन्, मैं इतना ही और निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने जितना भी पूरक अनुदान रखा है उसके संबंध में तो कोई भी दो रायें नहीं हो सकतीं। मगर एक बात मुझे और कहनी पड़ेगी, और जो शायद किन्हीं मामलों में मौलिक सिद्ध हो, और जिसे आगामी बजट के समय में मैं बड़े विस्तार में रखने की कोशिश करूंगा, वह यह है कि शीघ्र ही हमको अपने यहां के नौकरी पर होने वाले व्यय को हर विभाग में कुछ सीमित करना पड़ेगा, चाहे वह हमारे सरकारी अफसरों की तनख्वाहें हों, चाहे वह उनके लिये दी जाने वाली मोटर कारें हों या उनको दिये जाने वाले भत्ते हों। इसमें भी कई जगह उनका तस्किरा आया है। यह हम मानते हैं, और यह कहना भी गलत होगा कि हमारे सारे अफसर गाड़ियों का गलत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर भी हमको उन वेहिकिल्स, उन मोटर गाड़ियों के लिये कुछ परिधि बांधनी पड़ेगी ताकि उनका गलत उपयोग, प्रयोग और गलत प्रयोजन के लिये प्रयोग किसी भी हालत में न होने पाये। यह एक बुनियादी बात है और आज हमारे बजट में अगर कोई चीज किसी को भी खटकेगी तो वह हमारे वेतन और भत्ते का खर्च है जो कि बहुत काफी मात्रा में हो रहा है, जिसको मैं समझता हूं और जो मेरी तुच्छ बुद्धि के अनुसार शायद यह काफी कम भी हो सकता है। हमारे प्रदेश के अन्दर इकानामी और अर्थ व्यवस्था चाहे जैसी भी हो, लेकिन उपाध्याय जी को यह तो मानना ही पड़ेगा कि आज यदि हम उत्पादन के साधनों की वृद्धि में जुटे हुये हैं तो हमने यह भी निर्णय किया है कि उत्पादन के साधनों की वृद्धि के साथ साथ उसका फल सम्पूर्ण समाज को मिलने लगे और वह मिल भी रहा है। आज हमारे प्रदेश में बांटने के लिये गरीबी के सिवा और है ही क्या? लेकिन जिस प्रकार हम आगे जा रहे हैं, जो कदम उठा रहे हैं। निश्चय ही वह कदम समाजीकरण की तरफ और समाजवाद की तरफ ले जाने वाला है। समाजवादी भावनाओं से ओतप्रोत लोगों के हाथ में राज्य शासन होने के कारण हमारे प्रत्येक कार्य का लक्ष्य समाजवाद की स्थापना करने और समाजवाद तक पहुंचने का है। लेकिन वित्त मंत्री और सरकार को यह ध्यान अवश्य रखना पड़ेगा कि जो डिस्पैरिटी आज गवर्नमेंट सरवेंट्स की तनख्वाहों में है उसे दूर करना आवश्यक है। मगर यह भी देखना होगा कि जो बड़ी बड़ी कपड़े की मिलों के या और कारखानों के मैनेजिंग डाइरेक्टर्स की बड़ी-बड़ी तनख्वाहें हैं, उनमें अगर उनकी आमदनियों में कमी नहीं होती है, तो जाहिर बात है कि सरकारी सिविल सर्विस के लोगों की, या और दूसरे अफसरों की तनख्वाहों को भी कम करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ेगा। पर ये सब बड़े सवाल हैं जो कि मूल बजट के समय प्रस्तुत किये जा सकते हैं और उसी वक्त इन सब बातों की विवेचना की जायगी। मैं इन शब्दों के साथ माननीय वित्तमंत्री को उनके कुशल ढंग के लिये, जिस ढंग से कि वह हमारे प्रदेश के वित्त साधनों को जुटाकर प्रदेश की भलाई कर रहे हैं, मुबारकबाद देना चाहता हूं।

श्री लालबहादुर सिंह (जिला जौनपुर)---श्रीमन्, मैं उस सप्लीमेंटरी बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे कुछ अधिक ताज्जुब नहीं हुआ कि श्री नारायणदत्त जी ने और श्री उपाध्याय जी ने इसको क्रिटिसाइज किया, लेकिन सब से ज्यादा ताज्जुब इसका हुआ जब राजा बालेन्दु शाह जी ने इसको क्रिटिजाइज किया। वे एक राज्य के राजा थे और उनको भी कई बार बजट बनाने का मौका मिला ही होगा, सप्लीमेंटरी बजट भी आया होगा।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---वहां हुक्म चलता है।

श्री लालबहादुर सिंह---वहां भी असेम्बली थी और हमारे गंरोला साहब उसके मिनिस्टर थे। लेकिन इस बजट में कोई ऐसी बात हमारे वित्त मंत्री ने नहीं पेश की जिसको क्रिटिसाइज किया जाय। जैसा कि हमारे उपाध्याय जी ने समाजवाद का नारा लगाया, तो अभी तक सोशलिस्ट पार्टी ने यह तय नहीं किया कि कैसा समाजवाद होना चाहिये। समाजवाद एक ऐसा शब्द हो गया है कि इसको देखा जाय तो नाना प्रकार के समाजवाद दिखायी पड़ते हैं। रूस में भी उसका ठीक-ठीक विवेचन नहीं कर पा रहे हैं कि स्टैलिन का समाजवाद या लैनिन का या बलगैनिन का समाजवाद होना चाहिये? किसका होना चाहिये यह देखा जा रहा है। यहां की सोशलिस्ट पार्टी में भी जयप्रकाश का समाजवाद, आचार्य नरेन्द्रदेव का समाजवाद इत्यादि, कई तरह के हैं। लेकिन खैर, कोई बात हो यहां तो घर का बजट बनाना है। हम अपने फाइनेंस मिनिस्टर की जरूर तारीफ करेंगे क्योंकि उसने हमारे सूबे को एक परिवार समझ करके यह बजट बनाया है। कोई यह समझता हो कि यह तो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, एक फर्ज अदा करते हैं, एक असेम्बली है, एक सरकार है, उसका बजट बना दिया। ऐसा नहीं है। उन्होंने इस सूबे को अपना परिवार समझ कर उसको बनाया है। उसमें उन्होंने जो आंकड़े रखे तो हमारे श्री नारायणदत्त जी ने कहा कि सौ सौ रुपया और ५०-५० रुपया की बातें लिखी हुई हैं, यह तो पहले भी आ सकती थीं। भाई, जब हम अपने घर का ४-५ सौ रुपया खर्च करते हैं तो वह भी कम बेश हो जाता है। पं० नारायणदत्त जी तिवारी अपने घर के लिये खर्च करते हैं तो क्या यह निश्चित है कि ५०० रुपया ही खर्च हो? ऐसा भी हो सकता है कि कभी सौ दो सौ रुपया कम हो जाते हैं या कभी १० रुपया बढ़ जाता है। तो इसलिये यह जो दूसरा सप्लीमेंटरी बजट पेश किया है यह ६ करोड़, कुछ लाख, कुछ हजार, कुछ सौ रुपये की बात है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई लम्बी बहस की जाय और क्रिटिसाइज किया जाय कि नहीं ६ करोड़ रुपया हम क्यों दें, और फलां जगह यह खर्च हो गया और यह हो गया। कोई कसम तो खाई नहीं जा सकती कि सौ पचास रुपया इधर उधर चला गया और गड़बड़ में पड़ गया! तो हो सकता है कि गड़बड़ हो, लेकिन उसको सुधारने का उपाय और तरीका हो सकता है। जैसा कि बहुगुणा साहब ने कहा कि हमारा सुपरविजन स्ट्रांग होना चाहिये तो यह सब ठीक हो जायगा। जब स्वराज्य के बाद नई गवर्नमेंट बनी तो लोग कहते थे कि यह अधिक अन्नउपजाओ आन्दोलन का तो लीफलेट पर प्रचार होता है। हम कांग्रेस वाले भी कांग्रेस के दफ्तर में यह कहते थे कि यह कागज पर ही स्कीमें रहेंगी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि एक दम काम खत्म हो गया और अन्न सरप्लस हो गया। हम सोच रहे हैं कि हम कहां मार्केट खोजें? इसी तरह से हम अपनी गड़बड़ी को भी, जो कि अगर हो रही है, ठीक कर लेंगे। जैसे एक गड़बड़ी की बात यह है कि भत्तों में गड़बड़ दिखायी देती है कि उसकी हर जगह मांग है। इसके लिये उचित यह होगा कि भत्ते फिक्स कर दिये जायं। यह नहीं कि माइलेज दिया जाय, बल्कि जैसे सौ रुपया तनख्वाह है तो १० रुपया, २०० है तो १५ रुपया, इसी तरह से फिक्स कर दिये जायं।

श्री अध्यक्ष---आप अभी कुछ देर बोलेंगे? तो आप अपना भाषण बाद में जारी रखें।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २५* मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

---

*कोरम के अभाव के कारण १० मिनट विलम्ब हुआ।

श्री बद्रीनाथ मन्दिर समिति के लिये एक सदस्य के निर्वाचन का कार्यक्रम

श्री उपाध्यक्ष—मुझे सदन की जानकारी के लिये यह सूचना देनी है कि श्री बद्रीनाथ मंदिर समिति में कार्य करने के लिये एक सदस्य के निर्वाचनार्थ निम्नलिखित अभ्यर्थी विधिवत् नाम निर्देशित हुये हैं—

(१) श्री चन्द्रसिंह रावत, एम० एल० ए०
(२) श्री ज्वालाप्रसाद सिन्हा, एम० एल० ए०
(३) श्री धर्मदत्त वैद्य, एम० एल० ए०
(४) श्री पहलवानसिंह चौधरी, एम० एल० ए०
(५) श्री रामबली मिश्र, एम० एल० ए०
(६) श्री लक्ष्मणराव कदम, एम० एल० ए०
(७) श्री विद्याधर बाजपेयी, भूतपूर्व एम० एल० ए०
(८) श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी, एम० एल० ए०

उपर्युक्त निर्वाचन के लिये शलाकापत्र उत्तर प्रदेश विधान सभा के हिन्दू सदस्यों को १४ फरवरी, १९५५ को या तो दे दिये गये हैं या रजिस्टरी डाक द्वारा भेज दिये गये हैं। विधिवत् प्रमाणित शलाकापत्र उत्तर प्रदेश विधान सभा के सहायक सचिव के पास, जो रिटर्निंग आफिसर है, २३ फरवरी, १९५५ को ४ बजे अपरान्ह तक वापस पहुंच जानचाहिये। शलाका-पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा एवं गणना २६ फरवरी, १९५५ के एक बजे अपरान्ह में विधान भवन, लखनऊ में स्थित सहायक सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश, के कमरे में होगी।

यदि मूल शलाका पत्र खो जाय, खराब हो जाय, नष्ट हो जाय, अथवा किसी अन्य प्रकार से बेकार हो जाय तो जिस मतदाता को यह जारी हुआ हो उसके द्वारा रिटर्निंग आफिसर के नाम लिखित प्रार्थनापत्र, जिसमें परिस्थितियां व्यक्त होनी चाहिये, देने पर दूसरा शलाकापत्र जारी किया जायगा।

१९५४–१९५५ के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद (क्रमागत)

श्री लालबहादुर सिंह (जिला जौनपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी मैं इस सप्लीमेंटरी बजट के समर्थन में बोल रहा था। कहना मुझे यह है कि यह जितनी मदों से रुपये की मांग की गई है वह सब इतनी आवश्यक और जरूरी है कि उनको हमें फौरन स्वीकार कर लेना चाहिये। जिनको अगर देखा जाय तो स्पष्ट होगा कि वही रुपया मांगा गया है जिसमें अधिक काम हो चुका है, और थोड़े से रुपयों के लिये काम रुका हुआ है। और कुछ ऐसी मांगें हैं जैसे कि अनुदान संख्या १८ में स्काउट असोसियेशन का प्रार्थना-पत्र है कि हमें दस हजार रुपये और दिये जायं। अगर हम नहीं देते हैं तो मुमकिन है कि बहुत सा समाज सेवा और देश सेवा का काम पिछड़ जाय। इस तरह से अगर देखा जाय तो जितनी मांगें की गई हैं वह सब की सब इतनी आवश्यक हैं कि उनको रोकना या किसी किस्म का उसमें संशोधन या सुधार करने से सरकार के लिये और जनता के लिये अहितकर होगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द इस चीज को स्वीकार कर लेना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि अपोजीशन की तरफ से कहा जाता है कि हमारे यहां जो आबादी कांग्रेस का फैसला हुआ था उसमें सोशल थांट को ही प्राधान्य दिया गया है वह कैसा है? मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि मैं तो अपने पुराने तरीके से काम करता आ रहा हूं और आगे भी करूंगा। मैंने पहले भी कहा था कि जो सोशलिज्म चाहते हैं उनका भी कंस्ट्रक्शन अभी तक ठीक नहीं है। कोई कहीं जाता है और कोई कहीं जाता है। जैसे कि आप देखेंगे कि सोशलिस्ट पार्टी के जितने नेता हैं उतने ही सोशलिज्म हैं। माननीय जयप्रकाश नारायण जी भूदान

[श्री लालबहादुर सिंह]

के जरिये सोशलिज्म लाना चाहते हैं। आपके डाक्टर राममनोहर लोहिया हैं वह मार्क्स से भी आगे का सोशलिज्म लाना चाहते हैं, और आपके आचार्य कृपलानी जी हैं वह सर्वोदय के जरिये सोशलिज्म लाना चाहते हैं। इस प्रकार से मेरी समझ में नहीं आता है कि कैसे सोशलिज्म का बार बार कहना फैशन हो गया है? मैं तो अपने तरीके से काम कर रहा हूं और हम आगे स्टेप बाई स्टेप बढ़ रहे हैं। हमने जनतंत्र की स्थापना की और अब सोशलिज्म के सिद्धांत को भी ले आयेंगे, और जितनी जितनी जनता काबिल होती जायगी उतना ही आगे बढ़ते जायेंगे। तो मैं स्टेप बाई स्टेप चलने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अपने उन भाइयों से निवेदन करूंगा कि वह भी हमारे साथ अगर कंधे से कंधा मिला कर चलें तो मुमकिन है कि सोशलिज्म जितनी जल्दी वह सोचते हैं उससे भी जल्दी आ सकता है। लेकिन खाली बैठ कर तानाकशी करना इससे न कोई 'इज्म' चल सकता है न कोई सरकारें चल सकती हैं, बल्कि जनता में एक किस्म की गड़बड़ी और विद्वेष पैदा हो सकता है। श्रीमन्, आज जो सप्लीमेंटरी बजट सरकार की तरफ से पेश किया गया है उसको देखते हुये मैं अपने वित्त मंत्री की बड़ी सराहना करूंगा कि वह ऐसे कामों के लिये रुपया मांग रहे हैं कि अगर हम जल्द से जल्द रुपया नहीं दे देते, जैसे कि महाराजकुमार बालेंदुशाह जी ने कहा कि अभी तो हमको एनुअल बजट पेश करना है लेकिन श्रीमन्, एक बात मैं आपसे निवेदन कर दूं कि ३१ मार्च तक मूल बजट पास होगा और इसमें बहुत सी मदें ऐसी हैं कि अगर उससे पहले दो चार सौ रुपये नहीं दे देते तो हजारों रुपये के काम का नुकसान हो जायगा। इसलिये मैं अपने भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि इसको जल्द से जल्द पास कर दें। और मुझे कुछ नहीं कहना है, बस इतना ही कह कर बैठ रहा हूं।

श्री सुल्तानआलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, किसी स्टेट का बजट उस स्टेट की सोशल ऐक्टीविटीज का आइनेदार होता है। अगर इस कसौटी पर हम बजट को कसें तो हमें यह मालूम होगा कि उस हुकूमत ने अपने सूबे या मुल्क के अन्दर शोसल ऐक्टीविटीज को बढ़ाने, और वेलफेयर स्टेट के गोल को नजदीक लाने के लिये क्या किया? यह सही है कि हमारा यह बजट दूसरा सप्लीमेंटरी बजट है जो इस साल के अन्दर पेश किया गया है। इससे पहले भी एक सप्लीमेंटरी बजट पेश किया गया था और दोनों सप्लीमेंटरी बजट्स में जो रुपया खर्च के लिये मांगा गया है अगर उसकी मिकदार को हम देखें तो वह तकरीबन ८ करोड़ रुपया हो जाता है। लेकिन सोचना यह है कि अगर किसी हुकूमत को अपने यहां सोशल ऐक्टीविटीज को तरक्की देना है तो क्या वह उसके लिये इस बात का इन्तजार करेगी कि एक साल बीत जाय उसके बाद वह उस काम को शुरू करे? या उसको यह करना होगा कि दौराने साल में जब इस किस्म के सवाल उसके सामने आये तो वह उनको लेकर आगे बढ़े? इसमें कोई शक नहीं कि जो बजट हमारे सामने पेश किया गया है उस बजट में एक बहुत बड़ी लम्बी कहानी है जिसे अगर वर्क उलट कर हम देखें तो हमें यह पता चल सकेगा कि इस सूबे के अन्दर इस साल भर के अन्दर क्या किया जा रहा है और क्या किया जाने वाला है? लेकिन बहुत सी स्कीमें ऐसी होती हैं जो नामुक्म्मल रहती हैं, या बहुत सी ऐसी होती हैं कि जिनको चलाने के बाद इस बात का एहसास होता है कि ये नाकामियाब होंगी। उनमें से कुछ ऐसी होती हैं जिनका कि चलाना उस बजट इयर के अन्दर बहुत जरूरी होता है और अगर ऐसा न किया जाय तो फिर एक साल इन्तजार करना पड़ता है। यही वजह है कि यह दस्तूर मान लिया गया है हर डैमोक्रेटिक कंट्री में कि हस्ब जरूरत सप्लीमेंटरी बजट आते हैं। यह कोई जरूरी नहीं है कि एक या दो सप्लीमेंटरी बजट हों, ज्यादा भी आ सकते हैं। मैं मानता हूं कि इस हाउस के अन्दर जब हम लोग जमा हुये जो हमको इस बात का हक है कि हम अपने अपने सुझाव हुकूमत के सामने पेश करें, और उन सुझावों में से बहुत से सुझाव ऐसे भी हो सकते हैं कि जो दुरुस्त हों और जिनको बजट में शामिल कर लिया जाय। लेकिन अगर वह उस बजट में शामिल नहीं हो सकते तो एक साल के बाद सरकार उनको बजट में ले सकती है। लेकिन बजट के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुताल्लिक होलसेल तरीके पर कह देना कि यह बजट बेकार है, या ऐसा है जिसमें बहुत सा रुपया मांगा गया है, यह कोई सही किस्म का एतराज नहीं है। और न ऐसा क्रिटिसिज्म इस डैमोक्रेटिक तरीके में मुनासिब हाल है।

बजट बनने के बाद सबसे पहली चीज जो देखने की है वह यह नहीं है कि बजट में क्या चीज मौजूद नहीं है ? बल्कि मुनासिब यह है कि बजट को पढ़ने के बाद सबसे पहले हम इस बात को देखें कि इस बजट के अन्दर क्या क्या चीजें मौजूद हैं ? वह कौन से काम हैं जो इसमें शामिल किये गये हैं और जो इस बजट या सप्लीमेंटरी बजट के अन्दर किये जायेंगे ? हो सकता है कि बाज चीजें ऐसी हों जो हम चाहते हों कि बजट में शामिल हों, लेकिन वह उस बजट के अन्दर नहीं हैं, तो बेशक उसके मुताल्लिक हमें अपना सुझाव देने का हक है। लेकिन इस बात की भी जरूरत है कि हम बजट के तमाम हिस्सों को, जिनके अन्दर मुख्तलिफ किस्म की ऐक्टिविटीज दर्ज हैं, जिनके मातहत मुख्तलिफ किस्म की स्कीमें लिखी हुई हैं, उस पर भी नजर डालें ताकि हम को यह मालूम हो सके कि इस बजट में क्या चीज है ? यह एक हकीकत है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले साढ़े तीन साल से हुकूमत की तवज्जह सबसे ज्यादा प्लानिंग और कोआर्डिनेटिंग डिपार्टमेंट की तरफ गयी है। हमें यह मालूम है कि यह जो पंच वर्षीय योजना मुल्क में चल रही है इसमें सरकार १३० करोड़ रुपया, बल्कि हो सकता है कि १४० करोड़ रुपया तक सरकार खर्च करने वाली है। बहुत से काम इसमें ऐसे हैं जो वक्त से पहले ही पूरे हो चुके हैं। बहुत से टार्गेट्स ऐसे हैं जो पूरे होने के करीब हैं। और यह यकीन किया जाता है कि जिस वक्त अगले साल यह पंच वर्षीय योजना खत्म होगी, और सेकेंड फाइव इयर प्लान आयेगा, उस वक्त फर्स्ट फाइव इयर प्लान की जितनी तजावीज है वह यकीनन पूरी हो जायेंगी। मैं अगर पहली पंच वर्षीय योजना में जो तजावीज रखी गयी हैं, जिन पर अमलदरामद किया गया है, अगर उनकी दास्तान यहां पेश करूं तो एक बहुत बड़ा मजमून बन जाता है और उसके सिलसिले में ज्यादा कहना इस ऐवान का कीमती वक्त लेना होगा। सिर्फ इतना कहना काफी होगा कि यह पहली पंच वर्षीय योजना जो हमारे सूबे में चलायी गयी है, उसके जरिये हमने बहुत से काम किये हैं। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में, इर्रीगेशन डिपार्टमेंट में, तालीम के मुहकमे में, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में, मुख्तलिफ तरीके पर हमने इस रुपये को खर्च किया है। उससे बहुत बड़ा अचीवमेंट हमने यहां किया है। हमारे यहां रिहन्द बांध बना है। हमारे यहां बहुत से कालेज और स्कूल खुले हैं। हर मुहकमे में काफी तरक्की हुई है। लेकिन यह भी सही है कि हम जो कुछ इस सूबे के अन्दर करना चाहते हैं उसमें अभी बहुत सी कमी है ! उसमें इस किस्म के १५ फाइव इयर प्लान क्या, इस किस्म के कितने ही फाइव इयर प्लान बनाने पड़ेंगे और उन पर रुपया रखना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज किया कि गवर्नमेंट कोई भी मुहकमा हो, चाहे सोशल ऐक्टिविटीज का हो, ख्वाह ऐडमिनस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हो हम को हक हासिल है कि हम उसके मुताल्लिक अपने सुझाव रखें।

प्लानिंग डिपार्टमेंट के मुताल्लिक में एक चीज अर्ज करना चाहता हूं और वह यह है कि हमारी प्लानिंग का जो काम जिलों में डिस्ट्रिक्ट लेविल पर होता है उसके लिये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटियां कायम की गयी हैं। वह माहवार मीटिंग करती हैं और यह जिलों के अन्दर योजना तैयार करती हैं, उपर भेजती हैं और हुकूमत उसके मुताबिक अमल करती है। लेकिन आज कल जिलों में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के अलावा और भी बहुत सी कमेटियां काम करती हैं, मसलन जेल की कमेटी है, तालीम की कमेटी है, अस्पताल की कमेटी है। और उसका नतीजा यह है कि बहुत सी कमेटियां होने की वजह से काम उतनी आसानी से नहीं होता जितनी आसानी से होना चाहिये। मैं यह सुझाव सरकार के सामने रखना चाहता हूं कि जब जिलों के अन्दर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी कायम हो गयी हैं तो दूसरी कमेटियों की जरूरत नहीं है। बल्कि जितना काम मुख्तलिफ किस्म का होता है वह सब डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के सिपुर्द कर दिया जाय। उसकी मीटिंग महीने में एक मर्तबा जिले में हो जाती है, और उसके जरिये सब बातें, ख्वाह वह पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की हों, ख्वाह वह कोआपरेटिव क्रेडिट की हो, ख्वाह किसी मुहकमे की हों, आसानी से तय हो सकती हैं। इस से बहुत सा वक्त भी बच सकता है।

[श्री सुल्तानआलम खां]

इस से ऐसे मेम्बर जो दूसरी कमेटियों में भी काम करते हैं उनको भी सहूलियत और आसानी हो जायगी। जनाबवाला, हमारे इस बजट में, जहां मुख्तलिफ मुहकमों के जरिये से रुपया मांगा गया है वह हमारा एक्साइज डिपार्टमेंट भी है। इसके मुताल्लिक भी मैं चन्द अलफाज कहना चाहता हूं। हमारे सूबे के अन्दर प्रोहिबिशन को जारी हुये आज कई साल हो गये, और जहां तक मुझे ख्याल पड़ता है सन् १९३८ से प्रोहिबिशन हमारे सूबे के अन्दर चल रहा है। अगर मेरी याददाश्त सही है तो इस वक्त वह ११ जिलों के अन्दर चल रहा है। लेकिन प्रोहिबिशन के काम के मुताल्लिक मैं समझता हूं कि न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे बहुत से दोस्तों को शकूक होंगे। इस पर इतना रुपया सर्फ करने के बाद भी हम जो नतीजा बराहम करना चाहते हैं वह नहीं हो रहा है। मैं समझता हूं कि यह इंसाफ नहीं होगा अगर हम इसके सही वाकयात को सामने न रखें और उसकी रोशनी में उसके लिये आइन्दा के लिये प्रोग्राम न बनावें। जहां तक मेरा ख्याल है प्लानिंग कमीशन ने भी इसके मुताल्लिक अपनी राय का इजहार किया है और गवर्नमेंट को मशविरा दिया है।

जहां तक प्रोहिबिशन का सवाल है उसके मुताल्लिक कोई दो राय नहीं हो सकतीं कि प्रोहिबिशन एक बहुत अच्छी चीज है। वह शख्स जो इस हिन्दुस्तान में या किसी दूसरे मुल्क में बसता है वह इस प्रोहिबिशन की उम्दगी, अच्छाई और भलाई से इंकार नहीं कर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि प्रोहिबिशन कहां तक ठीक काम कर रहा है, और कहां तक कामयाबी के साथ चलाया जा सकता है? हमारे बजट में करीब ७ करोड़ रुपया एक्साइज के जरिये से आता है। अगर पूरा सूबा ड्राई हो जाय तो यह ७ करोड़ रुपया आना बन्द हो जायगा और मैं समझता हूं कि हमें और टैक्सेशन इसके लिये लगाना पड़ेगा, और बिना और टैक्सेशन के काम नहीं चल सकता है। इसको पूरा करने के लिये या तो फरदर टैक्सेशन करें या किसी से बारो करें, या फिर रिट्रेंचमेंट करें। मैं समझता हूं कि जैसी सूबे की मौजूदा हालत है उसमें यह तीनों चीजें नहीं हो सकती हैं। ऐसी सूरत में मुझे यह प्रपोजिशन कुछ प्रेक्टिकेबिल नहीं मालूम होता है। सवाल यह है कि बावजूद इसके, इस प्रोहिबिशन को चलाना भी है और इसके ऊपर रुपया भी खर्च करना है। और अगर हम ७ करोड़ रुपया फॉरगो करने के लिये तैयार होते हैं तो इसका अचीवमेंट क्या मिलता है? जब से हमारे यहां प्रोहिबिशन शुरू हुआ है तब से इलिसिट डिस्टिलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। जिलों के अन्दर प्रासिक्यूशन होता है वहां पर बहुत कम लोग गिरफ्तार होते हैं। पुलिस के पास इतना काम है कि वह इस तरफ अपनी तवज्जह नहीं कर सकती है लेकिन अगर पुलिस को इस बात की इत्तिला होती भी है और लोग गिरफ्तार होते हैं तो वह फौरन जमानत पर छूट जाते हैं, और उनके मुकदमे ६,६ महीने के बाद लिये जाते हैं। और वहां जाकर वह फिर वही काम करने लगते है और २ हजार रुपया ६ महीने में वह पैदा कर लेते हैं। और अगर ६ महीने के बाद उन पर २ सौ रुपया जुरमाना हो भी जाता है तो उसको वह आसानी से अदा कर देते हैं। इसके बाद फिर वह उस काम को चलाते रहते हैं। इतना रुपया सर्फ करने के बाद भी अगर प्रोहिबिशन को चलाते हैं तो उसकी बेहतर शक्ल सामने नहीं आती है। बेहतर नतीजे की सिर्फ एक ही सूरत हो सकती है, और वह यह है कि अगर प्रोहिबिशन को चलाना है तो हमको दिल मजबूत करते हुये ऐसा कानून लाना चाहिये कि जिसमें बहुत सख्त पैनाल्टी प्रावाइड की गयी हो। ३ या ६ महीने की सजा देना, या ५०, १०० रुपया जुरमाना होता है तो उसको वह आसानी से अदा कर देते हैं, यह कोई सख्त पैनाल्टी नहीं होती है। अगर १०,१५ साल की सजा उसके लिये हो जाय तो मैं समझता हूं कि जरायम कम हो जायेंगे। दुनिया में जिन जरायम की सजा कम होती है वह ज्यादा हुआ करते हैं और जिनकी सजा सख्त होती है वह कम हुआ करते हैं। अगर किसी जिले में जरायम की तादाद १०० होती है तो मर्डर की तादाद १०,५ ही हुआ करती है इससे ज्यादा नहीं होती है। इस वजह से कि उसकी सजा ज्यादा होती है। इस वजह से अगर प्रोहिबिशन को कामयाबी से चलना है तो इसकी तरफ खास तवज्जह करनी चाहिये। पिछली मर्तबा मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने इसकी तरफ तवज्जह दिलायी थी तो मिनिस्टर साहब ने यह एलान किया था कि इस सिलसिले में वह एक कमेटी

बैठायेंगे जो इसको एक्जामिन करेगी कि क्या पोजीशन है ? उस पोजीशन को ठीक करने के लिये क्या होना चाहिये यह कमेटी गौर करेगी। वह कमेटी अभी तक नहीं बैठी है ! इसलिये मैं आनरेबिल मिनिस्टर साहब की तवज्जह दिलाऊंगा कि प्रोहिबिशन को कामयाब बनाने के लिये, प्रोहिबिशन में क्या हो रहा है, उससे एक मुनासिब नफा उठाने के लिये इस तरफ तवज्जह फरमायें।

जनाबवाला, मैं आपकी इजाजत से २, ३ अल्फाज इर्रीगेशन डिपार्टमेंट के मुताल्लिक अर्ज करना चाहता हूं जो बिलकुल सुझाव की हैसियत रखती है। मुहकमा इर्रीगेशन ने हमारे सूबे के अन्दर इस ७–८ साल में काफी तरक्की की है। ट्यूववैल्स और नहरें हमारे सूबे में काफी तादाद में बना दी गयी हैं। इसमें शक नहीं है कि इतिहास के अन्दर सूबे की प्रोसपैरिटी को बढाने के लिये ऐसा कदम इससे पहले नहीं उठाया गया। लेकिन एक चीज की ओर मैं गवर्नमेंट की तवज्जह दिलाना चाहता हूं। इर्रीगेशन डिपार्टमेंट ने नहरों को एक्सटेंड करने की तरफ काफी तवज्जह दी है। लेकिन असल बात यह है कि नहरें जो इस वक्त हमारे देहात में जारी हैं वे ७०–८० बरस पहले की डिजाइन की हुई हैं। उस वक्त पानी की इतनी ज्यादा जरूरत न थी जितनी अब है, कल्टीवेटेड ऐरिया इतना ज्यादा नहीं था जितना अब है, दूसरे उस जमाने में केश क्राप इतनी नहीं होती थी जितनी अब होती है। उसके अलावा उस वक्त इतनी डिस्ट्रीब्युटरीज नहीं निकाली गयीं थीं जितनी अब निकाली गयी हैं। यानी जितने वाल्यूम आफ वाटर की ५० वर्ष पहले जरूरत थी उससे कहीं ज्यादा जरूरत आज है कैश क्राप और कल्टीवेटेड एरिया के ज्यादा बढ़ जाने से। इसलिये मौजूदा नहरें उतना पानी नहीं दे सकतीं जितनी कि जरूरत है। अगर उसमें से और बंबे इर्रीगेशन के लिये निकाल दिये जायेंगे तो और भी पानी की कमी हो जायगी। मैं गवर्नमेंट की तवज्जह खास तौर से इस तरफ दिलाऊंगा कि अगर नई चैनल्स निकाली जायं तो उससे पहले इस बात का बन्दोबस्त कर दिया जाय कि उसमें वाल्यूम आँफ वाटर बढ़ा दिया जाय।

जनाबवाला, हमारे इस बजट में इंडस्ट्री के लिये बहुत सा रुपया मांगा गया है। मैं जानता हूं कि गवर्नमेंट इंडस्ट्री, और खास तौर पर काटेज इंडस्ट्री को तरक्की देने के लिये बहुत बेचैन है। काटेज इंडस्ट्री के सिलसिले में मैं सिर्फ इतना अर्ज कर देना चाहता हूं कि अब वह वक्त आ गया है जब कि काटेज इंडस्ट्री को तरक्की देने के लिये एक डॅफीनिट पालिसी बनायी जाय। और उसको हैवी इंडस्ट्री के ऊपर प्रीफरेंस दिया जाय। एक साहब ने मुझे बताया कि उन्होंने एक केन प्रेसर लगाया। उसको लगाने से उनका कहना था कि उनको ५ तरह के टैक्सेज देने पड़ रहे हैं। (१) सेल्स टैक्स, (२) सेंट्रल एक्साइज टैक्स, (३) पंचायत टैक्स, (४) डिस्ट्रिक्ट बोर्ड टैक्स और (५) इनकम टैक्स। मैं अर्ज करूंगा कि काटेज इंडस्ट्री के लिये इतने ज्यादा टैक्सेज लगाना हमारी पालिसी के खिलाफ जायगा। बेहतर तो यह हो कि एक जगह टैक्स लगा लिया जाय, पूल कर लिया जाय, और उसमें से पांचों को उसमें से कंट्रीब्यूट कर दिया जाय। दूसरी बात यह भी है कि अगर काटेज इंडस्ट्री पर मुख्तलिफ पांच टैक्स लगाये जायेंगे, और उनकी उज्रदारी करने की पांच मुख्तलिफ तारीखें होंगी तो उस छोटी सी इंडस्ट्री के लिये बहुत ज्यादा हो जायगा। इसलिये अगर एक जगह टैक्स लगाया जायगा तो उसकी उज्रदारी भी एक ही जगह होगी। इससे बहुत सा वक्त और पैसा बच जायगा। और उसकी दिक्कत और दुश्वारी दूर हो जायगी। इसलिये गवर्नमेंट की खिदमत में मैं यह तजवीज रख देना चाहता हूं कि वह इस मामले में गौर करे और मुनासिब कार्यवाही करे।

इसके अलावा गवर्नमेंट का ध्यान एग्रीकल्चर और हार्टीकल्चर की तरफ बहुत ज्यादा है। ऐग्रीकल्चर की तरफ खास तौर से वह तवज्जह दे रही है ! यह सही है कि हमारी कंट्री एग्रीकल्चरल कंट्री है और हमें उसी की तरफ बहुत ज्यादा तवज्जह देनी चाहिये। इसके बाद जो दूसरी चीज इसके साथ ही साथ आती है वह हार्टीकल्चर की है। बागात भी इस सूबे में

[श्री सुल्तानआलम खां]

काफी तादाद में लगाये जा रहे हैं। उनसे काफी आमदनी भी होती है। नीज उनसे जो फल हमें मिलते हैं उनसे गिजा का मसला भी एक हद तक हल होता है। इसीलिये बागात की तरफ भी हमारी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा ख्याल कर रही है।

मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूंगा कि वह इस मसले की तरफ तवज्जह करे और इसकी पोजीशन पर गौर करे। इसके अलावा फ्रूट्स की जो सूरतें हम देखते हैं उससे उतना नफा अपने देश को नहीं पहुंचा सकते हैं। उससे उतनी आमदनी नहीं हासिल कर सकते हैं जितनी कि करनी चाहिये। अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट फ्रूट्स प्रिजरवेशन और फ्रूट्स कैनिंग की तरफ तवज्जह दे तो मुनासिब होगा। एक चीज यह है कि हमारे मुल्क के फलों की मांग दूसरे मुमालिक में काफी बढ़ती जा रही है। मसलन हमारे मुल्क के आम की मांग दूसरे मुल्कों में बहुत ज्यादा है। अगर ट्रांसपोर्ट की डिफिकल्टी दूर हो जाय, ट्रांसपोर्ट का काफी इन्तजाम हो जाय, खासकर एयर ट्रांसपोर्ट का, तो इस तरह से हम अपने मुल्क के बागात को काफी नफा पहुंचा सकते हैं।

मुझे इस बात की खुशी है कि इस मुल्क में आइन्दा अब जो पैटर्न होगा हुकूमत का वह सोशलिस्ट पैटर्न होगा। इस मुल्क के अन्दर सोशलिस्ट पैटर्न की हुकूमत कायम होगी, इसलिये मुझे यकीन है कि हमारे तमाम भाई, ख्वाह वे इस हाउस में इधर बैठने वाले हों, ख्वाह उधर बैठने वाले हों, वे सब इस सोशलिस्ट पैटर्न की हुकूमत को कायम करने और उसे आगे बढ़ाने में पूरी कोशिश से मदद देंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे बहुत से दोस्तों ने इस बात को एहसास किया, और उन्होंने इस बात को समझा, और वे हमारी इस राय से मुत्तफिक हुये कि कांग्रस आगे बढ़ेगी और उन्होंने हमारा साथ दिया। इसलिये हम यह भी उम्मीद रखते हैं कि हाउस के मुख्तलिफ फिरकों में बैठने वाले जो लोग हैं, इस अपने मुल्क की हर एक्टीविटीज में, इस मुल्क को तरक्की देने में और इस मुल्क को सोशलिस्ट पैटर्न का बनाने में जरूर उनका पूरा सहयोग हमें शामिले हाल होगा और उनकी तरफ से पूरी मदद की जायगी। मैं कुछ और न कह कर बैठ जाऊंगा। इसके साथ साथ में सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि जो कुछ तजावीज हम यहां पेश करें। उनको हम कंस्ट्रक्टिव सजेशन की तरह से पेश करें, लेकिन इस तरह की स्प्रिट से पेश करें जो ठीक हो। मुझे उम्मीद है कि जो तजावीज हमने हुकूमत के सामने पेश की हैं उस पर वह गौर करेगी, और इस सिलसिले में जो ताजावीज हमारे दोस्तों ने हुकूमत के सामने पेश की हैं उनके ऊपर भी वह गौर करेगी।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने उन दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने समाजवाद की बड़ी चर्चा की है और कुछ हम लोगों को भी समाजवाद का सबक सिखाने की कृपा की है। कुछ दोस्तों ने इस सप्लीमेंटरी बजट को पेश करने के सिलसिले में, अपनी राय जाहिर करने के सिलसिले में, हमारे देश के बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम भी लिया, और उन्होंने कुछ उनको सिखलाने की कोशिश की। बहरहाल यह खुशी की बात है कि हम किसी के ऊपर अपना कैसा विचार जाहिर करें, हम अपनी राय जाहिर कर सकते हैं, लेकिन अच्छा हो कि जो कुछ कहें जरा सोच समझ कर कहें। श्री जयप्रकाश नरायण, आचार्य नरेन्द्र देव जी, डाक्टर लोहिया, और आचार्य कृपलानी आदि ऐसे लोगों का नाम ले लेने से और उनके बारे में कुछ गलत बातें कहने से कुछ ज्यादा शोभा नहीं होती। यह बात ठीक है कि विचारों में भेद हो, मैं और इससे ज्यादा इस सिलसिले में कुछ नहीं कहूंगा। परन्तु मैं अपने उन दोस्तों से आग्रह करूंगा कि वे मेहरबानी करके यहां पर बैठे हुये हैं वहां भी कुछ देख लिया करें, जरा अपने भीतर भी आंख खोल कर देख लिया करें कि वे कहां से बोल रहे हैं कि समाजवादी पैटर्न होगा ? अभी इस बजट में मैंने बहुत गौर से देखने की कोशिश की लेकिन इस सप्लीमेंटरी बजट में कहीं समाजवादी पैटर्न तथा समाजवाद के नाम से कुछ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

छुआछूत भी है ? तो समाजवाद नाम की चीज से कुछ छुआछूत भी इसमें है ? मैंने तो इसमें कुछ नहीं पाया। इस बजट में हमें तो ऐसी बात कहीं मालूम नहीं होती है ! हम समाजवाद का अर्थ तो मोटे तौर पर यह समझते हैं कि विषमता को दूर किया जाय, लेकिन इस सप्लीमेंटरी बजट में जो काम दिखलाई देते हैं उनमें मैं केवल इतना ही कहूंगा कि उस तरह की कोई बात देखने में नहीं आती। पर जो हमारे राज्य के सबसे ऊंचे आदमी हैं उनके ऊपर खर्च करने की जरूर गुंजाइश की गई है, और उस आदमी से मेरी भी हमदर्दी है कि इस बुढ़ापे की अवस्था में उस को क्यों इतना दौड़ाया जाता है ? उन बेचारे को इतना अधिक दौरा करना पड़ा कि अधिक रुपये की आवश्यकता पड़ गई और उनके लिये खास तौर से परिचर्या की आवश्यकता भी पड़ गई। सरकार मेहरबानी करके राज्यपाल की इस अवस्था पर रहम करे ताकि उनको दौरा कम करना पड़े और उनको बीमारी का भी दौरा कम पड़े।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, प्वाइन्ट ऑफ आर्डर रेज करना चाहता हूं। क्या माननीय सदस्य माननीय राज्यपाल के संबंध में टीकाटिप्पणी कर सकते हैं ? अभी जब काटजू जी बोल रहे थे तो माननीय अध्यक्ष ने इस विषय में रूलिंग दी थी कि ऐसा न हो।

श्री उपाध्यक्ष—टीकाटिप्पणी तो नहीं कर सकते लेकिन सहानुभूति दिखला सकते हैं।

श्री गेंदासिंह—अधिकार तो है टीकाटिप्पणी का लेकिन मैं आपकी रूलिंग से श्रीमन् ऐग्री करता हूं और उनके साथ सहानुभूति ही प्रकट करता हूं। और मैं फिर सरकार से कहना चाहता हूं कि हमारे मंत्रिगण ही काफी दौरा करते हैं, उन्हीं के दौरे से काम चल सकता है, तो यह अपने उन बुजुर्ग को क्यों दौड़ाते हैं जिससे उनके इलाज के लिये पैसे की जरूरत पड़ती है। यह तो मेरी हमदर्दी उनके साथ है और मैं तो श्री रामनरेश शुक्ल की बात मानता हूं।

निर्माण उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधान का प्रश्न उठाना चाहता हूं। क्या श्रीमन्, इसके संबंध में रूलिंग देंगे कि यदि सहानुभूति स्वयं एक टिप्पणी का रूप धारण कर ले, तो यदि नाम के लिये सहानुभूति हो, और दरअसिल वह टीकाटिप्पणी हो, तो क्या वह उचित है ?

श्री उपाध्यक्ष—कोई खर्च की मद सदन के सामने आये और उस पर कोई विचार प्रकट करे तो अनुचित नहीं मालूम होता।

श्री गेंदासिंह—अब मैं और बातों की तरफ आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारे देश में प्रथा या परिपाटी यह है कि हम अपने बुजुर्ग से कुछ सीखते हैं, जो रास्ता बुजुर्ग पकड़ता है उसके पीछे हम चलते हैं, इसलिये भी अपने बुजुर्ग के रास्ते पर कुछ राहजनी कर सकें तो बुरी बात नहीं है। और इसी ख्याल से मैंने इतनी बात कह दी थी। मैंने देखा है कि माल विभाग के लिये कुछ रुपया मांगा गया है। मैं बकौल माननीय सुल्तान आलम खां साहब के कुछ रचनात्मक सुझाव देना चाहता हूं। रचनात्मक सुझावों में से एक यह भी है कि जमींदारों को मुआवजा देने की बात कही गई, रिहैबिलिटेशन की ग्रांट देने की बात कही गई। जो दुर्गति मुआवजा पाने में जमींदारों की हो रही है उसकी ओर सरकार का ध्यान कतई नहीं है। और यदि सरकार के पास कोई ऐसा विभाग है जो उसे तमाम बातों की जानकारी कराता हो तो वह विभाग बहुत निकम्मा है। आज तहसीलों में, मेरे पास कुछ उदाहरण हैं, डेढ़ रुपया पाने वाले जमींदार, पांच रुपया खर्च करने के बाद आज तक भी मुआविजा हासिल नहीं कर सके। हम लोगों ने पिछली मरतबा सरकार से कहा था कि मनीआर्डर द्वारा ऐसा रुपया मुआविजा पाने वालों को या रिहैबिलिटेशन ग्रांट पाने वालों को भेज दिया जाय। लेकिन सरकार को मालूम नहीं उसके सामने कौन सी कठिनाई थी जिससे उसने इन्कार किया ? तो मैं समझता हूं कि जो लोग पाने वाले हैं सरकारी खजाने से,

[श्री गेंदासिंह]

पब्लिक एक्सचेकर से, वह चला तो जाता है लेकिन उनके पास नहीं पहुंचता। ऐसे लोगों के पास पहुंच जाता है जो रिश्वत के नाम पर, भेट के नाम पर, और इनाम के नाम पर काम करते हैं। उनके पास चला जाता है और यह सरकार के लिये बदनामी की चीज है।

दूसरी बात है कि जिन लोगों की दसगुना की रकम पार्शियल थी, यानी पूरी रकम जिनके खाते की नहीं थी उनको भी आज उस रकम को वापस लेने में जो कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है वह हम बयान नहीं कर सकते, बल्कि इतना कहना चाहते हैं कि इस मामले में हद दरजे का भ्रष्टाचार है, और तहसीलों में जो भ्रष्टाचार इस समय है उसके लिये मैं खास तौर से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वह पुलिस को भी मात कर रहा है! पुलिस का विभाग भी इतना बदनाम नहीं होगा। आज पुलिस के लिये आवाज़ बहुत है कि भ्रष्टाचार वहां है लेकिन जो कलेक्टरेट का महकमा है या उसका जो स्टाफ है, वह पुलिस से कहीं किसी हालत में भी कम नहीं है। इतना जरूर है, पुलिस का काम जो होता है वह डंडा मारना, मुकदमा चलाना और रुपया वसूल करना, वह कुछ देता नहीं है। रुपया लेने की एवज में कुछ देता नहीं है। वह तो जब मुकदमे में फंसा होता है तब किसी पुलिस को कोई रिश्वत देता है और फिर उससे छूटता है तो कुछ मिलता नहीं है। लेकिन तहसील में कानूनगो, लेखपाल के सामने जाता है तो रिश्वत देने के बदले में कुछ उसे जरूर मिल जाता है। इसलिये उस रिश्वत की चर्चा बहुत ज्यादा नहीं होती। तो मैं सरकार का ध्यान इस मौके पर दिलाना चाहूंगा कि जहां पुलिस की ज्यादती और रिश्वतखोरी की चर्चा करें वहां आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट की रिश्वत खोरी और उसके भ्रष्टाचार की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिये।

पुलिस के सिलसिले में काफी रकम इस बजट में मांगी गई है। मैं सरकार से बहुत अदब से यह बात कहना चाहूंगा कि यदि वह सरकारी कर्मचारियों को ईमानदार बनाती है तो उसे जरूर चाहिये कि कम से कम जो कुछ उनका व्यय होता है, जो कुछ उनका खर्च होता है उसका लिहाज रखे। मैं सरकार का ध्यान जो पुलिस के कांस्टेबिल हैं उनके भत्ते की तरफ दिलाना चाहता हूं। जो ट्रेवेलिंग एलाउंस या डेली एलांउंस उनको मिलता है बाहर जाने का, तो जैसा हमने पिछले वर्ष भी कहा था और मैंने चर्चा की थी, और मैं समझता था कि सरकार उस ओर ध्यान देगी, और अभी तक दो सप्लीमेंटरी बजट आ चुके। पहले बड़ा बजट आया और उसके बाद ये दो सप्लीमेंटरी बजट आये, लेकिन कहीं इस बात की गुंजायश नहीं की गई। और उपाध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर बहुत आश्चर्य होगा कि पुलिस का कांस्टेबिल सिर्फ ६ आना २४ घंटे का भत्ता पाता है। वह उस वक्त पायेगा जब कि वह अपने घर पर शाम तक लौट न आये और अगर वह शाम को लौट कर आ जाये तब तो इस भत्ते को पाने का भी हकदार नहीं है, और २४ घंटे बाहर रहता है तब ६ आने पायेगा। और आज से नहीं, काफी पहले से यह भत्ता उनको दिया जा रहा है। मैं सरकार से अत्यन्त विनम्रता से आग्रह करूंगा कि अगर आप पुलिस को चाहते हैं कि वह ईमानदारी से कार्य करे और ईमानदारी का सबक सीखे, और सोशलिस्टिक पैटर्न की बात छोड़ दीजिये, ईमानदारी से काम करने की बात कराई जाय, तो उनको ६ आने में २४ घंटे बाहर रखना उचित बात नहीं है।

और दूसरी बातों को छोड़ कर मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं। शिक्षा के ऊपर काफी बड़ी रकम इस बजट में देखी गई है। मैं सरकार को सुझाव देना चाहूंगा कि सरकार, जो ग्रांट देनी पड़ती है, जो रकम देनी पड़ती है, वह सरकार देती है जिला बोर्डो को। लेकिन जिला बोर्डों को यह रकम उस वक्त में दी जाती है जब

काफी देर हो जाती है। यह जिला बोर्डों को भी शिकायत है कि जिला बोर्ड असमर्थ हो जाते हैं अपने अध्यापकों को समय से वेतन देने में। इसका परिणाम यह होता है कि तीन-तीन, चार-चार महीने तक अध्यापकों का वेतन बकाया रहता है। मैं समझता हूं कि इसकी सारी जिम्मेदारी जिला बोर्ड्स की नहीं बल्कि सरकार की है, और सरकार की ही बदनामी होती है। सरकार कोई ऐसा उपाय निकाले जिस उपाय से यह अनुदान ठीक वक्त से जिला बोर्डों के पास पहुंच सके और जिला बोर्ड्स के अध्यापक महीना-महीना अपना वेतन पा सकें। अगर महीने महीने नहीं तो दूसरे महीने में पा सकें, तो यह एक नेकनामी की बात होगी। मैं यह रचनात्मक सुझाव दे रहा हूं, रकम बढ़ाने की बात नहीं कह रहा हूं, उसी रकम को ठीक वक्त से पहुंचाने की बात कह रहा हूं। मैं एक बात इस सिलसिले में जरूर कह दूंगा। गोरखपुर यूनीवर्सिटी की चर्चा काफी दिनों से है। उसके लिये सरकार शायद यह सोचती भी है कि कोई विधेयक लाया जाय। इस संकल्प विकल्प में गोरखपुर यूनीवर्सिटी का कार्य रुका हुआ है। जो धन देने वाले हैं वे भी सकुचाये हुए बैठे हैं और धन देने में आनाकानी कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर सरकार ऐसी व्यवस्था कर दे कि गोरखपुर यूनीवर्सिटी का विधेयक जल्दी से जल्दी आ जाय, और उस तरफ सरकार का कुछ और अधिक ध्यान हो जाय तो एक बहुत बड़ा काम पूरा हो जायगा।

बाढ़ रोकने और बांध के बनवाने के सिलसिले में इस बजट में काफी रकम रक्खी गई है। मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी को बधाई दिये बगैर नहीं रह सकता। मैं बधाई देता हूं कि पहले पहल हमारे राज्य में बाढ़ को रोकने के लिये प्रभावकारी कार्य करना शुरू किया गया और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी इस काम को पूरा करने की कोशिश की जायगी। उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़ की जो तीव्रता है और बाढ़ से जो दुर्गति है, उस दुर्गति का असर भी पूर्व के कुछ जिलों पर ही पड़ता है, उनसे अधिक और कोई दूसरे जिले नहीं हैं। बाढ़ तो कई जगहों पर आती है लेकिन सारी नदियां मिल कर पूर्व के कुछ जिलों में इकट्ठा हो जाती हैं। गंगा, सरयू, बड़ी गंडक, राप्ती टोंस– यह सारी नदियां और गोमती भी, जौनपुर, गाजीपुर, बनारस, बलिया, आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती और फैजाबाद, इन जिलों में जाकर ये सारी नदियां इकट्ठी होती हैं। बहुत दूर-दूर से चल कर सारी नदियां इकट्ठी होती हैं और एक से दूसरे का पानी मिल जाता है। और जब एक से दूसरे का पानी मिलता है तो वे मुसीबत पैदा कर देती हैं। किसी जमाने में ये नदियां प्रास्पेरिटी की चिह्न थी, बहुत ही इनसे लाभ होता था। आज भी यह मुमकिन हो सकता है कि अगर यह अपने पेट में रहें और पुराने जमाने की तरह से पानी बहा करें तो लाभ होगा। लेकिन आज ऐसी अवस्था नहीं है। अगर वैसी अवस्था नहीं है तो फिर उसके लिये कुछ करना चाहिये। मैं शिकायत इस बात की करूंगा कि सरकार ने केन्द्रीय सरकार के सामने––जिस तीव्रता के साथ हमको नष्ट और बरबाद किया है इन नदियों ने––उस तीव्रता को अच्छी तरह से नहीं रक्खा। बिहार की सरकार ने जिस तरह से इन नदियों को कंट्रोल करने के लिये और इनसे फायदा उठाने के लिये जो चित्र केन्द्रीय सरकार के सामने रक्खा उस तरह का कोई प्रयास हमारी सरकार ने नहीं किया !

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं सरकार के सामने, बिहार की सरकार ने जो कुछ भी साहित्य, नक्शा और योजनायें केन्द्रीय सरकार के सामने रक्खे हैं, सेवा में पेश कर दूंगा। वह उसे देखे कि बिहार की सरकार से इस मामले में हम कितने पीछे हैं ? आज ही बिहार के राज्यपाल महोदय ने कहा कि बाढ़ से उनके प्रदेश को १९ करोड़ रुपये की क्षति हुई है। मैं समझता हूं कि थोड़ी इससे कमोबेश हमारे प्रदेश को भी क्षति हुई है, लेकिन जिस पैमाने पर बिहार की सरकार बाढ़ को रोकने, या उससे बचने का या किसानों को सहायता पहुंचाने का प्रयास कर रही है, उस तरह का

[श्री गेंदासिंह]

प्रयास हमारी सरकार नहीं कर रही है। हमारी सरकार अपनी बीमारी को छिपा कर रखती है और केन्द्रीय सरकार के सामने नहीं रखती। इसलिये मैं बधाई देता हूं कि सबसे पहले कमलापति जी ऐसे आदमी हुए जिन्होंने जाकर केन्द्रीय सरकार के सामने इस प्रश्न को रक्खा, और रखने के बाद जो कुछ भी उन्हें प्राप्त हो सका उससे आज काम हो रहा है। मैं उनसे भी इस बात की शिकायत जरूर करूंगा कि जिस तरह से रखना चाहिये उस तरह से उन्होंने रखा नहीं। इसमें मैं उनको बिहार सरकार के पीछे चलने की बात कहूंगा, वह बिहार सरकार से सबक सीखें। मैं यह नहीं कहता कि केन्द्रीय सरकार के सामने अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा कर रखा जाय, लेकिन जो हमारी अवस्था है उसका ठीक चित्रण तो भारत सरकार के सामने भी होना चाहिये जहां सारे भारतवर्ष के लोग बैठे हैं? इससे हमें लाभ होगा। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आखिर उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जब राष्ट्रपति बिहार में बाढ़ के स्थानों को देखने गये थे, या गुलजारीलाल नंदा गये थे, तो उनको निमंत्रण क्यों नहीं दिया? हमने यहां, इस सदन में, कहा भी था कि क्या उनको निमंत्रण दिया जायगा, किन्तु उसका कोई उत्तर नहीं दिया गया। मैं एक बात जरूर, बाढ़ को रोकने के सम्बन्ध में जो काम हो रहे हैं, उनके बारे में कहूंगा। जहां बाढ़ को रोकने के लिये बांध बनाये जा रहे हैं, या खाइयां खोदी जा रही हैं उसमें जनता का सहयोग लेने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। जिस तरह से कोसी प्रोजेक्ट में इस प्रकार की कोशिश की जा रही है कि पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं वह हजारों की तादाद में आकर के उसमें काम करें, या दूसरे लोगों को, जनता के लोगों को बुला करके इस बात के लिये कि वह बगैर ठेकेदारी प्रथा के काम करें और उनको पैसा दिया जाय, जिस तरह से वहां काम किया जा रहा है उस तरह से यहां कोशिश नहीं की जा रही है। बल्कि मैंने छितौनी बांध को जो बंध रहा है और जिस पर काम चालू है, एक दिन खराब करके देखा और मैंने जो देखा वह मैं एक मिनट में कह दूं। वहां पर १४ रुपये से १८ रुपये प्रति हजार घनफुट मिट्टी काटने की मजदूरी दी जाती है ठेकेदार को, ठेकेदार ८ से १० रुपये प्रति हजार घनफुट मजदूरी मिट्टी काटने वालों को देता है और बकिया वह ८ रुपये प्रति हजार घनफुट ठेकेदार को मुनाफा होता है। मैंने ठेकेदारों से बातचीत की तो उन्होंने मुझे कहा कि हमें मजदूर नहीं मिल रहे हैं। खड्डू, छितौनी आदि के मजदूर उस क्षेत्र में काम करने नहीं जा रहे हैं, दूसरी जगह के लोग आते हैं और काम करते हैं। मैंने उनसे पूछा कि आखिर आप उन लोगों को क्यों नहीं बुलाते कि वह आकर यहां काम करें? मैं अपना कसूर मान सकता हूं कि हमारी भी कुछ त्रुटी है कि हम ऐसी बातें उनको समझायें, लेकिन एक कठिनाई हमारी है कि इस ठेकेदारी प्रथा में तो यह बात नहीं हो सकती। ठेकेदार तो यह काम नहीं कर सकते। यह तो तभी हो सकता है जब सरकार की तरफ से इस बात के लिये प्रयास किया जाय, कोशिश की जाय। तभी सैकड़ों की तादाद में लोग काम पर आ सकते हैं, और सरकार को इस बात के लिये प्रयत्न करना चाहिये कि उनको ठहरने का सुभीता हो। बाहर से जो मजदूर वहां आये हुए थे उनको ठहरने का कोई सुभीता नहीं था। कुछ शेड बनाये गये हैं लेकिन वह अपर्याप्त हैं। हजारों मजदूर काम करने में लगे हुए हैं। वहां पचास, सौ आदमियों के लिये शेड बनाने से काम नहीं चलेगा। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता सिर्फ ध्यान दिलाना चाहता हूं सिंचाई मुहकमे का या जो मुहकमा वहां काम करवा रहा है कि वह जनता का सहयोग लेने की कोशिश करे और इससे लाभ होगा, और सरकार का जो खर्च होगा वह सीधे जनता के पास पहुंचेगा, और उससे उसकी रुचि बाढ़ को रोकने के कामों में बढ़ेगी।

दूसरी बात मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो सर्वे हो रहा है बाढ़ के सिलसिले में वह बड़ी धीमी गति से हो रहा है। इससे काम चलने वाला नहीं है। मैं सरकार का ध्यान

बहुत ही अदब से दिलाना चाहता हूं, और चाहता हूं कि सरकार इसको ध्यान से सुने कि गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़, देवरिया, इन चार जिलों में घाघरा और बड़ी गंगा कुछ गांवों को काट रही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा हुआ करता था कि बरसात में गांव कटते थे, लेकिन इस वक्त भी गांव कट रहे हैं और ऐसे गांव गोरखपुर में भी कट रहे हैं, बलिया में भी कट रहे हैं! मैं अभी बलिया गया था, जयप्रकाश जी का जहां घर है, वहां गंगा और सरयू दोनों का संगम है। वहां के लोगों ने जयप्रकाश जी के सामने कहा कि हमारे गांव कट रहे हैं, बचाने की व्यवस्था कीजिये। हमने वायदा किया कि हम इस बात को सरकार के सामने रखेंगे, इसलिये कि वह गांव हमारे कीमती हैं, और वहां की जमीन कट रही है। अब यह हो सकता है कि सरकार क्या करे, सरकार के सामर्थ्य के बाहर है? लेकिन इस पर परीक्षण करना चाहिये और देखना चाहिये कि अगर गांव बचाये जा सकते हों तो बचाये जायं। मैंने देखा है कि कुछ जगहों पर इस तरह का प्रयास किया गया है और नदियों की धाराओं को रोकने का प्रयास सफल हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि जो हमारी कीमती जमीन कट रही है उसको बचाने की व्यवस्था की जाय। और जो लोग बिना घरबार के हो गये तो उनके लिये ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जिससे वे आबाद हो सकें। आखीर में मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार पूरी व्यवस्था शायद कुछ वर्षों में कर पाये, सम्भव कि है बाढ़ से बचाने का काम पूरा न हो सके, तो मैं एक सुझाव दे रहा हूं और वह यह कि बाढ़ के क्षेत्रों में कुछ पानी का बन्दोवस्त किया जाय। जो गर्मी के दिनों में खेतों में पानी पहुंचाया जा सके, अगर पानी पहुंचाया जा सकता है तो बाढ़ आने के पहले फसल कट जाय तो बहुत अच्छी चीज होगी और यह ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और सारे डिपार्टमेंट्स सोच समझ करके इस बात को कर सकते हैं। और उन गांवों के किसानों का यह मत है कि ऐसी बात हो सकती है। तो मैं सरकार से बहुत अदब से कहना चाहूंगा कि इस मामले में उसको देखना चाहिये और पानी की व्यवस्था करनी चाहिये।

कृषि उत्पादन की वस्तुओं का मूल्य बड़ी तेजी से गिर रहा है। खुशी है इस बात की कि सरकार का ध्यान इस तरफ गया है। अभी श्री सुल्तान आलम खां साहब ने रोशनी भी डाली है की कृषि की पैदा करने वालों के ऊपर पांच-पांच प्रकार के टैक्स लगाये गये। मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो कृषि उत्पादन हैं उनकी कीमतों, और जो कारखाने में चीजें बनती हैं उनकी कीमतों में, कुछ संतुलन कायम करने का सरकार प्रयास करे। सरकार ने अनाज खरीदने का एलान किया, गुड़ खरीदने का ऐलान किया। लेकिन मैं कहूं कि आज भी गुड़ का भाव बाजारों में ८ रुपया मन तक है। सरकार ने फैसला किया कि १० रु० मन पर गुड़ खरीद लेंगे, और १० रु० की बात छोड़िये मैं ८ रु० की बात कहता हूं। बलिया में बिल्थरा रोड स्टेशन पर जाकर जांच कर लें कि वहां पर ८ रु० और साढ़े ८ रुपया मन गुड़ बिक रहा है। जहां गुड़ बिक रहा है, मैं चाहूंगा कि सरकार मेहरबानी करके अपने पर्चेजिंग सेन्टर खोले। चाहे जो कुछ खोले, लेकिन जल्द से जल्द इस बात की व्यवस्था होनी चाहिये कि मार्केटिंग फेडरेशन को जो कर्जा देने जा रही है, और मालूम नहीं कि चैत से खरीदारी शुरू करेंगे, तो उस वक्त तो खरीदने से कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि तब तक तो सारा सौदा निकल जायगा। तो उसके बाद खरीदने से क्या फायदा होगा? मैं सरकार से कहूंगा कि मार्केटिंग फेडरेशन को रुपया देना बहुत ही बुद्धिमानी का काम है, लेकिन इसके साथ-साथ डाइरेक्ट करें कि जल्दी से जल्दी सौदे को, मैं तो १० रुपये का भी कायल नहीं हूं, सरकार को तो १३ रुपये मन से भाव जहां गुड़ का गिरे, वहीं सरकार खरीद करे। जहां भी १३ रुपये से कम का भाव है वहीं खरीदना शुरू करे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इसमें घाटा नहीं होगा। ज्यों ही सीजन खत्म हुआ तो गुड़ का भाव ऊंचा होगा। और मान भी लिया जाय कि कुछ घाटा हो जाय तो इससे किसानों को ही फायदा होगा और इसमें हमें चिन्ता भी नहीं करनी चाहिये।

[श्री गेंदासिंह]

एक बात गन्ने के सम्बन्ध में यह हुई है कि गन्ने के कुछ इंस्पेक्टर्स रखे जायंगे जिनके लिये तीन जीपें खरीदी जायंगी। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार से कि जितनी अव्यवस्था, कुव्यवस्था अब की वर्ष देख भाल की है गन्ने के पर्चेजिंग सेंटर की, उतनी, कुव्यवस्था कभी नहीं रही है। चाहे वह पुर्जी मिलने के सम्बन्ध में हो, चाहे तौल के सम्बन्ध में हो, बड़ी अव्यवस्था है। कुछ जगहों पर गन्ना इंसपेक्टर तैनात तो कर दिये गये, लेकिन तैनात होने के बाद उन्होंने छुट्टी ले ली। लिखा हुआ है कि हर गन्ना इंसपेक्टर को चाहिये कि वह हर सेंटर पर कम से कम दो बार जाय, लेकिन दो बार की कौन कहे, एक बार भी कोई नहीं गया! इसकी तरफ सरकार को सख्ती से बर्ताव करना चाहिए। जीप खरीदी जाय, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं। लेकिन उसका सदुपयोग हो इस बात को ध्यान में रखा जाय।

न्याय प्रशासन के बारे में एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जुडिशल आफिसरों को बड़ी तंगी है। जुडिशल आफिसर्स कलेक्टर के अधीन हैं। कलेक्टर अगर उसका कैरेक्टर रोल बिगाड़ दे, उसका कैरियर बिगाड़ दे तो उसकी कोई हैसियत नहीं है कि वह अपने को बचा सके। कलेक्टर आज कल अब क्या हैं, हमारे पास कोई उपयुक्त शब्द नहीं हैं उपाध्यक्ष महोदय, जो मैं कह सकूं। ढूढ़ूंगा, अगले मर्तबा अगर मिल सका तो कहूंगा। तो ऐसी हालत में उन कलेक्टरों से जुडिशल आफिसरों को सरकार बचा दे। उनको सरकार कंनफर्म कर दे। कितने जुडिशल आफिसर्स कनफर्म्ड हैं, उनकी संख्या उपाध्यक्ष महोदय, आप पूंछियेगा सरकार से, मुझे तो मालूम नहीं है? लेकिन जो अनकन्फर्म्ड हैं, यानी गैर-मुस्तकिल हैं, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। तो कम से कम उन्हें मुस्तकिल किया जाय और उनको कलेक्टर के चंगुल से छुड़ा दिया जाय। तब तो वह जुडिशल अफसर रहेंगे नहीं तो अगर वह उनके हाथ में रहेंगे तो उपाध्यक्ष महोदय, उनका नाम बड़ा दुर्नाम हो रहा है। तो मैं यह कहूंगा अपनी सरकार से कि जैसे बम्बई की, तथा मद्रास की सरकारों ने किया है, वैसे ही यहां की सरकार भी उनके लिए करे।

वाहन विभाग के सम्बन्ध में भी कुछ रकम मांगी गई है। वाहन विभाग के सिलसिले में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कम से कम सरकार कुछ और दूसरे सूबों से भी तो सबक ले! हमारे ड्राइवर, कंडक्टर, बुकिंग क्लर्क--इनकी जो दुर्व्यवस्था है वह बतलाने की जरूरत नहीं है। न सोने की जगह है, न रहने की, न खानेपीने की कोई यवस्था है। दूसरे सूबों में हमारे सूबे से ज्यादा माकूल व्यवस्था है। उनको भत्ते भी कुछ ज्यादा मिलते हैं और उनका वेतन भी ज्यादा है। उनको दूसरी सुविधायें भी कुछ ज्यादा मिलती हैं। तो फिर मैं यह जरूर चाहता हूं सरकार से कि वह दूसरे सूबों को देख कर के यहां के लिए भी तो कुछ सोचें! और फिर उनके लिए यह भी बात है कि आखिर इतनी एक लम्बी फौज गैर-मुस्तकिल लोगों की है, इन्हें मुस्तकिल भी तो किया जाय। रुचि नहीं होती काम करने की। इसलिये उनको मुस्तकिल करने की बात को सोचा जाय। अगर सभी के सभी नाकाबिल हैं तब तो पूरा डिपार्टमेंट ही नाकाबिल है, लेकिन अगर काबिल हैं तो उनको मुस्तकिल, करने की बात सोची जाय। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले बजट में इसका ध्यान रखा जायगा।

दुर्भिक्ष के सिलसिले में मैं उपाध्यक्ष महोदय, कुछ कहना चाहूंगा। दुर्भिक्ष के लिए इस सप्लीमेंट्री बजट में २० लाख रुपया मांगा गया है। अब दुर्भिक्ष के लिए मैं क्या कहूं, बदकिस्मती से दुर्भिक्ष हमारे ही सिर पर क्यों गिरा रहता है?

कुछ पहाड़ में है और कुछ इधर है, दोनों जगह है। तो मैं आपसे निवेदन करूं कि वहां टेस्ट वर्क चल रहे हैं कुछ पहाड़ में। और फिर देवरिया, आजमगढ़ और बस्ती में, जहां टेस्ट वर्क में हजारों मजदूर पांच आने की मजदूरी पर काम कर रहे हैं। सिर्फ देवारिया जिले में २० हजार आदमी टेस्ट वर्क में लगे हुए हैं, पांच आने, छः आने और सात आने की मजदूरी पर। उनको किसी न किसी तरह से हटाने की कोशिश हो रही है कि यह जल्दी बन्द किया जाय। अब जल्दी बन्द करने के लिए हथकंडे क्या अपनाये जा रहे हैं वह मैं सरकार की जानकारी के लिए कहता हूं कि यह हथकंडा अपनाया जा रहा है कि मजदूरी पन्द्रह दिन पर दो। फेमीन कोड में लिखा हुआ है कि रोज मजदूरी दे दो। जब रोज मजदूरी देने के लिए बार-बार सरकार से आग्रह और अनुरोध किया गया तो फिर सरकार की तरफ से यह हुक्म दिया गया कि हफ्ते में दो बार दे दो। लेकिन हफ्ते में दो बार को कौन कहे, दो हफ्ते में एक बार मजदूरी उनको मिल रही है। जब सरकार का हुक्म जाता है कि हफ्ते में दो बार दो, तो वहां यह हिकमत लगा देते हैं कि दो हफ्ते में एक बार दो और कहीं, कहीं, जैसे आजमगढ़ में तो तीन हफ्ते में एक बार मजदूरी दी जाती है। गोंडा में ७ आने और देवरिया, आजमगढ़ में ५ आने और ६ आने मजदूरी पर लोग काम कर रहे हैं। अगर यह कहा जाय कि टेस्ट वर्क जो हो रहा है वह फैमिन कोड के अनुसार कर रहे हैं, अगर वही लागू हो तो कितने वर्ष तक टेस्ट होता रहेगा? आखिर कब वह रिलीफ वर्क की शक्ल में बदलेगा, और बदलेगा भी या नहीं? टेस्ट वर्क के मानी यह हैं कि जांच करना। अगर ५ आने पर मजदूर आते हैं और हजारों की तादाद में, तो सरकार को समझना चाहिये कि यहां की गैर मामूली हालत है, और अगर गैर मामूली हालत है तो सरकार गैर मामूली कार्यवाही करे। मैं हर बात में बड़े लोगों का नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन महात्मा जी का नाम लेता हूं अपने को बचाने के लिए। जब बंगाल में अकाल पड़ा था तो अंग्रेजों ने कहा था कि यह तो प्रकृति की देन है, तो गान्धी जी ने कहा था कि अगर प्रकृति की ही देन है तो क्या हिन्दुस्तान के लिए ही प्रकृति की मोनोपोली है कि यहां अकाल डाले? उन्होंने कहा कि सरकार का यह काम है कि उस प्रकृति से लड़े और उसको अपने अनुरूप बना कर जनता को बचावे। तो चाहे वह पहाड़ के जिले में, या देवरिया तथा गोरखपुर जिले में, जो ५ आने पर काम करते हैं, उनके ऊपर थोड़ा रहम करे सरकार और उनको १५ दिन में मजदूरी न दिलावे। अगर हजारों की तादाद में हमारी बच्ची आती हैं, बहिनें और मां, बच्चे, बूढ़े लोग जो आकर काम करते हैं, उनके साथ इतना सरकार रहम जरूर करे कि ५ आने की रोजी मिलती रहे, यह सरकार की जिम्मेदारी है। हम सदाव्रत नहीं लेना चाहते हैं, बिना काम लिये जो रुपया सरकार बांटती है, वह भी हम नहीं चाहते, लेकिन मिट्टी की खचिया हम सर पर ढोएंगे, उसकी ५ आने, ६ आने की मजदूरी न बन्द की जाय। और यह हथकंडे जो अपनाये जा रहे हैं, ये न अपनाये जायं। मैं सरकार को चेतावनी तो क्या दूं, प्रार्थना करता हूं कि १५ दिन पर, २१ दिन, पर मजदूरी देना, चाइल्ड कह कर निकाल देना इस प्रकार के हथकंडे न बरते जायं, देखभाल होना चाहिये और मजदूरी को बन्द करने की कोशिश नहीं होनी चाहिये।

बिजली के मुहकमे की बाबत, चूंकि वह वित्तमंत्री जी का मुहकमा है, आखिर में कह कर खत्म करूंगा। बिजली के कर्मचारियों के सम्बन्ध में इतना जरूर कहना चाहता हूं कि उनको प्रमोशन के सिलसिले में बड़ा असन्तोष है, और प्रमोशन में कुछ इतनी गड़बड़ी होती है कि जो लोग ऊपर के अफसर हैं वह नीचे के कर्मचारियों को प्रोमोट नहीं होने देते हैं। खास तौर से मुझे मुरादाबाद, बरेली, चन्दौसी का तजुर्बा है। खैर, समय बहुत कम है, मैं डिटेल्स में जाना नहीं चाहता। मैं स्वयं मंत्री जी की खिदमत में उन चीजों को रख सकता हूं और बिजली के आला अफसरों की खिदमत में भी, लेकिन मैं इतना ध्यान अवश्य दिलाऊंगा कि इस मामले में बड़ी गड़बड़ी हो रही है।

[श्री गेंदा सिंह]

अन्त में में भाई लालबहादुर जी को बधाई दूंगा और यह कहूंगा कि उन्होंने हमको समाजवाद का सबक तो अच्छा पढ़ाया। हमारे नेताओं का नाम रखकर उन्होंने अपने को खुश किया। हमें उससे नाखुशी नहीं है। लेकिन एक बात वह जरूर देख लें कि अभी हमारा सूबा अनाज के मामले में सरप्लस और सेल्फ सफीश्येंट नहीं है। उन्होंने कह दिया कि हमारा सूबा अनाज के मामले में सर्प्लस हो गया। सर्प्लस के मानी जहां तक मैं ठीक समझता हूं वह यह कि खाने भर से ज्यादा अनाज पैदा होने लगे। तो ऐसी बात है नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, अब लोगों के पास खरीदारी की शक्ति नहीं है इसलिये वे खरीदते नहीं। मेरठ से हम गेहूं मंगाना चाहते हैं। देवरिया गोरखपुर वाले, पहाड़ वाले कौन गेहूं नहीं खाना चाहते हैं, लेकिन इसलिये नहीं मंगा सकते कि हमारे पास पैसा नहीं है और हालत खराब है। आज मैं आपसे चैलेंज करता हूं लालबहादुर जी या किसी भी अपने साथी को निमंत्रण देता हूं, मैं अपने पश्चिमी जिले मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के साथियों की इमेंजिनेशन पर विश्वास करता हूं और उनसे मैं कहता हूं कि बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर के उस तरफ के तीन चार भाई हमारे साथ चले चलें और वह ऐट रैंडम गोरखपुर, बस्ती में, देवरिया में, आजमगढ़ में, बलिया में, गाजीपुर में, बहराइच में इन जिलों में किसी गांव को ले लें। और उस गांव में देखें कि दोनों वक्त चूल्हा कितने घरों का जलता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज भी १०० में से ५० घरों में दोनों वक्त चूल्हा नहीं जलता है, जिनमें एक वक्त चूल्हा जलता है, वह एक वक्त फाका कर लें या कुछ भूजा खाकर गुजारा कर लें।

कुछ सदस्य--मेहनत नहीं करते हैं।

श्री गेंदा सिंह--५ आने पर जब आदमी काम कर रहे हैं तो फिर मेहनत न करने का सवाल नहीं उठता है। उपाध्यक्ष महोदय, लोग मुझ से कहते हैं कि मैं शायरी करता हूं यह उसी तरह से है जिस तरह से कि एक कलवार का लड़का था। वह शराब की दूकान पर भूख से परेशान बैठा था। लोग कहते थे कि शराब पीकर मतवाला है। इसी तरह से हमारे दोस्त कह रहे हैं। मैं तो माननीय बनारसीदास का नाम लेता हूं। वह चलें हमारे साथ। अगर वह चले चलेंगे हमारे साथ, तो वह स्वास्थ्य के कुछ हैं, और हमारे स्वास्थ्य का भी कुछ न कुछ बन्दोबस्त हो जायगा। मैं कहता हूं कि किसी गांव को ले लीजिये और वह हमारे साथ भी न चलें क्योंकि मुझे उन पर शक नहीं है जब वह उस अवस्था को देखेंगे तो वह वस्तु स्थिति से इंकार नहीं कर सकते हैं। माननीय गुप्ता जी गये थे और उन्होंने देखने की कोशिश भी की थी और आज भी मैं तैयार हूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि लोगों को जब अनाज दोनों वक्त नहीं मिलता है तो यह कह देना कि हमारा सूबा अनाज के मामले में सरप्लस हो गया है गड़बड़ी की बात होगी। हमारे जीने के लिये सब से पहली चीज अनाज है और उसकी जितनी खपत होनी चाहिये वह नहीं हो रही है। अनाज की पैदावार बढ़ी है, यह मैं भी मानता हूं। लेकिन इतनी बात जरूर है कि यह कहने से हमारा अगला बजट गड़बड़ी में पड़ जायगा और सरकारी योजनायें भी गड़बड़ी में पड़ जायेंगी और वास्तव में जैसी योजनायें बननी चाहिये थीं वह नहीं बन पायेंगी। अगर यह हमारे सामने न हो कि हमारे सूबे में ऐसे भाग भी है जहां लोगों को भर पेट खाना नहीं मिलता है। इससे इंकार करना वस्तु स्थिति से इंकार करना होगा। मैं फिर कहना चाहता हूं कि इस तरह से कहने से हम नालायक समाजवादी हैं और वह लायक समाजवादी हैं। हमारे माननीय साथी लाल बहादुर सिंह जी ने कहा कि सोशलिज्म का नाम लेना एक फैशन हो गया है। लेकिन मैं यह कहता हूं कि किस ने सब से पीछे इसका नाम लिया। हम तो बहुत पहले से कहते आये हैं। जो सब से पीछे कहता है उसी को फैशन की बीमारी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये कहता हूं कि हमने जो रचनात्मक सुझाव दिये हैं उन पर सरकार ध्यान दे। हमें इस तरह से सोचने की जरूरत नहीं है कि कितना रुपया खर्च किया

जा रहा है। शायद ६ करोड़ रुपया खर्च होगा। मैं तो अपनी तकलीफें कह रहा हूं अगर सरकार उन पर विचार करेगी तो ठीक होगा। इस बजट पर तो सरकार टस से मस न होगी भले ही कटौती का प्रस्ताव लावें। हां अगर अगले साल के दूसरे बजट में सरकार इससे फायदा उठायेगी और सरकार उससे कुछ फायदा उठा सकी तो हम अपने को कृतार्थ मानेंगे।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री गेंदा सिंह जी ने इतना ज्यादा समय पूरक अनुदानों पर लिया, हमें आशा नहीं थी हम तो समझते थे कि उनके यहां भी जिस तरह से कैबिनेट के विभाग बटे होते हैं, उसी तरह से बंटवारा है और वह अपने मोहकमे जराअत के ऊपर जिसके कि वह इंचार्ज हैं, उस पर विशेष प्रकाश डालेंगे। लेकिन उन्होंने सब विभागों का काम अपने हाथ में ले लिया और उन पर प्रकाश डाला।

श्री गेंदा सिंह—मुझे जितनी जानकारी थी वह मैंने कह दिया।

*श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)—गेंदा सिंह जी कह रहे हैं कि उन्हें जितनी जानकारी थी उन्होंने कह दिया। मुझे हर्ष है कि उनकी जानकारी केवल इतनी ही है। अब इस वाद-विवाद में न पड़ कर मैं बजट के ऊपर आपकी आज्ञा से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। जहां तक बजट की बात है यह एक पूरक बजट है, कोई रीति नीति की बात इससे निर्धारित नहीं होती कि समाजवाद का क्या पैटर्न है या इसके ऊपर जो लम्बे लम्बे व्याख्यान हुये हैं उनका इस समय कोई औचित्य नहीं रहता। किसी सरकार की रीति नीति, उसकी विचारधारा का प्रतिबिम्ब, उसका प्रदर्शन उसके बजट से होता है। लेकिन वह प्रतिबिम्ब जो बजट अब आने वाला है उससे मिलेगा न कि इस पूरक बजट से। अगर इस बजट में कोई वैसी बात नहीं दिखाई पड़ी तो अगर कोई लांछन लगाया जाय तो मेरे विचार से वह अनुपयुक्त होगा।

जहां तक समाजवाद की बात है वास्तव में श्री लालबहादुर सिंह ने अबादी के हमारे कांग्रेस के प्रस्ताव का जिक्र करके गेंदा सिंह जी के हृदय को थोड़ी ठेस पहुंचाई। वास्तविकता तो यह है कि हम और गेंदा सिंह, सभी पहले उसी कांग्रेस संस्था के अंग हैं, जहां कि हम और वह साथ थे। उन्होंने शायद समाजवाद के शब्द को अधिक प्रेम का पाया और इसीलिये वह कुछ दिन हुये हमसे रूठ कर चले गये। बात उनकी हमने सोची और सोचते रहे। हम उस शब्द को इतना प्रेम नहीं करते थे, उसके सिद्धांतों को प्रेम करते थे और उसके सिद्धांतों को कांग्रेस ने पूरे तौर पर अपने में लेने की कोशिश की और उसी के अनुरूप कार्य करती रही। लेकिन भाई गेंदा सिंह जी के उस प्रेम को जो उनका समाजवाद के शब्द से बहुत था उसको भी हम ज्यादा देर तक अपनी दृष्टि से हटा नहीं सकते थे और इसी वजह से इस बार उनके प्रेम को अपनी ओर आकर्षित करने के लिये काम तो पहले से करते थे लेकिन उनके प्रेम को अपनी ओर खींचने के लिये अबादी में समाजवाद का शब्द भी आ गया कि अब हमारे राज्य का ढांचा समाजवादी रीति का होगा। तो अब तो कोई फर्क की बात नहीं रही हम में और गेंदा सिंह जी में और बड़े हर्ष की बात है कि उनके कुछ साथियों ने यह जो हमारा दृष्टिकोण था उसको पसन्द भी किया और अब हमारी तरफ आने भी लगे हैं जिसको कि गेंदा सिंह जी पूरे तौर पर जानते हैं। और हमें यह भी आशा है कि एक समय आयेगा कि जब गेंदा सिंह जी भी बहुत संजीदगी से इस बात को को सोचेगें। इस समबन्ध में मैंसिर्फ आनन्द नारायण मुल्ला का का एक शेर उनको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं और उसको वह कदाचित् सुनेंगे और उस पर गौर करेंगे। शायद इससे उनको ज्यादा शक्ति मिलेगी। मुल्ला साहब ने यह कहा है —

बिछुड़ गये राहे जीस्त में हम,
अगर है इसका तुम्हें भी कुछ गम,
चलें वहीं से फिर आओ हम तुम,
चले थे हम तुम जहां से पहले।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भगवती प्रसाद शुक्ल]

तो हम लोग उस रास्ते पर चलना चाहते हैं। राष्ट्र के निर्माण का ठेका हमने और आपने या हम दोनों ने लिया है और उसके लिये एक वायदा किया है। कोई बात हममें और आपमे नहीं पटी और आपने दूसरा घर बनाया। तो इसके माने यह तो नहीं हुये कि हम और आप हमेशा के लिये यह निश्चय करलें कि अलग ही रहेगें। और अब तो हम आपको मनाने के लिये वह बात भी कहते हैं जो आप आप पसन्द करते हैं। तो अब तो हम आपका आवाहन करते हैं। आप आनन्द नारायण मुल्ला के इस शेर को अगर सोंचेगें तो हमारे रास्ते पर आयेगें और मैं समझता हूं कि हम दोनों मिल कर जहां से हमने रास्ता छोड़ा था वहीं से इस देश का पुनः उत्थान करने के रास्ते पर अग्रसर होगें।

यह तो थी माननीय गेंदा सिंह जी से एक निवेदन की बात। जहां तक बजट का सवाल है हमारा प्रदेश बड़ा है, इसकी समस्यायें बड़ी हैं, इसका बजट बड़ा है, इसमें अच्छाइयां बड़ी-बड़ी हैं, तो मैं यह तो न कहूंगा कि इसमें बुराइयां भी बड़ी-बड़ी हैं। लेकिन इसमें बुराइयां होने की सम्भावना है। इत्तफ़ाक से मेरे सामने इस वक्त ऐप्रोप्रिऐशन एकाउन्ट, १९५१–५२ का है। उसमें अनुपूरक बजट में कौन से अनुदान जरूरी हैं या गैर जरूरी हैं इसके बारे में एक संकेत किया गया है। अनुपूरक अनुदानों के सम्बन्ध में बड़ी जरूरत इस बात की होती है कि उन्हें ऐसी कसौटी पर खींचा जाय कि वे खर्च हो जायंगे या नहीं, उनकी जरूरत इतनी है कि वह बजट में आगे लिये जा सकते हैं या नहीं, इन सब बातों के बारे में श्री केशव गुप्त जी ने और सुल्तान आलम खां साहब नें इसका जिक्र किया और मैं समझता हूं कि इस सप्लीमेन्टरी बजट में कुछ एक खर्च ऐसे हैं जिनको अगर सप्लीमेन्ट्री में न रखा जाता और आगे चल कर जनरल बजट में लाया जाता तो अच्छा होता। यह मेरा इस सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट के बारे में निवेदन है।

बजट में बहुत कुछ अच्छाइयां तो सामने आ गयीं खास तौर पर गेंदा सिंह जी की जो शिकायत थी गन्ने के बारे में कि मूल्य का सही तौर पर अनुमान नहीं किया जा रहा है इसलिये गन्ने के दाम जो टैरिफ कमीशन निर्णय करता है या गवर्नमेंट निर्णय करती है उसका तरीका सही नहीं हो रहा है। मैं तो यों कहूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारी सरकार तो इसके लिये दत्तचित्त है कि गेंदा सिंह जी को किसी तरह से मनाया जाय। इसी वजह से सरकार ने मूल्य निर्धारण के लिये एक विशेष विभाग खोल दिया है और उसका सप्लीमेन्टरी बजट में खास तौर पर जिक्र है।

श्री गेंदा सिंह––उसका परिणाम तीन साल में मालूम होगा।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल––लेकिन आपकी बात तो मान ली गई।

इसके साथ ही साथ एक चीज जो मैं पसन्द करता हूं वह स्वास्थ्य के सम्बन्ध में है। जिसके कि हमारे तराई के जिले खास तौर पर शिकार हैं, वह फीलपाव का मर्ज है, उसके लिए भी सरकार ने एक विशेष विभाग खोल कर उसकी रोक थाम का प्रबन्ध किया है, यद्यपि इसमें केवल गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, देवरिया और बनारस ही जिले रखे गये हैं। उसमें गोंडा, बहराइच, और बाराबंकी के लिये भी आने चाहिए जहां इस फीलपांव के मर्ज का उतना ही प्रकोप है जितना वहां है। इन दो कामों के लिए जो कि विशेष रूप से जन हित में हैं निश्चय ही सरकार की सराहना की जानी चाहिए।

कुछ एक बातें ऐसी भी हैं जिनको निजी रूप में मैं पसन्द नहीं करता। वह यह है कि इस बजट में जीपों की खरीदारी के बारे में जो बात आयी है वह कुछ ऐसी रुचिकर नहीं। कमिश्नरों के पास अपनी गाड़ियां भी हैं। उनको और जीप दे दी जाय, ठीक है अगर इससे उनके भत्ते में जिसका बड़ा भाग सप्लीमेंटरी बजट में दिया हुआ है, कमी की जा सकती है। तो वास्तव में वह राष्ट्र के हित में होगा, हमारे प्रदेश के हित में होगा और हमारे काश्तकारों का वह पैसा बच गया, टी० ए० की बचत हो गयी। लेकिन उन गाड़ियों का सदुपयोग हो सकेगा।

उनका दुरुपयोग नहीं करेंगे। इस बात के लिये ऐसा नियंत्रण जरूरी है कि कहीं ऐसे न हो जाय कि वह बजाय सरकारी काम के ज्यादातर निजी काम में उसका उपयोग करने लग जायं। मैं केवल इतना ही इन जीप्स के बारे में निवेदन करूंगा।

पुलिस के बारे में श्री गेंदा सिंह जी ने एक खास हमदर्दी कांस्टेबिलों के लिये दिखायी कि उनको दैनिक भत्ता केवल ६ आना मिलता है उसको बढ़ाना चाहिये। मैं भी इस बात से सहमत हूं और मैं तो इससे भी नीचे तक जाने के लिये तैयार हूं कि चौकीदार जिनको ४ रुपया वेतन मिलता है उनका वेतन भी बढ़ाना चाहिये। लेकिन मुझे भय इस बात का है कि आज श्री गेंदा सिंह जी ने उनकी हमदर्दी में यह कह दिया कि उनका भत्ता बढ़ना चाहिये और अगर कांस्टेबिलों की संख्या के आने जाने का हिसाब लगाया जायगा तो करोड़ों रुपये का हिसाब इस बजट में बढ़ जायगा। जब वह बजट इतना बढ़ जायगा तब श्री गेंदा सिंह जी दूसरी सांस लेने लग जायंगे कि यह तो पुलिस का बजट हो गया है और पुलिस पर इतना खर्च किया जा रहा है। अगर श्री गेंदा सिंह जी न भी कहें तो उनके साथ में जो उनके साथी बैठते हैं उनका वह मुंह बन्द नहीं कर सकते हैं। मैंने एक दिन यहां पर बैठकर सुना है कि जो बात उन्होंने कही थी उनके साथियों ने वही दूसरी बात कही थी। ऐसी बात के लिये मैं भी उनसे सहानुभूति रखता हूं। अगर श्री गेंदा सिंह जी के दिल में सर्विसेज के लिये, सेवा करने वाले लोगों की सेवा का उपयुक्त मुआविजा दिलाने के लिये दिल में दर्द है तो मैं इतना ही कहूंगा कि उनसे अधिक अगर नहीं तो उनके बराबर हमें भी हमदर्दी जरूर है। हम भी चाहते हैं कि समाज का स्तर ऊंचे उठे और समाज में जो निम्नवर्ग के कर्मचारी हैं उनका वेतन बढ़े। मैं समझता हूं कि जैसा कि हमारे कर्णधार नेहरू जी ने बात कही है कि हमें भी निम्नवर्ग के लोगों के जीवन को ऊपर उठाना है, और जो ऊंचे वेतन पाने वाले लोग हैं उनके स्तर को कुछ कम करना है और उसी के आधार पर हमारे यहां अब समाजवाद की नीति को अपनाया गया है। श्री गेंदा सिंह जी का यह ख्याल है कि वह जो कहते हैं वही उसको करते हैं और दूसरे लोग केवल कहते मात्र हैं लेकिन अगर वस्तुस्थिति को देखा जाय तो यह बात निकलेगी कि गेंदा सिंह जी केवल कहते हैं और हम लोग उसको करते हैं। तो जिनके साथ में करना है अगर वह उस बात को कहते हैं तो फिर शक करने की गुंजाइश नहीं है कि जो हम कहते हैं उसको करके नहीं दिखायेंगे। उनको इस बात को सही समझ लेना चाहिये। इन शब्दों के हाथ मैं बजट का स्वागत करता हूं और इसको शीघ्रातिशीघ्र पास कर देना चाहिये।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस माननीय सदन के सदस्यों का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जितना भी रुपया जनता से इकट्ठा होता है उस तमाम रुपये की मालिक यह सदन है और इस सदन की ही इजाजत से गवर्नमेंट वह रुपया खर्च करती है। इसलिये इस सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि रुपया कैसे इकट्ठा किया जाता है और किस प्रकार से खर्च किया जाता है, उसकी देखभाल भी करे। जहां तक रुपये को मंजूर करने का सवाल है वह तो ग्रांट्स के जरिये से यह माननीय सदन गवर्नमेंट के खर्चे के लिये स्वीकार करता है। लेकिन बाद में रुपया जो खर्च होता है उसकी जांच के लिये इस माननीय सदन की तरफ से एक एकाउन्ट्स कमेटी और दूसरी ऐस्टीमेट्स कमेटी नियुक्त की गयी है। उनके जरिये से इस बात का पता चलता है कि वास्तव में जो रुपया मांगा गया वह सही मांगा गया या नहीं, या जो रुपया मांगा गया वह सही तौर पर खर्च किया गया या नहीं और उस खर्चे में कहां-कहां कौन-कौन गलती हुई, कहां-कहां उसका दुरुपयोग हुआ है। इसीलिये अकाउन्ट्स कमेटी और एस्टीमेट्स कमेटी की बहुत बड़ी महत्ता है। पिछले हिसाबों को देखकर इन कमेटियों ने कुछ रिपोर्ट्स तैयार की हैं उनसे हम यह मालूम कर सकते हैं कि रुपया कैसे मांगा जाता है और कैसे खर्च किया जाता है। अभी माननीय सदन के सदस्यों के सामने लेखा समिति की जो रिपोर्ट आयी है वह १९५२ की है। ५१–५२ के लेखे से वह तैयार की गयी है उसको देखने से कुछ जानकारी इस बारे में होती है कि पिछली जो ग्रान्ट्स दी गयी हैं उनमें किस तरह की खामियां

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

थीं। अब आगे उनमें उस प्रकार की खामियां न रहें ऐसा हमें प्रयत्न करना चाहिये यह इस सदन के सदस्यों का कर्त्तव्य है।

मूल बजट में ८१ करोड़ रुपया स्वीकार किया गया था। उसके बाद पहले सप्लीमेंटरी बजट की मांग की गयी, वह १ करोड़ ५९ लाख रुपये की थी। अब जो सप्लीमेंटरी के द्वारा मांग की जा रही है वह कुल ८ करोड़ १२ लाख रुपये के करीब हो जाती है। इस तरह कुल मिलाकर ८९ करोड़ १९ लाख रुपया होता है। जहां तक आमदनी का सवाल है वह मूल बजट में ७७ करोड़ दिखाई गयी है। इस तरह से यह मालूम होता है कि १२ करोड़ रुपया ज्यादा खर्च हुआ। अब यह रुपया सरकार के पास कहां से आयेगा यह बाद में, जब मूल बजट आयेगा, तब उससे पता चलेगा कि आया इतना खर्चा जो सरकार मांग रही है वह वास्तव में खर्च हुआ है या नहीं। यह भी संभव है कि ७७ करोड़ आमदनी से खर्चा कम हो या ज्यादा हो, सरकार ने किसी कर्जे वगैरह की व्यवस्था की हो। लेकिन पिछले आंकड़ों के देखने से यह पता चलता है कि १९५१-५२ के मूल बजट में ६१ करोड़ रुपया था लेकिन वास्तव में ५५ करोड़ खर्च हुआ। ५२-५३ में सप्लीमेंटरी को मिलाकर ६६ करोड़ रुपया था लेकिन ६४ करोड़ खर्च हुआ। ५३–५४ में मूल बजट ७४ करोड़ का था लेकिन उसमें से वास्तव में कितना खर्च हुआ उसका हिसाब मालूम नहीं है, यह बाद में पता चलेगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो विभागीय अधिकारियों के तरफ से ऐस्टीमेट्स प्रस्तुत किये जायं वह उतने ही होने चाहिये कि बहुत ज्यादा उनमें अन्तर न हो। मैं यह कहना चाहता हूं कि कभी कभी ऐस्टीमेट्स बहुत गलत रक्खे जाते हैं और जब हम उन ऐस्टीमेट्स को बिना पर मांग करते हैं तो हम धोखे में रहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं मोहम्मद पुर बिजली घर को लूंगा जिसका शुरू में एस्टीमेट्स १०१ लाख रुपये का था। लेकिन बाद में वह बढ़कर १ करोड़ ३० लाख हो गया। इसी तरह से शारदा बिजली घर का मूल एस्टीमेट २ करोड़ ७७ लाख रुपये का था लेकिन बाद में उसमें ७ करोड़ ४८ लाख रुपया हो गया था। उसी शारदा के मुख्य बिजली घर के लिये मांग १० लाख की थी लेकिन बाद में वह १ करोड़ ३३ लाख हो गया। पावर चैनल के लिये ७७ लाख रु० था जो बढ़ करके एक करोड़ ४८ लाख रुपया हो गया। तो शुरू में एस्टीमेट कम रखा जाता है और सदन उस एस्टीमेट को मंजूर करता है लेकिन जब काम लग जाता है उसके बाद फिर रुपये की मांग बढ़ती जाती है और रुपया मंजूर करना पड़ता है।

जहां तक माननीय उपाध्यक्ष महोदय सप्लीमेंटरी ग्रांट्सकी बात है, उसके लिये रुपया मंजूर करने में तो कोई एतराज नहीं होना चाहिये क्योंकि सरकार तो जो डिमांड्स भिन्न भिन्न विभागों के लोग रखते हैं और फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट उनको एकत्रित करके पेश करता है तो अगर वह मांगें मंजूर न की जायं तो फिर काम में दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं आज आपके द्वारा सदन के सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कभी-कभी सप्लीमेंटरी ग्रांट्स में बिना जरूरत के रुपया मांगा जाता है मिसाल के तौर पर मैं देखता हूं कि सन् १९५२–५३ का हिसाब हमारे सामने है। शिक्षा के लिये मूल व्यवस्था में काफी धनराशि की मांग की गयी थी और सप्लीमेंटरी बजट के जरिये ७३,८०० रु० की मांग की गयी थी लेकिन बाद में उसी विभाग में ९७ हजार रुपये की बचत हो गयी। मांग की गयी ७३ हजार रुपये की और बचत हो गयी ९७ हजार रुपये की। इसी तरह से शिक्षा उपशीर्षक (ड) में ५५,८०० रु० की मांग की गयी थी लेकिन आखिर में जाकर उसी में एक करोड़ ७५ लाख रुपये की बचत हो गयी। इसी तरह से माननीय उपाध्य महोदय, अनुसूचित और पिछड़ी जातियों के सुधार के लिये मूल व्यवस्था में ७ लाख ५ हजार रुपया रखा गया था। जब सप्लीमेंटरी के जरिये रुपया मांगा जाता है तो ऐसा लगता है कि मालूम होता है कि पिछला कुल रुपया खर्च हो गया होगा; इसलिये और ज्यादा रुपया मांगा जा रहा है। तो इस मद में फिर पूरक अनुदान मांगा गया लेकिन जब आखिर में खर्च होता है तो मालूम हुआ कि कुल में से २ लाख ४३ हजार रुपया कम खर्च हुआ। यानी आप देखें कि ७ लाख रुपया मूल बजट में रखा गया था लेकिन आखिर में मालूम हुआ कि दो लाख ४३ हजार रुपया कम खर्च हुआ।

तो फिर पूरक अनुदान किस लिये मांगा गया था ? इससे तो धोखा हो जाता है और इससे यह पता लगता है कि सरकार हरिजनों लिए ७ लाख रुपया खर्च कर चुकी है और अब पूरक अनुदान के जरिये इस विभाग पर और रुपया खर्च करने लिये के मांग कर रही है और इससे जाहिर होता है कि सरकार हरिजनों और पिछड़ी जातियों की बड़ी हमदर्द है जब कि दो वर्ष के बाद पता लगता है कि इस विभाग पर २ लाख ४३ हजार रुपया कम खर्च हुआ है। इसी तरह से से जन स्वास्थ्य का मूल बजट जो एक करोड़ ११ लाख रुपये का था, पूरक के जरिये ४ लाख ४८ हजार रुपया मांगा गया, लेकिन १२ लाख रुपये की उसमें बचत हो गयी यानी उसमें इतना कम खर्च हुआ। इसी तरह से कृषि में कुमायूं विकास के लिये ५० हजार रुपया रखा गया था लेकिन वह रुपया नहीं खर्च किया गया। बाद में क्यों लिया गया था जब कि यह ५० हजार रुपये में से कुछ भी खर्च नहीं हुआ? सहकारिता का मूल बजट ७ लाख ६९ हजार का था और पूरक के जरिये १ लाख २५ हजार रुपये की मांग की गयी लेकिन उसमें एक लाख रुपये की बचत हो गयी। इसी तरह से खाद के लिये १४ लाख रुपया मिला था। मार्च के पूरक बजट में ५ लाख रुपया मांगा गया था। लेकिन १७ लाख रुपये की बचत हो गई और वह खर्च नहीं हुआ। इस तरह से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो रुपया पूरक बजट में मांगा जाता है उस को पूरी छानबीन कर के मांगा जाय। यह न हो कि रूपया तो मांगा जाय लेकिन आखिर में उन विभागों में बचत इतनी ज्यादा हो जाय कि जितना पूरक अनुदान मांगा गया हो उससे कई गुना बचत हो जाय। इसलिये मैं समझता कि मैं अपने कर्त्तव्य से बंचित रहूंगा अगर इन खामियों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित न कराऊं। वैसे जब पूरा बजट आयेगा तो अगर मौका मिला तो विशेष रूप से मैं उन बातों की ओर ध्यान दिलाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से विभागों में ठीक देखभाल न होने के कारण अनियमित रूप से खर्च हो जाता है, उस से सरकार को कितना घाटा पड़ता है और लाखों रुपया राइट आफ करना पड़ता है और जब हम जनता के एक-एक रुपये के जिम्मेदार हैं तो कहीं भी अगर गलत तरीके पर खर्च हो, कोई वैभागिक कर्मचारी अगर पैसे का गलत उपयोग करें तो हमारा कर्त्तव्य हो जाता है और सरकार का तो कर्त्तव्य है ही क्योंकि वह तो देखभाल करती ही है और पकड़ हो जाती है तो सजा भी मिलती है लेकिन जहां कहीं ऐसी बात हो तो सदन के सदस्यों का भी यह पवित्र कर्त्तव्य है कि वे उस पर निगाह रखें और जो आय व्यय का लेखा होता है उस की ओर सरकार का ध्यान दिलावें अगर कोई गलती हो। सरकार तो देखती ही है लेकिन सदन के लोगों को भी इस में सरकार की मदद करनी चाहिये और जहां भी शिकायतें होती हैं, कहीं पी० डब्ल्यू० डी० के लिये जो रुपया मंजूर होता है, मकान वगैरा बनाने के लिये, उन मे किसी तरह की कोई गड़बड़ होती है और हम में से अगर किसी की जानकारी होती है तो उन सब बातों को सरकार के नोटिस में लाना हमारा सब का कर्त्तव्य है और इस ख्याल से जो ग्रांट्स मांगी गई हैं उनमें मैं ब्योरेवार जाने का प्रयास नहीं करूंगा। कल का दिन अभी है अगर ब्योरे के साथ कहीं भिन्न भिन्न ग्रांट्स पर कुछ कहने का मौका मिला तो कहूंगा लेकिन जनरल तरीके पर जो ग्रांट्स मांगी गई है उन के बारे में मैं विशेष रूप से इतना ही कहना चाहता हूं कि हम देखें कि वास्तव में उन की जरूरत भी थी या नहीं ; जब सरकार ने रखी है तो जरूरी ही है लेकिन बाद में पता चलता है कि रकमें रख ली जाती हैं और वह पूरे तौर पर से खर्च नहीं होती हैं।

मैं ज्यादा न कह कर इन ग्रांट्स को पूरे तौर से सपोर्ट करता हूं क्योंकि सरकार जो भी पैसा मांगे उस के देने में आनाकानी करने से उन के आगे के काम में रुकावट होगी लेकिन बाद में बता चलता है कि आया उस की जरूरत पड़ी या नहीं। इसलिये सरकार को पूरे तौर से देखभाल पहले से कर लेना चाहिये कि वाकई में विभिन्न विभागों में डेवलपमेंट का काम ठीक से होता है या नहीं। अच्छा यही है कि यह ठीक हो और बजट बढ़े नहीं, ज्यादा फर्क होना सप्लीमेंटरी ग्रांट्स में, ठीक नहीं है और बार बार अधिक रकम मांगना भी ज्यादा अच्छा नहीं है।

श्री हरि प्रसाद (जिला पीलीभीत)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में बजट पेश होते होते मेरे सामने ३ साल हो गये लेकिन जब भी किसी विभाग की तरफ हम गौर करते हैं तो उनमें किसी काम का भी, सरकार के करने का पता नहीं चलता।

[श्री हरि प्रसाद]

हमने अभी हाल ही में अपने पड़ोसी जिले को देखा कि उसमें सरकार ने बड़े-बड़े अच्छे काम किये हैं, उससे दिल को बहुत खुशी होती है। एक तो कुदरत ने ही उसको सब से अच्छा बनाया जहां बड़े-बड़े रोगी भी जाकर अच्छे हो जाते हैं फिर बड़े-बड़े स्कूल, अच्छी अच्छी सड़कें बनी हुई हैं बड़ी खुशी की बात है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा जिला है जिसमें आज तक सरकार ने एक भी सड़क नहीं तैयार कराई। वह जिला पीलीभीत है। वहां से ६ मील पर जहानाबाद है। वहां उस सड़क पर थोड़े से पत्थर डलवाये गये लेकिन डामर नहीं पड़ा। उस पर गाड़ियां चलने की वजह से पत्थर भी एक तरफ इकट्ठा हो गये। एक दफा मैंने सरकार से एक सवाल पूछा कि पीलीभीत में कौन कौन सी सड़कें पी० डब्ल्यू० डी० की हैं। सरकार ने बताया कि चम्पावत से बरेली तक जो सड़क जाती है पीलीभीत में उसका कुछ हिस्सा पड़ता है। पी० डब्लू डी० ने पीलीभीत के लिये उसको बनवाया है। तो मैं सरकार का ध्यान उसकी तरफ दिलाता हूं कि वह सड़क तराई भावर से चल कर पीलीभीत से गुजरती है। तराई भावर में वैसे ही आदमियों की आबादी कम है। टनकपुर से पत्थर लाना और जंगल की लकड़ी लाना, और इन दोनों कामों में भी बड़े बड़े ट्रक वालों को ही फायदा होता है, जनता को कोई फायदा नहीं है। पीलीभीत से बीसलपुर को एक सड़क पत्थर की ब्रिटिश हुकूमत के समय बनी थी। लेकिन इस हुकूमत में उसको बनवाने का ख्याल भी नहीं होता है। उसकी दशा बिगड़ते बिगड़ते यहां तक हो गई है कि कंकड़ तक उड़ गया है और जो ईंट का सोलिंग तक लगा हुआ है वह भी उड़ गया है। खंदक बन गये हैं। और यहां तक होता है कि बैलगाड़ियों के बैलों के कंधे टूट गये हैं और कोई न कोई खबर ऐसी मिलती है कि कोई आदमी मर गया है।

इसके बाद सरकार यह तो नारा लगाती है कि हम मद्य निषेध करने जा रहे हैं और उसने कई जिलों में मद्य निषेध कर भी दिया है लेकिन सरकार आज अनुदान नम्बर ३ में कहती है कि गांजा नैपाल से बहुत ज्यादा और बहुत अच्छी किस्म का आता है लेकिन हमारे सूबे में उसकी खपत कम होती जाती है। इसलिये गवर्नमेंट ने ४४ सौ रुपये की मांग की है कि गवर्नमेंट फार्म जो हैं उनमें उस गांजे की बोआई कराई जावे और ज्यादा पैमाने पर कराई जाये। अब इसके बाद सरकार यह कहने का हक कैसे रखती है कि वह मद्यनिषेध करना चाहती है। मद्यनिषेध करना चाहती है या गांजे का प्रचार करना चाहती है उसकी खेती बढ़ाना चाहती है, लोगों को गंजेड़ी बनाना चाहती है। गांजा तो शराब से भी बुरा है। गांजा तो तन्दुरुस्ती को खराब कर देता है, शराब तो दवादारू की तरह पी जाय तो तन्दुरुस्ती को बढ़ाती है। लेकिन गांजा तो तन्दुरुस्ती को बिगाड़ता है और इससे यह मालूम होता है कि सरकार लोगों को तन्दुरुस्ती नहीं देखना चाहती है बल्कि लीबड़ वाला देखना चाहती है।

दूसरे अनुदान संख्या १२ में राज्यपाल महोदय के लिये पहले ही ९३ हजार ३ सौ रुपये मंजूर हो चुके हैं और अब इसमें १० हजार परदों के लिये और २५ हजार रुपया उनकी कार के लिये मांगती है। यह तो हम जरूर चाहते हैं कि हमारे राज्यपाल महोदय के लिये अच्छी से अच्छी कार हो क्योंकि उनकी रिस्पैक्ट रखना जरूरी है। लेकिन क्या २५ हजार की कार से ही काम चल सकता था, कम कीमत की कार से काम नहीं चल सकता था? अगर ज्यादा बेहतर कार लेकर ही देना है तो सरकार वैसा भी कर सकती है। हवाई जहाज लेकर दे सकती है जिससे जल्दी से जल्दी दौरा कर सकें और सेहत खराब न हो और दवादारू की आवश्यकता न पड़े।

पर्दों के लिये जो रुपया मांगा गया है। वैसे तो सरकार ढिंढोरा पीटती है कि खादी आश्रम का कपड़ा इस्तेमाल करो, सरकारी कर्मचारियों को भी प्रेरणा दी जाती है कि खद्दर

पहनें तो फिर क्या राज्यपाल महोदय के कमरों में खद्दर के पर्दों का इस्तेमाल नहीं हो सकता ? खद्दर में भी बड़े सुन्दर सुन्दर पर्दे बनते हैं, उनको भी लगाया जा सकता है। इस तरह से कम पैसे में ही काम चल सकता था तो फिर १० हजार रुपये की ग्रांट की क्या आवश्यकता थी ? मंजूर तो जरूर करना ही है लेकिन कम पैसा खर्च करके भी काम चल सकता था।

दूसरी अनुदान संख्या ३९ है जिसमें पिछड़ी हुई जातियों के नाम पर रुपया मांगा गया है। पिछले सप्लीमेंटरी बजट में भी यही सब बातें थीं और इस मर्तबा भी इस मांग में वही बातें दोहराई गई हैं। रुपया खर्च होगा कृषि, विकास, कुटीर उद्योग, जनस्वास्थ्य–बस्तियों का सुधार और गन्दी बस्तियों की सफाई, स्वयंसेवक संगठनों की सहायता, प्रख्यापक, कर्मचारिवर्ग, सड़कों का निर्माण। इन सब बातों के लिये रुपया तो प्लानिंग में भी रक्खा हुआ है, उसी रुपये से ये काम क्यों नहीं किये जाते जो हरिजनों और बैकवर्ड जातियों के नाम पर यह रुपया मांगा जाता है ? इससे भ्रम पैदा होता होता है। पिछड़ी जातियों के नाम पर धोखा दिया जाता है। अगर इस रुपये को उद्योगों पर, सड़कों के निर्माण पर, सफाई पर लगाया जायगा तो क्या हरिजनों पिछड़ी जातियों के बच्चे इतने पढ़ लिख गये कि उन्हें वजीफे की आवश्यकता नहीं रही ? इस बात की आवश्यकता नहीं रही कि उनके बच्चों को फीस माफ कर दी जाय ? सरकार यह क्या झगड़ा लगा रही है और लोगों को इस तरह से धोखा दे रही है। पिछली दफा भी मैं बतला चुका हूं कि सरकार खुद तो जातपांत का सवाल पैदा करती है और फिर उसे दूसरी जातियों पर थोपती है और खुद जात पांत की बात करती है। इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता ? एक तरफ तो अनुसूचित जातियों के नाम से ग्रांट मंजूर की जाती है। एक तरफ तो वह यह मानती है कि सबसे बड़ी आबादी हरिजनों और बैकवर्ड की है और उन्हीं में सब से ज्यादा बे पढ़े लिखे लोग हैं और उनका सरकारी नौकरियों में रेशियो भी कम है लेकिन जो रुपया मंजूर होता है वह फीस में नहीं दिया जाता, वजीफों के लिये नहीं दिया जाता। रुपया सड़कों के निर्माण में और दूसरे कामों में खर्च किया जाता है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये ताकि उनके बच्चों की फीस माफ की जाय, बच्चे पढ़ लिखकर तरक्की करें और पिछड़ी जातियों में से लड़के निकल कर ऊंची सोसाइटी के काबिल बन सकें।

अनुदान संख्या ५० में सरकार ने कोआपरेटिव सोसाइटी को रुपया दिया है। मैं दूसरे जिलों की बात तो करता नहीं लेकिन अपने जिले की बात करता हूं कि वहां कोआपरेटिव सोसाइटीज को जितना भी रुपया दिया जाता है वह सब भट्ठों पर खर्च किया जाता है और नतीजा उसका यह निकलता है कि ईंटें प्राइवेट भट्ठों में १८ और २० रुपये में पड़ती हैं वे अब कोआपरेटिव भट्ठों से ३२ रु० १० आने और ३६ रु० १० आने में मिलती हैं। तीन चार भट्ठों में इतने पर भी केवल २ हजार का मुनाफा ही दिखाया जब कि उन्होंने २० लाख ईंटें तैयार कीं और दूसरे भट्ठों ने ६, ६ हजार का घाटा दिखाया है। सरकार प्राइवेट भट्ठे वालों को कोयला भी नहीं देना चाहती और जब अपने बेसिस पर काम करती है तो उसमें घाटा होता है।

कर्जा भी सरकार जो देती है उसे वसूल नहीं करती। ग्रांन्ट पर ग्रान्ट उन्हीं लोगों को देती जाती है जिनसे कर्जा वापस नहीं होता। मैंने सवाल पूछा तो वह स्थगित हो गया और जवाब नहीं दिया गया। मैं सरकार का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उसने जिसको एक मर्तबा कर्जा दिया तो वसूल नहीं हुआ फिर दुबारा उसी को कर्जा दिया तो वह भी वसूल नहीं हुआ, फिर तिबारा दिया तो वह भी वसूल नहीं हुआ और इस तरह से एक एक आदमी पर हजारों रुपये कर्ज के हो गये हैं। क्या सरकार इस बात का विचार करेगी कि किस को रुपया दिया जाय और किस को न दिया जाय कुछ भेदभाव रख कर करती है ? अगर ऐसा नहीं है तो वह रुपया वसूल कैसे होगा ? उस रुपये का दुरुपयोग क्यों हो रहा है ?

[श्री हरिप्रसाद]

अब सरकार ने एक स्कीम निकाली है कि पचास लाख रुपये का हम गुड़ खरीदेंगे। २५ हजार रुपया इसमें दे दिया गया है। पीलीभीत में कुछ गुड़ खरीदा भी गया है ९ रुपये और १० रुपये मन से, और कहीं खरीदा हो तो मैं नहीं जानता। अभी गेंदासिंह जी ने कहा है कि गुड़ साढ़े आठ रुपये मन बिक रहा है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इतना रुपया होते हुए भी सरकार गुड़ क्यों नहीं खरीद पाई। मैं समझता हूं कि उसने गुड़ अभी इसलिये नहीं खरीदा है कि अभी बड़े-बड़े व्यापारी खरीद लें और फिर बाद में उनसे खरीदेंगे। किसानों को धोखा दिया जा रहा है कि तुम्हारा गुड़ १० रुपये मन से कम नहीं बिकेगा लेकिन यह कह कर व्यापारियों का पेट भरा जा रहा है। बड़े-बड़े लोग गुड़ स्टोर कर रहे हैं और जब किसानों का सारा गुड़ बिक जायगा, जब सारा गुड़ इन बड़े बड़े व्यापारियों के हाथ में हो जायगा तो फिर वह किसानों को वापस बिकेगा और तब उस समय उसका दाम १० रुपये मन होगा। तो अगर सरकार किसानों का फायदा करना चाहती है, उनकी मदद करना चाहती है तो सीधे उनकी मदद क्यों नहीं करती, इस तरह से धोखा क्यों देना चाहती है और बजाय उनकी मदद करने के व्यापारियों का पेट क्यों भरना चाहती है? गन्ने के लिये भी सरकार कहती है कि एक हफ्ते तक पेमेंट न होने पर सूद मिलेगा, लेकिन पीलीभीत फैक्ट्री पर गन्ने का दाम अभी तक बाकी है और रुपया अभी तक नहीं दिया गया। हालत तो यहां तक है कि पर्ची भी नहीं मिली है और नतीजा यह है कि देने लेने पर भी वह पेमेंट नहीं देना चाहते। इसका आखिरी नतीजा यह होना है कि किसान किसी न किसी दिन मजबूर होकर बैठ जायगा और मिल मालिक तमाम रुपया हड़प कर लेंगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार कहती कुछ और है और करती कुछ और है। आज आप समाजवाद का ढिंढोरा पीट रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हम ही लाल टोपी पहने बैठे रहें और गरीबों की भलाई का सारा ठेका लिये रहें। आप अगर तैयार हों तो बड़ी अच्छी बात है, हम दोनों कंधे से कंधा मिला कर साथ चलेंगे, लेकिन किसी बात में इस तरह का कदम उठाइये जिससे मालूम हो कि आप असमानता, गरीबी, बेकारी दूर करना चाहते हैं। अगर ऐसा कदम आप उठायें तो हम आपके साथ हैं। माननीय मलखान सिंह जी ही नहीं हम सब आपके साथ आ जायंगे और अगर सरकार कोई समाजवादी कदम उठाये भी, तो हम सब खुद ब खुद उसके साथ चले आयेंगे। आपको हमारे साथ आने में कोई हिचक हो तो हो, हमें कोई हिचक नहीं है। अगर गरीब की गरीबी दूर हो तो आप करिये, आपके मुंह में घी शक्कर, आप उस काम में हमको भी अपने साथ पायेंगे।

दूसरी बात शिक्षा की है। शिक्षा की सब से ज्यादा जरूरत हमारे हरिजनों और बैकवर्ड क्लासेज की है। सरकार ने बच्चों के लिये इतने मजमून रख दिये हैं कि वह न तो उनकी सारी किताबें ही खरीद पाते हैं और न उनके पास इतना पैसा ही है कि वह अपनी फीस दे सकें। जब सरकार पैसा देती है तो वह उनके पास पहुंचता नहीं, न मालूम वह कहां जाता है। सुनने में जरूर आता है कि एक हजार वजीफे मुकर्रर किये गये हैं और इतना रुपया दिया गया है, लेकिन अगर वजीफे ढूंढ़ों तो वह दो चार बच्चों को ही मिल पाते हैं। न मालूम वह सब कहां चले जाते हैं समझ में नहीं आता। मैं सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाऊंगा कि वह इसको देखे। इसके बाद जुलाई में शिक्षा के लिये एक नया कार्यक्रम आने वाला है लेकिन अभी यह समझ में नहीं आता कि न्यू छठा, ओल्ड छठा, एलीमेंट्री हिन्दी, पुरानी हिन्दी, नयी अंग्रेजी, पुरानी अंग्रेजी, नया इतिहास, पुराना इतिहास, यह सब क्या है? हिन्दी हो तो एक तरीके की, हिसाब हो तो एक तरीके का, मैथमेटिक्स हो तो एक तरीके की, अंग्रेजी हो तो एक तरीके की, यह क्या कि नयी हिन्दी, पुरानी हिन्दी, नयी अंग्रेजी, पुरानी अंग्रेजी? समझ में

नहीं आता। लड़के परेशान हैं और समझ भी नहीं पाते। तीन-तीन तरीके के, चार-चार तरीके के मजमून रख दिये हैं और लड़के समझ नहीं पाते कि क्या लेना चाहिये और क्या नहीं। एक तरफ तो मिनिस्टरों को शिक्षा देखने के लिये बाहर विदेशों में भेजा जाता है, कि वहां शिक्षा किस तरह की हो रही है और जब लौटकर आते हैं तो मिनिस्टर साहब को बजाय इसके कि उन्हें शिक्षा का काम सौंपा जाय, कपड़ा बुनने के काम में रख दिये जाते हैं। तो मेरी समझ में नहीं आता कि उनको भेजने से क्या फायदा है और जो मिनिस्टर साहब बातें सीखकर आये तो उनसे वही काम क्यों नहीं लिया जाता। जापान में १३ वर्ष की उम्र में लड़का हाई स्कूल पास हो जाता है और उसके बाद दस्तकारी में डाल दिया जाता है। और हमारे यहां यह है कि जो लड़का हाई मार्क्स पायेगा वह हाई एजूकेशन में भेजा जायगा और जो कम पायेगा वह दस्तकारी में भेजा जायगा लेकिन उसका खयाल नहीं किया जाता कि लड़के का रुझान किस तरफ है जिधर देखे उसी तरफ उसको भेजें। आज कल जहां ऐग्रीकल्चर स्कूल खोलते हैं और सरकार इस बात की डींग मारती है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और ऐग्रीकल्चर में शिक्षा दी जायगी जिससे हमारे नवयुवक आगे चल कर खाद्य के मामले में देश को समृद्धिशाली बनायेंगे और साथ ही साथ बेकारी की समस्या भी दूर होगी। हमारे जिला पीलीभीत में बरखेड़ा में एक स्कूल है उसके पास ३० एकड़ जमीन भी है। वह जमीन आज स्कूल के लिये दे दी है। नतीजा क्या होता है कि उस जमीन में किसानों से चना आधे आधे पर बुआ दिया गया है और सरकार को बाद में दिखा देंगे कि हमारे बच्चों ने इतनी मेहनत करके इतना चना पैदा किया है। तो अगर इस तरह से धोका देकर के अगर बच्चों को पढ़ाया जायगा तो काम नहीं चल सकता। अगर उनको ऐग्रीकल्चर पढ़ाना है तो जितनी ट्रेनिंग सीखकर हमारे स्कूलों में मास्टर जाते हैं उससे ज्यादा तो उनके मां बाप ही जानते हैं और वह भी जानते हैं। उससे ज्यादा शिक्षित होने चाहिये मास्टरों को, जितना वह गांव का लड़का जानता है उससे ज्यादा बनाये तब तो कुछ फायदा होगा वरना बेकार है। लड़कों से चुकन्दर बुवाते हैं तो मां बाप इस आसरे में रहते हैं कि लड़का पढ़ कर जब आयेगा तो हमारी मदद करेगा खेती के काम में। और नतीजा यह होता है कि जो बच्चे पढ़ कर नगरों में आ जाते हैं वह तो सिनेमा देख कर बिगड़ जाते हैं और जो गांवों में रहते हैं वह एक तरीके से चुकन्दर बोते बोते खुद चुकन्दर साबित होने लगते हैं। तो सरकार एक तरफ तो यह डींग मारती है कि हम खाद्य में आत्मनिर्भर हो गये हैं। जरूर हो गये हम भी मानते हैं लेकिन कैसे हुआ बड़ी बड़ी चीजों में तरक्की कर चुके हैं जैसे सिनेमा में तरक्की की है। उसमें तो यहां तक तरक्की हुई है कि शहर में तो जो कुछ है सो तो है ही वहां तो लोग सिनेमा जैसे गाना गाते हैं, कपड़े पहनते हैं, सब कुछ वैसी ही नकल करने की कोशिश करते हैं। और गांव में मैं देखता हूं कि जो लड़के जानवर चराने जाते हैं, भैंस पर चढ़े हुए हैं और गाते हैं, "आजा मोरे बालमा तेरा इन्तजार है।" जिस देश में हमेशा बहादुर रहे हों तो उनके लड़के क्या आज हिजड़े बनेंगे?

श्री उपाध्यक्ष––मैं चाहता हूं कि आप ऐसी भाषा इस्तेमाल न करें।

श्री हरि प्रसाद––तो मैं यह कहूंगा कि लड़कों को ऐसी तालीम दी जाय जिससे लड़के बहादुर बनें। स्कूलों की शिक्षा के लिये सरकार कहती है कि हम हर तरह की शिक्षा देते हैं, सब तरह की उन्नति हो रही है सरकार तबला, सारंगी, सितार वगैरह सप्लाई करती है। तो मैं कहता हूं कि इससे काम नहीं चलेगा। लड़कियों को देखिये। मैंने एक दिन देखा कि हाथ में दो दो लड़ी घुंघरू के बंधे हुए थीं, मैंने पूछा कि क्या करती हो इससे स्कूल में। तो उन्होंने कहा कि हम डांस सीखने जा रहे हैं। भला बताइये लड़कियों को तो घर के कामों की शिक्षा देनी चाहिये जिससे वे कुशल नारी बन सकें न

[श्री हरि प्रसाद]

कि डांस सिखाया जाय। तो ऐसी शिक्षा में प्रगति हो रही है जिस उन्नति की सरकार बड़ाई करती है। लड़कों के लिये शहर की बात तो मैं कहता नहीं हूं लेकिन हमारे गांव में जो चारपाई होती है जिसको खटिया कहते हैं, आपके यहां तो चारपाई कही जाती है, लेकिन पलंग के पावों की पट्टी को गांव में मचवा कहते हैं। तो जिसे देखो एक थैले में मचवा दबाये चला जा रहा है। पूछा कि क्या है, तो कहते हैं "बेला है बेला" बेला वहां सिखाया क्या जायगा। क्या बेला रूस, जर्मनी की लड़ाई में काम देगा? श्रीकृष्ण की बांसुरी तो है नहीं कि जो हिरन सुनें तो मोह जायं। जब बड़े बड़े हथियार आधुनिक किस्म के देखने में आयेंगे तो फिर बेला क्या काम करेगा?

तो मैं सरकार से कहूंगा कि इस तरीके की तालीम देश को दिलावे कि जो देश के काम आ सके। मुझे इतना ही इस समय कहना है।

*वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जो बहस कि इन सप्लीमेंटरीज पर हुई उसमें जितनी बातें कही गयी हैं उनमें से बहुत कम ऐसी हैं जिन का कुछ जवाब देने की जरूरत है। मगर इन बातों का जवाब देने से पहले मैं एक ऐसी बात निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमको हमेशा अपने सामने रखनी है। यह जमाना विकास का है इस देश और इस प्रदेश, दोनों के हिसाब से। एक आदमी अपना खर्च अपनी आमदनी के मुताबिक कर सकता है। मैं यह कर सकता हूं कि जितनी मुझेको आमदनी है मैं उससे ज्यादा खर्च न करूं। मगर एक राज्य और एक गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती, और बिल-खुसूस वह गवर्नमेंट और वह देश कि जो बढ़ने चल रहा हो, अपने आप को नीचे से उठाकर ऊंचे ले जा रहा हो, उसका खर्च नहीं घटाया जा सकता और उसको बढ़ने से नहीं रोका जा सकता।

सप्लीमेंटरी एस्टीमेंट्स में ७ करोड़ रुपये या ८ करोड़ रुपये का मांगना एक गैर मामूली बात समझी जाय, यह किसी ऐसे राज्य के संबंध में कहा जा सकता है कि जिस राज्य ने दुनिया की उन्नति और तरक्की की वह मंजिलें तय कर ली हों। उत्तर प्रदेश ने नहीं कीं। साल भर के अन्दर जो गवर्नमेंट आफ इंडिया से नयी; स्कीमें आयीं और उसके अलावा जो बातें बजट के बनाने के बाद खुद अपने सामने ऐसी आई कि जिन से देश की भलाई हो सकती है तो इस उसूल को सामने रखते हुये कि हम देश के भले का काम मुमकिन से मुमकिन थोड़े वक्त के अन्दर कर दें, क्या यह बात मुनासिब होगी कि उस वक्त का इन्तजार किया जाय जब कि अगला बजट बनेगा और उसके बनने के बाद यहां से मंजूर होने के बाद उसपर खर्चा शुरू होगा? तो मेरे नजदीक जांच, इन सप्लीमेंटरीज की जो वक्तन फ़वक्तन गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं, इस हाउस को इस क्राइटेरियन से करनी चाहिये, इस निगाह से उसको जांचना चाहिये। कुछ मिसालें दी गयीं कि वह कांस्टीट्यूशन की जो प्रावीजंस है, जो उसमें दफायें हैं उनकी तौल में पूरे तौर पर उतरता नहीं है। मैं नहीं समझता कि ऐसा है। इसलिये कि जो कांस्टीट्यूशन का आर्टिकिल हैं उससे मेरे नजदीक इस किस्म की गुंजाइश है। मगर इस वक्त मैं इस बहस को छेड़ना नहीं चाहता हूं। मेरे नजदीक यह गैर जरूरी बहस है। मेरे दोस्त ने कहा कि ८१ करोड़ रुपये का खर्चा था जो पहले बजट में रखा गया था और ७,८ करोड़ का यह खर्चा और होने वाला है। इस खर्चे की तादाद असल आमदनी से बढ़कर १०-१२ करोड़ हो जायगी। तो मैं इस मौके पर हाउस के उन सदस्यों को बताना चाहता हूं कि अगर विकास करना है तो इतने खर्चे जरूर आयेंगे और इसके बगैर काम नहीं चलेगा, विकास नहीं हो सकता है और तरक्की नहीं हो सकती है। इसलिये इसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये और इस फिक्र में नहीं पड़ना चाहिये। रुपये का जो खर्चा बढ़ेगा उसका हमें इंतजाम करना है और हम करते आये हैं। पिछले साल के बजट में जब मैंने इस ऐवान में अपनी स्पीच दी थी तो मैंने अर्ज कर दिया था कि जहां तक मुमकिन होगा गवर्नमेंट बगैर कोई टैक्स लगाये इसको पूरा करेगी और गवर्नमेंट ने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कोई टैक्स नहीं लगाया। इसको अगले साल खत्म कर देना है। इस सूरत में इस तरह की रकम का आना ऐसी बात नहीं है कि हम उसे एतराज की नजर से देखें। इस तरह के खर्चे का नतीजा क्या होगा। उससे इस देश को ऊंचा उठना होगा और तरक्की करना होगा और इसके सिवाय और कुछ नहीं होगा।

दूसरी बात यह है कि पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के ऊपर इस ऐवान में बहस न होने की बाबत शिकायत की। मैंने इस सदन के सामने यह अर्ज किया कि पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी पर बहस सदन में नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के लिये एक दिन या कोई वक्त मुकर्रर होकर उसी पर बहस करने के लिये बढ़ या जाय, यह नहीं होता है। मैंने इसकी मालूमात जाती तौर पर केंद्रीय सरकार से और पार्लियामेंट से की। मुझे मालूम हुआ है कि वहां ऐसी बात नहीं होती है। यह बात दूसरी है कि कि बजट पर जनरल डिसकशन हो रहा हो और बहस के सिलसिले में कोई साहब उसको बयान करें और इस सवाल को उठा दें और उसके मुताल्लिक गवर्नमेंट जवाब दे तो वह बात दूसरी है। लेकिन जैसी कि बहस चाही गयी है उस तरह की बहस नहीं होती है। मेरे दोस्त ने बतलाया कि हमारे इल्म में यह बात आई है कि बर्तानिया में ऐसा होता है। अगर वहां ऐसा होता हो तो मैं उसके समझने के लिये तैयार हूं, मैंने इन्कार नहीं किया है कि जो बात मैं अर्ज करता हूं उसके खिलाफ कोई साहब कुछ बतलायें तो मैं उसको नहीं मानता। मैं तो बिल्कुल ओपिन टू कंविक्शन हूं। अगर वहां ऐसा होता है तो यकीनन यहां होना चाहिये।

एक बात और कही गई थी कि हमारे यहां डेफीसिट बजटिंग रहता है। मैं अर्ज करता हूं कि इस वक्त तक यहां की गवर्नमेंट ने कोई डेफीसिट बजट पेश नहीं किया है। जिसको डेफिसिट बजटिंग समझा गया है वह इस माने में कि आमदनी से ज्यादा खर्चा इसमें रखा हुआ है। लेकिन मैंने पहले अर्ज कर दिया था कि जो ज्यादा खर्चा है वह ऐसा नहीं है जिसको पूरा करने के लिये हमारे पास रकम नहीं है बल्कि रकम हमारे पास थी। हमारे यहां एक रिजर्व फंड है जिसमें आमदनी का रुपया जमा होता है और जो कमी हुई है उसकी हमने उससे पूर्ति की है। लिहाजा वह इस माने में डेफिसिट बजटिंग कहलाता है, लेकिन नहीं है।

मेरे दोस्त ने एतराज किया कोआपरेटिव के बारे में, कि गवर्नमेंट ने कर्जा दे दिया और वह भी बिला सूद के दे दिया। मेरे दोस्त को यह इतला सही नहीं है कि गवर्नमेंट ने बिला सूद के दे दिया।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---इसमें तो साढ़े चार परसेंट लिखा है लेकिन कुछ दिया है बिला सूद के भी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जी नहीं, साढ़े चार फी सदी सूद पर दिया था। और अगर उनको कर्जा देने की बात मैं अर्ज करना चाहूं तो एक लम्बी सी बात होगी इसलिये मैं उसको छोड़ता हूं लेकिन सिर्फ इतना कह देना चाहता हूं कि यह सिर्फ इस वजह से देना पड़ा कि उनको कर्जा देने के लिये फेडरेशन के पास रुपया ही नहीं था। महज इस मजबूरी की वजह से उनको कर्जा देना पड़ा।

कुछ बातें मैं छोड़ता चला जाऊंगा, जैसे कारों की, मोटरों की, उनके ऊपर इस वक्त कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ बातें ऐसी जरूर हैं जिनकी निस्बत मैं कुछ यहां अर्ज कर देना चाहता हूं। एक भाई हमारी इस तरफ तवज्जह दिला रहे थे कि काश्तकारी बढ़ गयी और नहरें जो सन् १८८३ और १९२८ की निकली हैं, जितना पानी उनमें था वह आज उनके लिये काफी नहीं है। मगर शायद वह इस बात को भूल गये कि इसी ऐवान में इस बात की कितनी दफा चर्चा हो चुकी है कि गंगा की नहर का पानी और शारदा की नहर का भी पानी बढ़ा दिया गया है और छोटी नहरों में जो पानी की कमी थी उनके सिंवाई के रकबे को

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

काट कर वहां ट्यूबवेल बनाने शुरू कर दिये हैं। इसके साथ एक बात और भी कहूंगा कि गंगा की नहर का पानी बढ़ाने के वास्ते रामगंगा के ऊपर एक डैम बनने वाला है और उससे ६ लाख एकड़ जमीन को आबपाशी के लिये पानी मिलेगा। शारदा की नहर के लिये एक रिजरवायर और बन रहा है। उससे जो पानी निकलेगा वह शारदा की नहर में जायेगा। तो इस तरह जिन चीजों की तरफ उन्होंने तवज्जह दिलायी उनका इन्तजाम तो पहले से ही गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है।

मेरे दोस्त श्री नेंदा सिंह ने चन्द बातों की ओर ध्यान दिलाया। उनमें से एक बात यह थी कि जो जुडिशल आफिसर्स होते हैं ये आज तक गैर मुस्तकिल चले जा रहे हैं लिहाजा इनको मुस्तकिल होना चाहिये। मैं यह मानता हूं कि यह बात जरूर ध्यान देने के काबिल है और काफी तेजी के साथ इस पर अमल करके इस बात की तरफ तवज्जह की जायगी।

जहां तक बलिया में ८ रुपये मन गुड़ के भाव की बात है, तो यह तो सभी को मालूम है कि गवर्नमेंट ने यह ऐलान कर दिया है कि दस रुपये फी मन से जहां कहीं भी गुड़ की कीमत घटेगी तो गवर्नमेंट उसके लिये बाजार में जायेगी और गुड़ खरीदेगी। २५ लाख रुपया कोआपरेटिव्ज के डिसपोजल पर गवर्नमेंट ने रख दिया और उससे खरीदारी की जायगी। जहां तक मुझे याद है जो मेरठ के जिले में हापुड़ की मंडी है वहां पर जब भाव पौने दस रुपये हुआ तो उसी वक्त वहां पर खरीदारी शुरू कर दी गयी और मैं समझता हूं कि अगर ऐसा हुआ है तो बलिया में भी कोआपरेटिव डिपार्टमेंट करने वाला होगा और मैं उनकी इस मामले की तरफ और तवज्जह दिला दूंगा कि वहां की हालत देख कर वहां भी खरीदारी वगैरह का जरूर इन्तजाम करें।

श्री केशव गुप्त—दस रुपये मन फर्स्ट क्लास गुड़ के लिये कीमत रखी गयी है। अगर वह सेकेंड या थर्ड क्लास गुड़ है और ८ रुपये हो गया है तो गवर्नमेंट नहीं खरीदेगी।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—एक बात और उन्होंने फरमायी जो मेरी जानकारी से जरूर बाहर थी कि कोई केसेज बिजली के विभाग में ऐसे हैं प्रमोशंस के जिनको प्रमोशंस मिलने चाहिये लेकिन बड़े अफसर उसमें कुछ देर कर रहे हैं। तो मैं खुद इस बात को देखूंगा कि वह कौन हैं, और कहां हैं और जो उसके अन्दर करना जरूरी होगा वह मैं कर दूंगा।

और जो बातें कही गयीं उन का जवाब तो मैं नहीं देता मगर एक बात के मुताल्लिक मैं जरूर अर्ज किया चाहूंगा। यह सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी का तकरीरों में बहुत चर्चा हुआ। मेरे सामने वाले भाइयों की तरफ से भी हुआ। तो जो चर्चा इधर से हुआ उससे मैं यह समझा कि जब एक साहब की जबान से मैंने यह सुना कि हम तो पहले से कहते थे कि यह होना चाहिये है लिहाजा अब यह कांग्रेस ने किया। तो वह समाजवादी या सोशलिस्टिक पैटर्न जो मेरे दोस्तों की निगाहों में और जो उनका आइडियल था अगर कांग्रेस ने उसी को लिया है, मैं जानता नहीं, मैं तो उसकी निस्बत अलग बात अर्ज करूंगा, लेकिन अगर कांग्रेस ने वही लिया है जो कि उनके कहने से मुझे महसूस हुआ है, कि वह यह समझते हैं कि कांग्रेस ने उसी सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी को कबूला है जो कि उनके सामने था। तो मैं समझता हूं कि फिर वहां क्यों ? एक बहुत मशहूर शेर है, "कौन कहता था कि हम तुम में जुदाई होगी , यह हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी।"

अब यह कि इन सप्लीमेंटरी एस्टीमेट्स में सोशलिस्टक पैटर्न की झलक आती है या नहीं उसकी निस्बत मेरे दोस्त ने अपनी तकरीर में यह कहा कि इसमें आती नहीं है। अगर इसमें नहीं आती है तो मैं यह अर्ज करूंगा कि यह वह चीज नहीं थी जिसमें कि वह झलक

आनी चाहिये थी। लेकिन अगर मेरे दोस्त को इसमें वह झलक नजर नहीं आयी है जो मेरे नजदीक उसमें है तो फिर चाहे वह बनायें या हम बनायें दुनिया के किसी बजट में या सप्लीमेंटरी बजट में वह झलक होने की नहीं। मैं जानता नहीं कि सोशलिस्टक पैटर्न आफ सोसाइटी का मेरे दोस्तों का जो कंसेप्शन है उसमें यह काम होंगे या नहीं होंगे, कोई और काम हुआ करेंगे, कोई और किस्म के इंसान होंगे जिनकी जरूरतें कुछ और होंगी। यहां जो इंसान रहे हैं अगर सोशलिज्म उनकी जरूरतों को पूरा करने वाला है, उनके लिये वह काम करने वाला है जो उनके रहन सहन में तरक्की करे और उन को उससे आराम पहुंचे तो काम यही करने होंगे, कहीं सड़क बनती होगी, कहीं बिजली बनती होगी, कहीं खेती का इंतजाम होता होगा कहीं पशु पालन होता होगा। और कम से कम मुझे नहीं मालूम है कि वह सोशलिस्टक पैटर्न आफ सोसाइटी मेरे दोस्तों की नजर में जो है वह कुछ और है। लेकिन वह सोशलिस्ट पैटर्न जिसका रेजोलूशन कांग्रेस ने मद्रास में पास किया है उसमें तो यही काम है, यही चीजें हैं जिनको मैंने अभी आपके सामने बतलाया है। लिहाजा हम उसी को दावे के साथ अपने इस सप्लीमेंटरी बजट के अन्दर पेश करते हैं और उनके लिये ही इसमें एस्टीमेट्स हैं। उसके खिलाफ कोई चीज नहीं है जिसकी बिना पर हम आपको कुछ कह दें।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--हम तो २१ तारीख के लिये बड़ी आशा लगाये हुये हैं? आप तो अभी से निराश कर रहे हैं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--इस पर एक शेर याद आ गया वह मैं अर्ज करता हूं "जो मजा इन्तजार में देखा, वह न कभी वस्लेयार में देखा"। २१ तारीख सामने आ रही है जो बजट है और उसमें जो पैटर्न है वह सब सामने आजायगा। तब आपको मालूम हो जायगा कि यह क्या है। बाकी जो बातें और कही गयी हैं और उनमें जो सजेश्चन दिये गये हैं वह जिन डिपार्टमेंट के मुताल्लिक हैं वे उन पर विचार करेंगे और इस बात की कोशिश की जायगी कि जो होना चाहिये उसको किया जाय। उसमें किसी किस्म का कोई एतराज करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी तकरीर को इसीलिये इतनी देर पहले खत्म कर दिया है कि २१ तारीख नजदीक आ रही है। आपको तब तक इन्तजार में रखूं और जो उसमें कहने वाला हूं उसको अब ही न कह दूं।

१९५१-५२ के विनियोग तथा वित्त लेखे और तत्संबंधी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन *

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)— मैं उत्तर प्रदेशीय सरकार के सन् १९५१-५२ के अप्रोप्रियेशन अकाउन्ट्स (विनियोग लेखे) और वित्त समिति की लेखा परीक्षा की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखता हूं।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१५ फरवरी, १९५५

---

*कार्यवाही में छपा नहीं गया।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ३०१ एल० ए०—१९५५—८००।